



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM



SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण की कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

CIN : U45203TN1999PLC043322

22nd

ANNUAL REPORT

2021 - 22





Illumination Facility at Coal Berths 3 & 4



***Panchayat Union Primary School Building at Senganyam, Thiruvallur District, Tamilnadu
constructed under CSR***



KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

(CIN : U45203TN1999PLC043322)

**TWENTY SECOND ANNUAL REPORT
2021 - 22**



Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

Board of Directors

Shri Sunil Paliwal, Chairman & Managing Director
Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director- ChPA
Shri V.M.V. Subba Rao, Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma, Independent Director
Smt. Sarla Balagopal, Independent Director

DIN

01310101
07526368
02435597
03531392
01572718

Key Officials

Shri Sanjay Kumar,
General Manager (CS & BD)
Shri M. Gunasekaran,
General Manager (Finance) cum CFO,
Shri P. Radhakrishnan,
Deputy General Manager (Civil)
Shri G.M. Balan,
Deputy General Manager (MS)
Smt. Jayalakshmi Srinivasan,
Company Secretary

Registered Office

2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor
Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Ph: 044 - 25251666-70 / Fax : 044 - 25251665

Registrar & Share Transfer Agent

Link Intime India Private Limited,
C-101, 247 Park, L.B.S Marg,
Vikhroli (West), Mumbai – 400 083.
Ph : 022 – 49186000 / Fax : 022 - 49186060

Statutory Auditors

M/s. B. Thiagarajan & Co.
Chartered Accountants

Internal Auditors

M/s. G.C. Daga & Co.
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. S. Dhanapal & Associates
Company Secretaries

Bankers

State Bank of India
Axis Bank
HDFC Bank

Debenture Trustees

- (i) SBICAP Trustee Company Ltd,
Mistry Bhavan, 4th Floor,
122, Dinshaw Vachha Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020.
Ph : 022 – 43025555/Fax: 022 - 43025500
- (ii) Catalyst Trusteeship Limited,
GDA House, Plot No.85,
Bhusari Colony (Right),
Paud Road, Kothrud,
Pune – 411 038
Ph: 020 – 66807200/Fax : 020 - 25280275

Depositories

National Securities Depository Limited
Central Depositories Services (India) Limited



VISION

“ To develop Kamarajar Port as a mega port with world class facilities to become the Eastern gateway Port of India ”

MISSION

“ To Provide Port Services of International Standards ”





Kamarajar Port Limited

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)

BOARD OF DIRECTORS



SHRI SUNIL PALIWAL, I.A.S.
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



SHRI S. BALAJI ARUNKUMAR, IRTS
NOMINEE DIRECTOR




SHRI V.M.V. SUBBA RAO
FCA, DISA (ICAI)
INDEPENDENT DIRECTOR




CAPT. ANOOP KUMAR SHARMA
INDEPENDENT DIRECTOR



SMT. SARLA BALAGOPAL, IRTS (Retd)
INDEPENDENT DIRECTOR



Operating Income & PBT during the last 5 years



Cargoes handled during the last 5 years



Kamarajar Port Limited

Annual Report 2021 - 22

Index

Sl.No.	Contents	Page No.
1.	Chairman's Message	8
2.	Notice	10
3.	Board's Report	14
4.	Annual Report on CSR Activities	29
5.	Secretarial Audit Report	35
6.	Report on Corporate Governance	39
7.	Comments of Comptroller & Auditor General	43
8.	Independent Auditors' Report	45
9.	Balance Sheet	56
10.	Statement of Profit and Loss	57
11.	Cash Flow Statement	58
12.	Notes to the Financial Statements	60

Chairman's Message



Dear Shareholders,

I extend a warm and hearty welcome to you all to the 22nd Annual General Meeting of your Company. Annual Report of your Company has been with you for some time now and I hope you would have observed the significant improvement in financial performance and in cargo handling during the year. It gives me great pleasure to brief you about the same.

Physical Performance & Highlights

During the year 2021-22, the Company handled cargo throughput of 38.74 million tonnes which is 49.63% higher than cargo handled during the previous year 2020-21. Terminal wise increase is as detailed below:

- 20.32% increase in Coal Berth-1
- 73.64% increase in Coal Berth-2
- 43.42% increase in Common User Coal Terminal
- 5.83% increase in Marine Liquid Terminal 1
- 51.28% increase in General Cargo Berth
- 139.53% increase in Container Terminal (Phase 1)
- 36.47% increase in Multi Cargo Terminal
- 9.37% increase in LNG Terminal
- 50.19% increase in number of Automobiles handled

➤ The Mobile X-Ray Container Scanner system was commissioned on 01.07.2021. KPL has been

enlisted as the 18th Port for import of un-shredded metallic scrap consequent to the installation and operationalization of Mobile X-Ray Container Scanner System and Radiation Portal Monitors. Tripartite Agreement has been signed between KPL, Chennai Customs and M/s. Smiths Detection for operating the scanner.

- Your Company executed an Agreement with M/s.ZF Wind Power Coimbatore Pvt. Ltd. on 19.03.2022 for export of Windmill components for a period of 10 years with effect from 1st January 2022 to 31st December 2031.
- In order to reach out to all stakeholders and to sensitize the media about the various Gati Shakti initiatives undertaken by Chennai Port Authority and Kamarajar Port Limited, an outreach programme was organized on 16th March, 2022 in association with MCCI. Kamarajar Port Limited has identified the following 6 initiatives under PM Gati Shakti Scheme :
 - i. Construction of Container Terminal – Phase II, 330m quay length on DBFOT basis, (Capacity – 11.58 MTPA)
 - ii. Construction of IOCL Captive Jetty on Captive user basis (Capacity-3.00 MTPA)

- iii. Construction of RoRo cum General Cargo Berth II including Car Parking Yard (Capacity – 3.00 MTPA),
- iv. Dredging Plan – Phase – IV (A)
- v. Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle coal by SIOTL on DBFOT basis (Capacity – 12.00 MTPA)
- vi. Multi-User Liquid Terminal – II at Ennore (Capacity – 3.00 MTPA)

Financial Performance

During the year 2021-22, your Company registered an increase of Rs.251.53 Crores (43.29% increase over the previous year) in operating income mainly on account of 49.63% increase in cargo throughput handled due to rebound of economy and better performance by Container Terminal and Common User Coal Terminal. Consequently, your Company has reported a higher Profit Before Tax (PBT) and Profit After Tax (PAT) of Rs.538.59 Crores (increase of 82%) and Rs.440.20 Crores (increase of 188.25%) respectively.

Dividend

For the Financial Year 2021-22, your Company has already paid first Interim Dividend @ 20% of paid up equity share capital (which is equivalent to Rs.2/- per share) amounting to Rs.60 Crores on 15.11.2021 and second interim Dividend @ 10% of paid up equity share capital (which is equivalent to Re.1/- per share) amounting to Rs.30 Crores on 15.02.2022.

Board of Directors have recommended a Final Dividend @ 70% on paid up equity share capital which is Rs.7/- per share amounting to Rs.210 crores which will be paid, subject to your approval at the Annual General Meeting. Subject to your approval, for the first time 100% dividend will be paid.

Corporate Governance

Corporate Governance refers to the way a corporation is governed. Company has adopted processes and mechanisms that ensure transparency to promote strong and balanced development. As your Company highly values the interests of all stakeholders, the Report on Corporate Governance is being provided voluntarily.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and requirement of the Companies Act, 2013. Out of total CSR obligation of Rs.7.07 Crores, your Company has spent Rs.5.57 Crores towards CSR expenditure, the details of which are available in the Annual Report.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I would like to place on record our gratitude for the support and guidance received from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority and appreciate the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN and GoI, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways. I gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Last but not least, your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance and wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

Regards,

Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman & Managing Director

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd. Office: 2nd Floor (North wing) & 3rd Floor, Jawahar Building,
17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
Phone: 044 - 25251666 -70 Fax No: 044 - 25251665.
Website: www.kamarajaport.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of Members of Kamarajar Port Limited will be held on Wednesday, the 28th day of September 2022 at 3.00 P.M (IST) through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as at 31st March 2022, the Statement of Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2022 and the reports of the Board of Directors, the Auditors' Report and Comments of Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013.
2. To confirm the first Interim Dividend paid @ 20% of the paid-up equity share capital (Rs.2/- per share) and second Interim Dividend paid @ 10% of the paid-up equity share capital (Rs.1/- per share) for the financial year 2021-22 & to approve declaration of the Final Dividend @70% on paid-up equity share capital (Rs.7/- per share).
3. To appoint a Director in place of Shri Sadagopan Kumar Balajiarun (DIN:07526368) who retires by rotation and being eligible, offers himself for reappointment.
4. To pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution for payment of remuneration to Statutory Auditors:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 142(1) of the Companies Act, 2013, approval be and is hereby

given to the Board of Directors for fixing the remuneration of the Statutory Auditors of the Company, to be appointed by Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2022-23."

SPECIAL BUSINESS

5. Appointment of Shri Sunil Paliwal, I.A.S. (DIN: 01310101) as Managing Director of the Company:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 196 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 and other applicable rules, if any, provisions of Articles of Association of the Company, Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (DIN: 01310101) who was appointed as Non-Executive Chairman and Managing Director (In charge) of the Company by the Board w.e.f. 10.11.2021 in terms of the resolution passed in the Board meeting held on 8th November 2021 and in terms of Chennai Port Authority's (Earlier known as Chennai Port Trust) Letter No.A3/5944/2021/GA dated 5.11.2021, be and is hereby appointed as Managing Director w.e.f 10.11.2021 until such time, a regular Managing Director for KPL is appointed by Chennai Port Authority, on terms as set out in the Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act,2013 annexed to the Notice of this Annual General Meeting and shall not be liable to retire by rotation."

Place : Chennai
Date : 11.08.2022

By the Order of the Board of Directors
Sd/-

Jayalakshmi Srinivasan
Company Secretary

NOTES :

- a) The Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permits the holding of Annual General Meeting of the Company ("AGM") through VC /OAVM without the physical presence of the Members at a common venue till 31.12.2022. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the circulars issued by MCA and SEBI, it is proposed to hold the AGM through VC/OAVM.
- b) Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, as this AGM is being held through VC / OAVM, and physical attendance of Members has been dispensed with, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form, Route Map and Attendance Slip is not annexed to this Notice. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members participating through VC or OAVM may cast their votes on the resolutions during the meeting by show of hands or only by sending emails through their email addresses registered with the Company in case of a Poll. The said emails shall only be sent to the designated email address circulated by the Company. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
- c) The relevant explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 setting out the details relating to Special Business at the meeting is annexed hereto.
- d) Pursuant to MCA Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 read with Circular 02/2021 dated January 13,

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013**Item No.5**

Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (TN: 1993) (DIN: 01310101) was appointed as the Chairman cum Managing Director of the Company w.e.f. 16.09.2019 for a period

2021, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, Notice of the AGM along with the Annual Report for F.Y. 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice will be available on the Company's website www.kamarajairport.in.

- e) Corporate members intending to authorize their representatives to participate and vote at the meeting are requested to send a certified copy of the Board resolution/such other documents authorizing their representative to attend the AGM through VC/OAVM on its behalf and to vote.
- f) The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- g) Statutory registers as stipulated in the Companies Act, 2013 will be available electronically/ kept open for inspection during the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to agm-shareholders@kplmail.in.
- h) Members are requested to notify immediately any change of address to their respective Depository Participant.
- i) Brief resume of the Directors seeking appointment at this Annual General Meeting is attached hereto and forms part of the Notice.

Instructions for attending the AGM through VC:

1. Web-link and log-in credentials for attending AGM through VC/OAVM will be provided in the e-mail forwarding the Notice and Annual Report.
2. Members can join Video Conference either through Mobile/Laptop/Desktop.

of five years from the date of assumption of post or until further orders whichever is earlier, in the 20th Annual General Meeting of the Company. In line with the direction given at the time of finalizing the

strategic road map for Chennai Port Authority & Kamarajar Port Limited after disinvestment in KPL by Government of India, CMD, KPL assumed charge as Chairman of the Chennai Port Authority w.e.f 10.11.2021 for an overall tenure of 5 years upto 15.9.2024. Pursuant to the Chennai Port Authority's Letter No.A3/5944/2021/GA dated 05.11.2021 and the resolution passed in the meeting of the Board of Directors of KPL, he became Chairman (Non-Executive) of Kamarajar Port Limited w.e.f. 10.11.2021.

Further, based on the terms and conditions set out in Chennai Port Authority's Letter No.A3/5944/2021/GA dated 05.11.2021 and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of KPL and resolution passed by the Board of Directors of KPL in its meeting held on 8th November 2021, he assumed charge to act as Managing Director (In charge) of the Company w.e.f. 10.11.2021 until such time, a regular Managing Director for KPL is appointed by Chennai Port Authority.

Brief resume of Shri Sunil Paliwal is as under:-

Particulars	Details	
Date of Birth and Age	25/11/1968; 53 years	
Educational & Professional Qualification	1. B.Tech in Computer Science from IIT, Kanpur. 2. M.S. in Computer Science from University of Maryland, USA. 3. MBA from University of Birmingham, U.K.	
Business Occupation	Chairman, Chennai Port Authority	
Experience	Shri Sunil Paliwal started his career as Sub Collector, Cuddalore District and served as Additional Collector in Nagapattinam District. He also worked as the Collector of Tirunelveli, Theni and Kanniakumari Districts. He also held crucial portfolios in the Government of Tamil Nadu such as Managing Director, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB), Managing Director, Tamil Nadu Road Development Company Limited (TNRDC), Managing Director, Tamilnadu Industrial Development Corporation, Secretary to Government, Commercial Taxes & Registration Department and Commissioner for Milk Production & Dairy Development and Managing Director, Tamilnadu Co-operative Milk Producers' Federation Ltd. (Aavin), Principal Secretary to Government, Higher Education Department and Principal Secretary to Government, Labour & Employment Department.	
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a nominee of Chennai Port Authority	
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Not Applicable	
Directorship/ Membership in other Companies	Name of the Company	Nature of interest/ concern
	Chennai Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director
	Kanniakumari Port Limited	Nominee Director
	Sethusamudram Corporation Limited	Chairman-cum-Managing Director
Remuneration last drawn	Corporate Governance Report (Annexure VI of Board's Report) may be referred.	
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure VI of Board's Report) may be referred	

Shri Sunil Paliwal, I.A.S., (DIN: 01310101) shall not be liable to retire by rotation. He is deemed to be interested in proposed resolution to the extent of his appointment as Managing Director (Incharge) of the Company. No other Director or KMP and their relative is interested or concerned in the said resolution. Shri Sunil Paliwal, I.A.S., is not disqualified from being appointed as Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013. No remuneration and sitting fees for attending the meeting of the Board or Committees

thereof will be paid to Shri Sunil Paliwal, I.A.S.

In view of his background and experience, it will be in the interest of the Company that he continues to act as Managing Director of the Company till a regular Managing Director is appointed. Pursuant to the Companies Act, 2013, as approval of the members is to be obtained, the same is brought to the Shareholders. Board of Directors recommends the resolution for Members approval as Ordinary Resolution.

Brief Resume of Shri Sadagopan Kumar Balajiarun is as under:-

Particulars	Details											
Date of Birth and Age	05.06.1971; 51 years											
Educational & Professional Qualification	B.Law											
Business Occupation	Deputy Chairman, Chennai Port Authority											
Experience	<p>Deputy Chairperson, Chennai Port Authority since August, 2020 and was holding additional charge of CMD, Hooghly Dock & Port Engineers Limited. Previously, he was the Deputy Chairman, Kolkata Port Trust from April 2016 to August 2020. He worked as Senior General Manager, Container Corporation of India, Chennai from 4.6.2014 to 2.4.2016. He has wide experience in operations, commercial and safety wings of Railways. He has also worked as Deputy Chief Operations Manager (DCOM), Southern Railway HQrs. both in freight and passenger train operations. He has worked as Senior Divisional Operations Manager of Chennai and Tiruchirappally Divisions of Southern Railway for seven years. He has also worked as Deputy Chief Operations Manager, South East Central Railway, Bilaspur and Divisional Operations Manager (Mainline - Freight), Bilaspur Division. He was instrumental in computerization of control charting of operations in all the Divisions of South East Central Railway as well as in Tiruchirappally Division of Southern Railway. He also has wide experience in planning and project management of railway traffic infrastructure works. He has also worked as Area Manager, Ernakulam, Kerala. He started his career as Asst. Commercial Manager, Chennai Division.</p>											
Securities held in KPL	1 Equity Share of Rs.10/- as a nominee of Chennai Port Authority											
Relationship with other Directors/ KMP of KPL	Not Applicable											
Directorship/ Membership in other Companies	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of the Company</th> <th>Nature of interest/ concern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central Inland Water Transport Corpn Ltd.</td> <td>Managing Director</td> </tr> <tr> <td>Hooghly Dock & Port Engineers Ltd</td> <td>Director</td> </tr> <tr> <td>Chennai- Ennore Port Road Company Limited</td> <td>Nominee Director</td> </tr> <tr> <td>Kanniyakumari Port Limited</td> <td>Nominee Director</td> </tr> </tbody> </table>		Name of the Company	Nature of interest/ concern	Central Inland Water Transport Corpn Ltd.	Managing Director	Hooghly Dock & Port Engineers Ltd	Director	Chennai- Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director	Kanniyakumari Port Limited	Nominee Director
Name of the Company	Nature of interest/ concern											
Central Inland Water Transport Corpn Ltd.	Managing Director											
Hooghly Dock & Port Engineers Ltd	Director											
Chennai- Ennore Port Road Company Limited	Nominee Director											
Kanniyakumari Port Limited	Nominee Director											
Terms and conditions of appointment	Nominee Director liable to retire by rotation. No sitting fees is payable.											
Remuneration last drawn	Not applicable											
Number of Meetings of the Board attended during the year	Corporate Governance Report (Annexure VI of Board's Report) may be referred											

BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Directors take pleasure in sharing the Operational & Financial Performance developments and progress made by your Company during the Financial Year 2021-22 and in presenting the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2022.

1.0 PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

(i) (a) FINANCIAL PERFORMANCE

(Rs. in Crs.)

Particulars	2021-22	2020-21
Income from Operations	832.62	581.09
Other Income	18.22	6.32
Total Income	850.84	587.41
Operating Expenses	159.30	141.59
Finance Costs	62.34	64.99
Depreciation and Amortization	90.61	84.99
Total Expenses	312.25	291.57
Profit Before Tax	538.59	295.84
Taxes	98.39	143.13
Profit After Tax	440.20	152.71

(i) (b) FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year under review, your Company registered an increase of Rs.251.53 Crores (43.29% increase over the previous year) in operating income mainly on account of 49.63% increase in cargo throughput handled due to rebound of economy and better performance by Container Terminal and Common User Coal Terminal. Consequently, your Company has reported a higher Profit Before Tax (PBT) and Profit After Tax (PAT) of Rs.538.59 Crores (increase of 82%) and Rs.440.20 Crores (increase of 188.25%) respectively.

(ii) OPERATIONAL PERFORMANCE & HIGHLIGHTS

(ii) (a) OPERATIONAL PERFORMANCE

During the year, your Company has seen an increase in cargo throughput handling by 49.63%. Details of Terminal wise traffic handled are given below:

(in Million Tonnes)

Sl. No.	Name of Terminal	2021-22		2020-21		Variation in Traffic Handled	
		Cargo	No. of Vessels	Cargo	No. of Vessels	(+/-)	%
1	Coal Berth 1	7.46	106	6.20	86	1.26	20.32
2	Coal Berth 2	6.06	85	3.49	49	2.57	73.64
3	Common User Coal Terminal	7.96	115	5.55	83	2.41	43.42
Total Coal		21.48	306	15.24	218	6.24	40.94
4	Marine Liquid Terminal 1	4.36	253	4.12	255	0.24	5.83
5	General Cargo Berth	1.77	107	1.17	74	0.60	51.28
6	Container Terminal (Phase 1)	9.27	153	3.87	107	5.40	139.53
7	Multi Cargo Terminal	1.16	32	0.85	42	0.31	36.47
8	LNG Terminal	0.70	12	0.64	11	0.06	9.37
Grand Total		38.74	863	25.89	707	12.85	49.63
9	Automobiles handled (in Nos.)	1,35,705	107	90,358	74	45,347	50.19
10	Containers handled (in TEU's)	4,80,257	153	2,00,514	107	2,79,743	139.51

(ii) (b) OPERATIONAL HIGHLIGHTS

- The Mobile X-Ray Container Scanner system was commissioned on 01.07.2021. KPL has been enlisted as the 18th Port for import of un-shredded metallic scrap consequent to the

installation and operationalization of Mobile X-Ray Container Scanner System and Radiation Portal Monitors. Tripartite Agreement has been signed between KPL, Chennai Customs and M/s. Smiths Detection for operating the scanner.



Tripartite Agreement signed between KPL, Chennai Customs and M/s. Smiths Detection

- Container Shipping Line M/s.Maersk Line India operating at KPL has upgraded their existing Container weekly services viz., (i) Shuttle service to ME7 service (directly connecting to Europe) and (ii) Chennai Express service to F14 service (connecting Southeast Asia) with effect from 03.08.2021 and 13.08.2021 respectively so as to facilitate EXIM trade.
- To facilitate export of cars from KPL, automatic Car wash facility along with water treatment plant was installed near General Cargo Berth and the trial run was completed during June 2021 and the facility has been made operational.



Car Washing Facility & Water Treatment Plant near General Cargo Berth

- Your Company executed an Agreement with M/s.ZF Wind Power Coimbatore Pvt. Ltd. on 19.03.2022 for export of Windmill components for a period of 10 years with effect from 1st January 2022 to 31st December 2031.
- Common User Coal Terminal has imported Steam Coal from Australia through the largest Capesize Coal vessel M.V. Emperor Pampero with LOA of 292m, DWT 1,82,567 MT and having a parcel size of 1,37,989 MT (the highest parcel size ever handled at the Terminal) on 12.06.2021.
- Multi Cargo Terminal operated by M/s.Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd. imported Gypsum from Oman for

M/s.Saint Gobain India Pvt. Ltd. and M/s.Eastern Bulk Trading & Shipping Pvt. Ltd. through the largest Gypsum vessel M.V. Birte Oldendorff with LOA of 250m, DWT 1,13,921 MT and having a parcel size of 1,05,215 MT (the highest DWT and parcel size ever handled) on 02.09.2021.

2.0 DIVIDEND

For the Financial Year 2021-22, your Company has paid first Interim Dividend @ 20% of paid up equity share capital (which is equivalent to Rs.2/- per share) amounting to Rs.60 Crores on 15.11.2021 and second interim Dividend @ 10% of paid up equity share capital (which is equivalent to Re.1/- per share) amounting to Rs.30 Crores on 15.2.2022. Board of Directors in their meeting held on 08.07.2022 have recommended a final Dividend @ 70% on paid up equity share capital which is equivalent to Rs.7/- per share amounting to Rs.210 crores which will be paid, subject to approval of Shareholders at the ensuing Annual General Meeting.

3.0 TRANSFER TO RESERVES

3.1 General Reserve:

Your Company has not transferred any amount to General Reserve during the year as it is not mandatory to transfer any amount before declaration of dividend under the Companies Act, 2013. The balance as on 31st March 2022 remains at Rs.79.02 Crores.

3.2 Debenture/Bond Redemption Reserve:

Your Company has transferred Rs.8.63 Crores to Debenture/Bond Redemption Reserve pursuant to Section 71 of the Companies Act, 2013 and the balance as on 31st March 2022 stood at Rs.79.93 Crores.

4.0 FINANCE

During the reporting year, your Company has availed Term loan of Rs.40 Crores from HDFC Bank out of the sanctioned Term loan of Rs.50 Crores.

Your Company paid scheduled installments of Foreign Currency Loan (FCL) of 11.75 Millions US Dollars during the Financial Year. With this, the entire loan amount of 47 Million US Dollars availed from Axis Bank has been fully repaid as on 31st March 2022 and the charge created thereon has been discharged.

Your Company repaid scheduled installments of term loans availed from Chennai Port Authority (Erstwhile Chennai Port Trust) amounting to Rs.23.01 Crores which had become due during the current year and promptly paid the quarterly interest payments.

Your Company promptly discharged the annual interest obligation to the tune of Rs.6.74 Crores and Rs.32.21 Crores on Tax Free Bonds issued during the

financial years 2012-13 and 2013-14 respectively on the due dates.

4.1 Ratings

As per the offer document of Tax Free Bonds issued by your Company, your Company has to carry out the annual surveillance of Credit Ratings.

The Credit Rating Agencies have assigned the following ratings during annual surveillance as detailed below:

Credit Rating Agencies	Ratings / Outlook
CRISIL	AA / Stable
CARE	AA / Stable
ICRA	AA- / Stable
Brick Work	AA / Negative

4.2 Particulars of transaction made with Related Parties

The disclosure of Related Party Transaction as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is enclosed as **Annexure-I**.

4.3 Material changes and commitments affecting financial position between the end of the financial year and date of report

There are no material changes and commitments affecting financial position of your Company between the end of financial year and date of report.

4.4 Change in the nature of business, if any

There has been no change in the business of the Company during the Financial Year.

4.5 Particulars of Loans, Guarantees

Your Company has not given any Loans and Guarantees or provided any Security under Section 186 of the Companies Act, 2013.

4.6 Investments

During the year under review, your Company has not invested/paid advance towards Investments.

4.7 Capital Expenditure

Your Company spent Rs.153.71 Crores on capital expenditure during the Financial Year 2021-22 as against Rs.94.57 Crores spent in the previous year.

4.8 Fixed Deposits

During the year under review, your Company has not accepted any fixed deposits, nor has any outstanding unclaimed or unpaid deposits as on 31.03.2022.

4.9 Internal Financial Control

Your Company adheres to policies and procedures adopted for

- ensuring orderly and efficient conduct of its business,

- safeguarding its assets, for preventing and detecting frauds and errors,
- accuracy and completeness of the accounting records, and
- timely preparation of reliable financial disclosures.

The internal control and governance processes are duly reviewed by the Internal Auditor and the Audit Committee for their adequacy and effectiveness. Internal control procedures are considered sufficient to provide a reasonable assurance as to the integrity and reliability of the Financial Statements.

5.0 AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

Ministry of Ports, Shipping and Waterways has earmarked various activities to be undertaken by KPL under 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' during the 75-week countdown (from 12th March 2021 to 15th August 2022) to mark our 75th anniversary of Independence Day. As per the directives, your Company has been organizing various events, quiz competition, sponsorships and art programmes on various patriotic themes.



Handing over furniture, electrical appliances, etc. for Government Students Hostel to District Collector, Thiruvallur

Your Company also felicitated Freedom Fighters residing in the surrounding area of Port.



Felicitations of Freedom Fighters

6.0 GATI SHAKTI

PM Gati Shakti National Master Plan (PMGS-NMP) launched on 13th October 2021 for providing multimodal connectivity infrastructure to various economic zones, encompasses 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency and includes the infrastructure developed by the State Governments, as per the Gati Shakti Master Plan. The following projects of your Company are identified under the PM Gati Shakti Scheme:

1. Construction of Container Terminal – Phase II, 330m quay length on DBFOT basis (Capacity – 11.58 MTPA)
2. Construction of IOCL Captive Jetty on Captive user basis (Capacity-3.00 MTPA)
3. Construction of RoRo cum General Cargo Berth-II including Car Parking Yard (Capacity – 3.00 MTPA)
4. Dredging Plan – Phase – IV (A)
5. Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle coal by SIOTL on DBFOT basis (Capacity – 12.00 MTPA)
6. Multi-User Liquid Terminal – II at Ennore (Capacity – 3.00 MTPA)

7.0 MOU

The Memorandum of Understanding (MoU) for the year 2021-22 was signed with Chennai Port Authority (erstwhile Chennai Port Trust) on 29.09.2021. As per the MoU Evaluation Report for the FY 2021-22, your Company has achieved an aggregate score of 59.10 (Provisional) which is equivalent to 'Good' rating.

8.0 OPERATIONS

Presently, KPL has 8 Nos. of Terminals in operation out of which 4 Terminals are BOT Terminals, three (3) are Captive users Terminals and one (1) is KPL owned Terminal for automobiles export/import. All the Terminals are equipped with state of the art infrastructure facilities with fully mechanized cargo handling operations for faster evacuation and pollution free environment. Capacity of the 8 operational berths is 54.44 Million Tonnes. Brief of the existing terminals are as detailed below:

i) Coal Berths 1 and 2

Coal Berths 1 & 2 with handling capacity of 8MTPA each can accommodate 280m long two coal carriers of up to 77,000 DWT and handle thermal coal for the Thermal Power Plants of TNEB (TANGEDCO) and its JV Companies. Unloaded Coal is directly moved through the conveyor system to the stack yard located in the adjoining North Chennai Thermal Power Station (NCTPS) from where a part of it is moved further to Mettur through Rail connectivity. As per the Business model, KPL built Berthing structure and TANGEDCO

has invested in and is operating and maintaining all top side facilities like shore unloaders, conveyor system, etc for handling thermal coal.



Coal Berths 1 & 2 for handling Thermal Coal for TANGEDCO

ii) Marine Liquid Terminal

Marine Liquid Terminal with cargo handling capacity of 3 MMTPA was developed under BOT basis by M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited (ETTPL) and commercial operations commenced from 16th January 2009. Further, to meet the demand in the Trade, the BOT operator developed additional storage tanks, installation of LPG handling equipment as a second phase at an investment of Rs.167 Crores. Cargo handled comprises of POL, LPG, CBFS, chemicals and others with draft of 13.5m. The Revenue Share offered is 21.678%. In order to mitigate the congestion of vessels, the Licensee, M/s. ETTPL laid additional dock lines and installation of Marine unloading arms thereby reducing the vessel waiting time. The berth has been provided with Fire Protection System designed as per Oil Industry Safety Directorate (OISD) Standards.

The tank farm is located in a 33 acre port-leased plot at about 3.7 km from the berth with a total storage capacity of about 247,990 KL and can store class A/B/C petroleum products, petrochemicals, vegetable oils, bio fuels, acids and safe class liquids. The entire Terminal is having an integrated fire fighting system consistent with the requirements of OISD.



Marine Liquid Terminal

iii) Common User Coal Terminal

Common User Coal Terminal with cargo handling capacity of 10 MMTPA was developed on BOT basis by M/s.Chettinad International Coal Terminal Pvt. Ltd. (CICTPL) and commercial operations began from 11th March 2011. To handle the capesize vessel, the BOT operator extended the berth length by 22.5m with draft of 16m. The present capacity of the Terminal is 10 MTPA. The revenue share offered is 52.524%. The stack yard area of 48.0 Ha is located at about 2.50 km from Port compound wall. An in-motion wagon loading station has been installed suitable for loading one full rake of 59 wagons (3500 T) and truck loading stations are provided for evacuation through trucks. A Conveyor has been installed with the dust suppression mechanism to reduce pollution. The Terminal has been acquired by JSW Infrastructure Ltd group on 13.11.2020 and renamed as M/s. Ennore Coal Terminal Pvt. Ltd.



Common User Coal Terminal

iv) General Cargo Berth cum Automobile Export Terminal

The berth can accommodate the world's largest car carrier vessel and has a back-up area of about 2,10,900 sq.m with an expansive Car parking yard for 14,000 cars which is the largest facility in any Indian Port. The export of automobile units through GCB crossed 19.55 lakhs units as on 31.03.2022.

KPL has executed agreements with the major OEM's viz. M/s.Nissan Motor India Pvt Ltd, M/s.Ford India Pvt Ltd, M/s.Toyota Kirloskar Motor India Pvt Ltd, M/s Daimler India Commercial Vehicles Pvt Ltd, M/s Isuzu Motors India Pvt Ltd and M/s.ZF Wind Power Coimbatore Pvt Ltd (Windmill components) by providing volume based rebate on Wharfage charges to export their automobiles from KPL.

v) Container Terminal

Your Company has entered into a Concession Agreement with M/s.Adani Ennore Container Terminal Private Limited for developing Container Terminal with

handling capacity of 1.40 Million TEUs per annum under PPP mode in a phased manner. The total backup area for Container Terminal is 36.5 Ha. Phase I berth is equipped with four rail mounted quay cranes each with 6m outreach and three more such cranes will be added during the second phase. Yard is equipped with 12 ERTGS in first phase and 9 ERTGS will be added in Second phase. Container evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of Container Terminal (Phase-I) began from the FY 2017-18.



Container Terminal

vi) Multi Cargo Terminal

The Terminal was developed by M/s.Chettinad International Bulk Terminal Private Limited (CIBTPL) with 2.0 Million Tonne capacity on DBFOT basis. The Terminal handles Steel cargo, Fertilizer, Gypsum, Barites and Limestone. The total backup area for the Terminal is 13.5 Ha. The berth is equipped with Two (2) Nos. of Harbour Mobile Cranes with capacity of 100 TPH each and yard is equipped with storage facilities. Cargo evacuation is through road and rail mode. The commercial operations of the Terminal began from 05.08.2017. The Terminal has been acquired by JSW Infrastructure Ltd group on 13.11.2020 and renamed as M/s.Ennore Bulk Terminal Pvt. Ltd.



Multi Cargo Berth

vii) Liquefied Natural Gas (LNG) Import Terminal

IOCL, lead partner of JV, has set up the LNG Terminal with re-gasification facilities with capacity of 5 MTPA (expandable upto 10 MTPA). Re-gasification terminal consists of 2 Tanks each of gross capacity 1,80,000 m³. The Terminal was commissioned on 26.02.2019 and the cost of the project is Rs.3834.51 Crores.



Indian Oil LNG Terminal

9.0 PROJECTS UNDER IMPLEMENTATION

Development of following berths/terminals is underway:

- three more berths to handle Coal – 30 MTPA,
- two more berths to handle Liquid Cargo – 6 MTPA,
- one berth to handle Containers – 11.58 MTPA (600000 TEUs) and
- one berth for handling Automobile units /project cargoes – 3 MTPA

The aforesaid seven additional berths/terminals will add 50.58 Million Tonnes further to the existing capacity of 54.44 Million Tonnes thereby taking the total capacity to 105.02 Million Tonnes. The status of ongoing projects is as detailed below:

(i) Coal Berths 3 & 4 (18 MMTPA)

KPL constructed two additional Coal Berths (CB-3 & CB-4) at the request of TANGEDCO. The new Coal Berths having capacity of 9 MMTPA each can accommodate capesize vessel of 18m draft. KPL has handed over Coal Berth - 4 and Coal Berth - 3 to TANGEDCO during August 2018 and June 2019 respectively, for installation of top loading facilities like Unloaders, Conveyor System, etc. The mechanization of CB-3 & CB-4 is underway and is expected to be commissioned in 2023-24 and 2022-23 respectively.

(ii) Modification of Iron Ore Terminal on "as is where is basis" to also handle Common User Coal (12 MMTPA)

KPL had signed an agreement for an Iron Ore Terminal on a 30 years BOT basis in September 2006 with the Project Company SICAL Iron Ore Terminal Limited (SIOTL). The BOT operator had developed the first phase of 6 MMTPA during 2010-11. However, due to ban on export of Iron Ore, the Terminal was never put into use. Consequently, modification of existing Iron Ore Terminal on "as is where is basis" to also handle Common User Coal was approved and accordingly License Agreement was signed on 11.07.2016 between KPL and SIOTL.

However, due to the occurrence of financial default by the Concessionaire, M/s.SIOTL, 'Termination Notice' was issued by your Company to M/s. SIOTL on 22.03.2021 and the License Agreement was terminated on 19.06.2021. Various cases are filed before Hon'ble High Court of Madras & National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai. NCLT has declared M/s.SIOTL as Corporate Debtor on 01.03.2022 and Corporate Insolvency Resolution Process is on.

(iii) IOCL Captive Jetty (3 MMTPA)

Your Company has signed an agreement with Indian Oil Corporation Limited (IOCL) on 9.6.2016 for Construction of Captive Jetty to handle POL and LPG products. The estimated project cost is Rs.921 Crores. The capacity of the Terminal is 3 Million Tonnes per annum. Independent Engineer has been appointed by your Company. IOCL has selected M/s. ITD Cementations Ltd, Mumbai as the EPC Contractor for jetty construction on 31.01.2022. Your Company has allotted the land portion, water front and ROW for pipeline corridor to IOCL and has declared the Date of Award of Concession on 02.03.2022. Construction works commenced from July 2022. The expected commissioning of the jetty is by April 2024.

(iv) Marine Liquid Terminal – 2 (3 MMTPA)

In order to meet ever increasing demand for POL, KPL has initiated action for development of 2nd Marine Liquid Terminal consisting of berth and tankage facilities in DBFOT mode. The estimated project cost is Rs.393 Crores. The capacity of the Terminal is 3 MMTPA. After competitive bidding, KPL issued Letter of Award (LoA) to Consortium of BPCL-HPCL on 14.02.2018. Due to litigation by existing BOT operator of MLT-1, signing of Concession Agreement with the Concessionaire is pending.

(v) Container Terminal - Phase 1 (stage 2) (6,00,000 TEUs/11.58 MTPA)

The Concessionaire, M/s.AECTPL was to commence the Phase-II construction activities in January 2019. Concessionaire has raised Arbitration on multiple issues including Schedule of Stage II construction. Final Arguments are underway.

(vi) Automobile Export/ Import Terminal-2 (3 MMTPA)

Your Company has selected M/s.L&T Geostructure Pvt Ltd as EPC Contractor on 13.11.2021 to develop the 2nd Automobile Export/Import Terminal with estimated capacity of 3 MMTPA. The awarded project cost is Rs.149.36 Crores. Construction works commenced on 03.12.2021 and works are expected to get completed by 31.07.2023.



Foundation Stone laying ceremony for Automobile Export/ Import Terminal

10.0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

As a Corporate Port, functioning on "Landlord" model, your Port has to provide the basic infrastructure like road & rail connectivity, dredged basin/channel, marine services and other common utilities.

To ensure faster receipt and evacuation of cargo, your Company has initiated actions for effective internal network of road and rail as well as external connectivity to the National Highway and trunk railway routes as detailed below:

I. Road connectivity

(i) Internal Road Connectivity

To provide better road connectivity to the IOCL Regasification Terminal inside KPL, your Company has signed an agreement with TNRDC for construction of 2 lane concrete road at a cost of Rs.17.43 Cr. The total length of the road is 2.4 km. TNRDC has selected the contractor M/s.Roma Housing Pvt. Ltd. on 27.01.2021. Works are in progress and is expected to be completed by September 2022.

(ii) External Road Connectivity

(a) Southern Port Access Road

Present road connectivity of Kamarajar Port to the three National Highways (NH5, NH4 & NH45) is through the Port Access Road, the NCTPS approach road, Tiruvottiyur – Ponneri – Panchetty (TPP) Road, the Inner Ring Road (IRR) and the Chennai Bypass Road. Considering the increasing road traffic movement of import/export of cargoes, your Company has undertaken widening of the existing two lane road starting from Vallur Junction (TPP road) to your Port's Main entrance to four lane road and has entrusted the work on a turnkey basis to TNRDC for a cost of Rs.195 Crores.

The road works are being implemented by TNRDC in 2 stretches. Stretch-1 involves road widening/ improvement from Vallur Junction to NCTPS Junction for 4.8 km and Stretch-2 involves road improvement from NCTPS Junction to Port Main Gate for a length of 2.3 kms. Stretch-2 road portion was completed on 31.01.2022. Stretch-1 road work is in progress and is expected to be completed by end of December 2022.



Southern Port Access Road

(b) Northern Port Access Road

The Northern Port Access Road, which connects your Port to NH5 has a length of 21.148 km with a 4.35 km SPUR Road to the existing Chennai ORR. This Northern Port Access Road forms part of Section-1 of the Chennai Peripheral Ring Road (CPRR). The State Government vide G.O.(Ms) No.37 Highways and Minor Ports (HW2) Department dated 8.3.2019 has accorded Administrative Sanction for Rs.2673.42 crores for the formation of the road. JICA is the funding agency for this project. The project is being executed by TNRDC. M/s.Tata Projects was selected as the Contractor during September 2021. The awarded project cost is Rs.2122 Crores and the project duration is 36 months. Work commenced from January 2022 and is expected to be completed by December 2024.

II. Rail Connectivity

Presently, your Company is connected by rail to the mainline at Attipattu and Attipattu Pudunagar Stations located in the Chennai – Gudur Section of the Southern Railway on the Chennai – Delhi/Kolkata route. Your Company developed the railway facilities connecting the stackyards of the Coal and Iron Ore Terminals to the existing NCTPS railway line. Further, as part of obligations of your Company, Rail Connectivity to Container and Multi Cargo Terminals have been provided and is operational since October 2018.

To ease congestion in rail bound traffic, your Company has initiated actions for the following Rail Connectivity projects:

(a) Doubling of Southern Rail Connectivity

Your Company has entered into an agreement with M/s.Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (IPRCL) for doubling the existing single line rail connectivity from Holding yard No.1 to Container Yard at a project cost of Rs.86.50 Crores. The total length of doubling rail connectivity is 2.65 km.

M/s.IPRCL has awarded contracts for major and minor bridge construction and track formation works in 2 separate packages in December 2018 and November 2020 respectively. Works are in progress and are expected to be completed by December 2022.

(b) Northern Rail Connectivity

Northern Rail Link will connect Kamarajar Port to Northern side of Minjur Station i.e. Chennai - Gudur Railway mainline. Total length of the Northern Rail Link connectivity is 11.211 km. Your Company and Kattupalli Port agreed for 30m ROW (15m each) out of 100m ROW being acquired by Government of Tamil Nadu for NPAR.

Your Company has considered this NRL project as a long term project and is in discussion with State Government for acquiring the lands for takeoff from the Main line near Minjur as and when the need for the project arises.

(c) Onetime Upgradation of KPL and NCTPS Railway lines

Your Company has entered into an agreement with Indian Port Rail & Ropeway Corporation Limited (M/s.IPRCL) for onetime up gradation of KPL tracks (Holding yard I, II & KPCA) and NCTPS Railway tracks (Common railway track) including modification work (P.Way, OHE and S&T) in Holding yard II. The total upgradation length of rail connectivity is 26.38 km at an estimated cost of Rs.27.37 Crores.

M/s.IPRCL awarded the contracts for P.Way and OHE work. The execution of P.Way and OHE work is in progress and is expected to be completed by end of December 2022.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS

Your Company continues to maintain cordial and harmonious industrial relations during the year 2021-22. No man days were lost during the year due to any strike or stoppage of work. The labour situation at the port was normal.

12.0 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

12.1 Manpower

The manpower details with respect to all employees as on 31.03.2022 are given below:

	SC	ST	OBC	Others	Total
Officers	12	3	26	19	60
Staff	9	1	18	6	34
Total	21	4	44	25	94

12.2 Representation of SCs/STs/OBCs and Minorities

Your Company meticulously follows the Presidential Directives and orders of the Central Government from time to time on reservation of posts/benefits in favour of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities etc. SC employees constitute 22% of total manpower and ST employees constitute 4% of total manpower.

Liaison Officers for SC/ST and OBC have been appointed to ensure compliance and implementation of the reservation orders in the organization.

12.3 Training

Your Company has always been showing keen interest in imparting training to its employees to keep them abreast of the knowledge in their related fields. Towards this end, 198 man days of training was imparted to the employees during the year and an expenditure of Rs.8.66 lakhs (approx.) was incurred by your Company.

Some of the training programmes attended by the employees during the year are PFSO Course, Dangerous Goods and Safety Management, CSR guidelines, Safety related, ISO 45001 in Ports, Financial Management, IMDG Code, Dredging management, IT & Technologies, Companies Act /Rules regulations, Hindi Workshops, etc.

12.4 Grievance Redressal Mechanism

Your Company has in place a grievance redressal procedure for Executives as well as Non-executive employees. No grievance was received during the year under review.

13.0 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

Your Company gives utmost priority to Health, Safety and Environment and is committed to provide a safe and healthy work environment for all stakeholders viz. users, contractors & employees.

Your Company met the requirements of all applicable legislation and regulations in the workplace and ensured the same from the Terminal Operators and Contractors/Sub contractors engaged.

Your Company is running an Occupational Health Centre (OHC) equipped with trained paramedical staff on 24x7 basis along with one medical practitioner in general shift on all working days and ambulance service round the clock (24 x 7) basis to provide the first aid during emergency to the employees of the Company and other Terminal Operators and Port users.

As health and safety in the workplace is a shared responsibility and workers are expected to exercise and promote good safety practices, your Company has organized a health awareness training camp by Occupational Health Centre Doctor at Port Administrative Office on 9.3.2022.

Your Company has complied with the protocols of COVID-19, to mitigate the adverse health issues to direct/indirect personnel and to ensure safe operations inside your Company. Your Company also conducted periodical health check-ups, medical camps to employees and other stakeholders.

To sensitize employees, stakeholders and Port users about improvement of health and safety performance in your Company, National Safety Week was celebrated in your Company.



Safety Week Valedictory Function

Your Company has conducted in-house training programmes on Fire fighting for Port users, mock drills at berths and mutual aid drills with neighbouring industries namely IOCL, BPCL, IPPL.

The built-in safety gadgets are regularly inspected and certified. Strict vigil is maintained for ensuring the use of proper PPE during the work.

As a good industry practice, your Port has

- engaged Oil Industry Safety Directorate (OISD) for safety audits of berths handling POL products/LNG.
- engaged National Safety Council for safety audits and follow-up audits for the berths/ terminals/ storage facilities handling non-flammable products.

Steps have been undertaken towards green initiatives, to sustain an eco-friendly and green port. Your Company is regularly monitoring the environment. Port has engaged M/s. Hubert Enviro Care Systems (P) Ltd, a NABL accredited/MoEF&CC recognized laboratory for sampling and testing of various environmental parameters like ambient air, marine water quality, sediment and noise. The environmental quality reports are regularly forwarded to the State Pollution Control Board.

Your Company, as part of compliance towards fulfilling the requirements of MARPOL regulations, has empanelled four Nos. of Tamil Nadu Pollution Control Board approved Recyclers of waste oil for collection and disposal of ship generated oily wastes. Your Company has appointed a contractor for collection, segregation and disposal of solid wastes generated from the ships and inside port. The segregated wastes are sent to Pollution Control Board approved Recyclers for further beneficial use.

Your Company has observed the Coastal Clean-up Day on 18.9.2021 by cleaning the seashore area to highlight the importance of clean environment.

14.0 DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013 AND WOMEN EMPOWERMENT

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been implemented in the Company with the aim of providing protection to women against sexual harassment at workplace and for prevention and redressal of complaints. No case of any harassment has been reported at any time in your

Company and specifically no complaints of sexual harassments were received during the year 2021-22.

As on 31st March 2022, there are a total of 17 women employees on Company rolls, of whom about 5% are in staff cadre and about 12% are in officers cadre. International Women's Day was celebrated on 8th March 2022 with active participation of women employees in various games and programmes.



Lecture on Stress Management to women employees on Women's Day

15.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company as a responsible Corporate citizen has undertaken projects in line with adopted CSR Policy and Companies Act, 2013. CSR Annual Report containing the requisite disclosures relating to composition of the CSR committee, CSR policy and initiatives taken during the year on CSR are enclosed as **Annexure - II** and forms part of the Board's Report.

16.0 PUBLIC PROCUREMENT POLICY

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has notified Public Procurement Policy which is applicable for CPSEs. Though your Company has ceased to be a CPSE, your Company has procured more than 95% of annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises (including MSE's owned by SC/ST entrepreneurs) out of total procurement.

17.0 RISK MANAGEMENT POLICY

Company has adopted Risk Management Policy to provide a framework to identify, assess and manage potential risks and opportunities. It provides a way for managers to make informed management decisions.

Some of the objectives of a Risk Management Framework are given below:

- A focused approach in identifying the obstacles & managing them to help the Organization perform better.

- Introduce a structured risk management initiative across the Organization to identify potential risks that may adversely affect the objectives of the Organization, plan for their mitigation with specific responsibilities assigned.
- Improve strategic decision making.
- Improve business performance.
- Reduce operational surprises and losses.
- Improve deployment of capital.
- Provide a sound basis for integrated risk management and internal control as components of good corporate governance;

The risks are identified, evaluated and mitigating plans are reviewed and monitored from time to time.

18.0 WHISTLE BLOWER POLICY

Your Company has put in place a "Whistle Blower Policy" for employees to report to the management instances of unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy by adopting highest standards of professionalism, honesty, integrity and ethical behavior. No complaints have been received under the Policy during the year. The Whistle Blower Policy has been hosted on the website of KPL <https://www.kamarajairport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>.

19.0 NOMINATION AND REMUNERATION POLICY

Pursuant to provisions of the Companies Act, 2013, the Nomination and Remuneration Committee has formulated a policy on appointment of directors, remuneration of Directors, other employees including Key Managerial Personnel. The Nomination and Remuneration Policy is available in the weblink <https://www.kamarajairport.in/content/innerpage/manuals.php>

20.0 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company is complying with the Right to Information Act, 2005 and has designated a Public Information Officer, and an Appellate Authority to look after the compliances of RTI Act, 2005. The information required to be provided as per Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005 has been posted on the website of the Company www.kamarajairport.in.

During the year, 46 applications and 2 appeals were received. The same were attended to and disposed off within the stipulated time.

21.0 INFORMATION TECHNOLOGY

Your Company has always been at the forefront in technology adoption for better business process management and providing value to the business. Your

Company has undertaken many IT initiatives to carry out all business processes and service delivery through IT systems and IT enabled services and realized the digital transformation propounded by the Government of India. Your Company maintained more than 99 percent uptime of SAP operations during the year.

Contract was awarded to M/s.Indium Software (India) Limited for development of POMS and Business Interface Portal for the Customers & Vendors to interact electronically with your Company. This project covers the entire Port Operations, including vessels, cargoes, port crafts, etc and seamlessly merge various port operations in a single IT system. This project is expected to go live by end of August 2022.

22.0 IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Your Company made focused efforts for the propagation and implementation of the official language policy of the Government of India as detailed under

- Employees were encouraged to attend online Hindi classes and were incentivized on successful completion of Prabodh, Praveen and Pragya Exams held during May/Nov 2021.
- Official Language Implementation Committee meetings headed by CMD were held every quarter to ensure effective implementation of Rajbhasha.
- Hindi workshops were conducted every quarter and Hindi day was celebrated for a fortnight from 01.09.2021 to 14.09.2021.
- Consequently about 32 employees have gained working knowledge in Hindi and have been entrusted with the task of implementing the Official Language in their departments.



Hindi Workshop conducted jointly with Chennai Port Authority

On the occasion of Hindi Diwas, Dr. Sudha Trivedi, M.A., M.Phil, Ph.D., Coordinator-Faculty of Languages, MOP Vaishnav Mahila Mahavidyalaya (Autonomous),

Chennai, the Chief Guest, in her speech, explained and highlighted the importance of the use of knowledge of Hindi in the context of the people of Tamil Nadu. Expressing happiness over the increasing use of official language in Kamarajar Port, Dr. Sudha Trivedi distributed prizes to the winners of various competitions organized on the occasion.

Shri Sunil Paliwal, Chairman & Managing Director of Kamarajar Port, in his address, said that knowledge of languages is very beneficial while emphasizing on the maximum use of official language.



Presentation of Cash Award for usage of Hindi Language in Official Work

23.0 BOARD OF DIRECTORS

a) Changes in Directors & Key Managerial Personnel

Changes in Board of Directors during the FY 2021-22:

- Pursuant to Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter dated 21st September, 2021 communicating that Shri P. Raveendran will stand relieved from the post of Chairperson, Chennai Port Authority w.e.f 29.09.2021, Shri P. Raveendran a Nominee Director of Chennai Port Authority ceased to be on the Board of your Company w.e.f. 30.09.2021.
- Pursuant to acquisition of entire equity shares and the management control of your Company, Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority) vide Letter No.A3/5944/2021/GA dated 5.11.2021, communicated nomination of Shri Sunil Paliwal, IAS, CMD of KPL:
 - as Chairman of KPL from the date he assumes charge as the Chairman of Chennai Port and
 - to act as MD, KPL (as an interim measure), from the date he assumes charge as Chairman of Chennai Port and until such time, regular MD for KPL is appointed by Chennai Port.

- Subsequent to Shri Sunil Paliwal, IAS assuming charge as Chairman, Chennai Port Authority w.e.f 10th November, 2021, he has become the Non Executive Chairman and Managing Director in Charge of KPL w.e.f 10.11.2021.

Pursuant to Section 152 of Companies Act, 2013, Shri S. Balaji Arunkumar, Nominee Director, will retire by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible offers himself for reappointment.



Visit by Directors to KPL

b) Details of Meetings of the Board/Committees and Composition

Details of Meetings of the Board/Committee and composition are given in the Corporate Governance Report that forms part of this Annual Report. All the recommendations of the Committees have been accepted by the Board.

c) Annual Evaluation

In terms of Section 134(3)(p) of Companies Act, 2013, annual evaluation of the individual Directors, performance of the Board as a whole, its Committees was carried out by the directors. An evaluation criteria questionnaire was circulated to all the Directors on various parameters like level of participation and devotion of enough time.

24.0 DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Your Company has received necessary Declaration from each of the Independent Directors of the Company during the year 2021-22 conforming that they meet the criteria of Independence as prescribed under Section 149(6) of Companies Act 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015.

25.0 VIGILANCE

During the year under review Shri Pradeep Kumar, IRSME, Chief Vigilance Officer (CVO), Vishakapatnam Port Trust, was holding additional charge of CVO, KPL from 18.02.2021. Subsequently, with effect from 25.04.2022, Shri S.Murali Krishnan, IDAS, Chief Vigilance Officer, Chennai Port Authority is holding additional charge of CVO, KPL and is assisted by a Sr.Manager from Operations Department.

The Vigilance Division scrutinizes the documents with respect to the work contracts executed by various departments. Procedural lapses, deviations from tendering norms and shortcomings in contract works are pointed out to the concerned departments for corrective actions and system improvements. The recovery of money is also advised in fitting cases.

The CVC guidelines/notifications are circulated to the departments. The Annual Immovable Property Returns submitted by the officers of KPL are scrutinized by the Vigilance Division. Clarifications are sought for the abnormalities, if any, from the concerned officers/staff. The Audit reports are studied at Vigilance Division and departments are advised to take necessary corrective action, wherever required.

25.1 Vigilance Awareness Week, 2021

As per Central Vigilance Commission's direction Kamarajar Port Limited observed Vigilance Awareness Week from 26.10.2021 to 01.11.2021 on the theme of "**Independent India@75:Self Reliance with Integrity**". Essay and Slogan writing competitions were held with the active participation from KPL staff. A special lecture was organized on integrity related topics to create more awareness. Due to Covid-19 Pandemic, as per CVC's advice, various Internal Housekeeping activities were carried out in campaign mode as part of the Vigilance Awareness Week 2021.



Prize Winners of competitions for school children during Vigilance Awareness Week

25.2 Adoption of Integrity Pact

The Central Vigilance Commission has been promoting Integrity, transparency, equity and competitiveness in Government/PSU transactions as a part of vigilance administration and superintendence. Public procurement is a major area of concern for the Central Vigilance Commission and various steps have been taken to put proper systems in place.

The Commission has recommended adoption of Integrity Pact and provided basic guidelines for its implementation in respect of major procurements in the Government Organisations. The Pact envisages an agreement between the prospective vendors/bidders and the Employer/Principal to ensure that the persons/officials of both parties do not exercise any corrupt influence on any aspect of the contract. Integrity Pact covers all phases of the contract i.e from the stage of Notice Inviting Tender (NIT) till the conclusion of the contract. Integrity Pact has been implemented in the PPP projects and other contract works by your Company as advised by the Ministry of Shipping. The threshold value fixed by your Company for contracts/procurement to be covered under Integrity Pact is Rs.1 Crore and above and all the Departments were advised to incorporate Integrity Pact clause in the tender documents for works/procurements having threshold value of Rs.1 Crore. Further the Commission has recommended for the appointment of Independent External Monitors (IEMs) for monitoring the works covered under Integrity Pact. On expiry of the tenure of Shri V. Kannan, Former CMD, Vijaya Bank and Shri R.Kuppan, IRSME, Former Principal Chief Mechanical Engineer, CVC has appointed the following two new IEMs for implementing the Integrity Pact in KPL on 20.5.2021:

- 1) Shri Virendra Narayan Gaur, IAS (Retd).
- 2) Shri Ashwani Kumar, Former CMD, Dena Bank,

The IEMs reviewed the works having a threshold value of Rs.1 crore in KPL during the year.

25.3 IEM's review meeting

As per Standard Operating Procedure of CVC, review meetings are being conducted by inviting stake holders of KPL. During the meeting, IEM's resolve the issues raised by the contractors/vendors/Consultants if any within the purview of IEMs.

26.0 NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

During the year no Company has become or ceased to be its Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

27.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors state that:-

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28.0 DISCLOSURE AS PER SECTION 197 OF THE COMPANIES ACT AND THE REQUIREMENTS OF COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014.

The requisite details pursuant to provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013, read with the Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, forms part of Board's Report and is Annexed to this Report as Annexure - III.

29.0 AUDITORS

Pursuant to the provisions of Section 139 of the Companies Act, 2013, the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. B.Thiagarajan & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors of the Company for auditing the books of accounts of the Company for the period ended 31st March 2022.

29.1 Statutory Auditors' Report

The Statutory Auditor of the Company, M/s. B.Thiagarajan & Co., Chartered Accountants, have given an unqualified report on the accounts of the Company for the financial year 2021-22. The Emphasis of matters and Notes on financial statement referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and do not call for any further comments.

29.2 Review of Accounts by Comptroller and Auditor General of India

Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) reported that "nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report". A copy of the report of C&AG is annexed to the Board's Report.

30.0 SECRETARIAL AUDIT

M/s.S.Dhanapal & Associates, Practicing Company Secretaries was appointed to conduct Secretarial Audit of your Company for the Financial Year 2021-22. The Secretarial Auditor's have given an unqualified report and the report is enclosed as **Annexure – IV**.

31.0 SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS

There are no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.

32.0 ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 92(3) and Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the Annual Return is available in the following link <https://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>.

33.0 DEBENTURE TRUSTEE

Your Company had appointed M/s. SBICAP Trustees Company Ltd. and M/s.Catalyst Trusteeship Ltd. (formerly known as GDA Trusteeship Ltd.) as Debenture Trustees for Tax Free bonds issued during the Financial Years 2012-13 and 2013-14 respectively.

34.0 REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO.

In accordance with the provisions of Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 information regarding Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo enclosed as **Annexure – V** to this report.

35.0 REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A voluntary report on Corporate Governance for the year ended 31st March 2022 is enclosed as **Annexure - VI** to this report.

35.1 Secretarial Standards

Your Company is in compliance with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2).

35.2 Cost Records

The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the Company.

36.0 ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors would like to place on record their gratitude for the support and guidance received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and Chennai Port Authority and appreciates the co-operation received from TANGEDCO/TNEB, TNPCB, GoTN and Gol, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indian Port Association, Ministry of Finance and Indian Railways/Southern Railways.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support and cooperation received from the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors and Secretarial Auditor. Last but not least, your Directors thank the Port Users, BOT Concessionaires, Contractors and Bankers for their continued support and assistance and wish to place on record their appreciation of the continued excellent work done by all the employees of the Company during the year.

For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman & Managing Director
(DIN: 01310101)

Place : Chennai
Date : 11.08.2022

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of Section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis- Not Applicable.

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions
- (c) Duration of the contracts /arrangements/transactions
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any-
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions
- (f) Date(s) of approval by the Board-
- (g) Amount paid as advances, if any:
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship- Chennai Port Authority
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions

Allotment of covered space to an extent of 267 sq.m. at Ground floor – North wing of Jawahar Building on Upfront Premium and on Long Term Lease Basis to Kamarajar Port Limited.
- (c) Duration of the contracts /arrangements/transactions

Upto 31st August 2045 (to be Co-terminus with main lease period of 2nd & 3rd Floors in Jawahar Building.)
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:
 - Payment of Rs.6,36,27,433/- as Upfront Premium for the allotted office space. The lease rent is fixed as Rs.740/- per sq.m. per month or part thereof.
 - Payment of Security Deposit of Rs.48,01,194/- equivalent to two years of Annual Lease Rent, which is refundable.
 - In addition to the above, nominal lease rent of Re.1/- per sq.m. / per year with applicable taxes shall be payable by KPL for the currency of lease period.
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any: 25th June 2021.
- (f) Amount paid as advances, if any: No
- (g) Justification for entering into the Contract:

This is in line with the direction given {at the time of finalizing the strategic roadmap for Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority) and KPL after the disinvestment in KPL by GoI} that in utilization of resources, decision should be based on the principle of minimizing the combined cash outflow, or combined financial gain.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-

**Sunil Paliwal, I.A.S.,
Chairman & Managing Director
(DIN: 01310101)**

**Place : Chennai
Date : 11.8.2022**

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FINANCIAL YEAR 2021-22

[Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 ('the Act') & Rules made thereunder]

1. Brief Outline of Company's CSR Policy

KPL consistently strives to meet the expectations of the society by supporting initiatives for improving infrastructure/ quality of life of society / community without compromising on ecological issues on sustainable basis consistent with the CSR provisions of the Companies Act, 2013, Schedule VII of the Companies Act, 2013.

KPL, as a socially responsible Corporate Port endeavours to

- promote and leverage green technologies to produce goods and services that contribute to social and environmental sustainability
- take up on priority, CSR projects which are in the National Development agenda like safe drinking water, provision of Toilets especially for girls, health and sanitation and education, etc., with the main focus to address the basic needs of the deprived, under privileged and are in line with CSR rules and the policy directions issued by the Government from time to time.

2. Composition of CSR Committee

Sl. No.	Name of the Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of Meetings of CSR Committee held during the year	Number of Meetings of CSR Committee attended during the year
1	Shri Sunil Paliwal	Chairman/C&MD	5	5
2	Shri P. Raveendran* (Upto 30.09.2021)	Member/Nominee Director	2	2
3	Shri S. Balaji Arunkumar	Member/Nominee Director	5	5
4	Shri V.M.V. Subba Rao	Member/Non Official Independent Director	5	5

*Consequent to Shri P.Raveendran ceasing to be a director on the Board w.e.f. 30.09.2021, he ceased to be a member in the CSR Committee

3. Provide the web link where composition of CSR Committee and CSR Projects approved by the Board are disclosed in the website

Composition of CSR Committee link: <https://www.kamarajairport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>
 CSR Projects Link: <https://www.kamarajairport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. Provide the details of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, If applicable (attach the report)

Not Applicable

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, and the amount required for set off for the financial year, if any

Sl.No.	Financial Year	Amount available for set off from preceding financial years (In.Rs.)	Amount required to be set off for the financial year if any (In.Rs.)
1	2020 - 21	17,97,160/-	17,97,160/-*
	Total	17,97,160/-	17,97,160/-

*In the Annual Report 2020-21, the amount available for set off was disclosed/shown as Rs.18.25 lakhs which was arrived at, based on "rounding off". However, as auto corrected figure/value in Form CSR-2 filed with MCA (notified on 11.02.2022) works out to Rs.17,97,160/- the amount of Rs.17,97,160/- only is taken for setoff.

6. Average Net profit of the Company as per Section 135 (5): Rs.362.56 Crores.
7. a) Two percentage of average net profit of the Company as per Section 135 (5):
Rs.7,25,11,720/-
- b) Surplus arising out of CSR Projects or Programmes or Activities of the previous financial years :
NIL
- c) Amount required to be set off for the financial year, if any : Rs.17,97,160/-
- d) Total CSR Obligation for the financial year (7a + 7b – 7c) : Rs.7,07,14,560/-

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the financial year (Rs. in Cr.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per Section 135(6)		Amount transferred to any fund specified in Schedule VII as per second provision to section 135(5)		
	Amount (Rs. in Cr.)	Date of transfer	Name of the fund	Amount	Date of Transfer
5.5743608	1.4970952	30.04.2022	NA	NA	NA

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
				Location of the project	Project Duration						Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Name	CSR Registration No.
Sl. No.	Name of the project	Item from the list of activities in Schedule VII in the Act	Local Area (Yes/No)	State	District								
1	Construction of Additional Class rooms at Loganatha Narayana swamy Govt. Arts College, Ponnери (Autonomous) under CSR of KPL	ii) Promoting Education	Yes	TN	Tiruvallur	3	100.00	15.26548	84.73452	Yes	NA	NA	
2	Construction of School building facilities at Primary School ETPS, and at High School, Chinna Sekkadu Village	ii) Promoting Education	Yes	TN	Tiruvallur	3	32.00	0	32.00	No	Greater Chennai Corporation		CSR00027306
3	Contribution to the District Collector, Tiruvallur for Infrastructure works for the FY 2021-22	x) Rural development projects	Yes	TN	Tiruvallur	2	131.9	98.925	32.975	No	DRDA Tiruvallur		CSR00008203
TOTAL							263.9	114.19048	149.7095				

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	Item from the list of activities in Schedule VII in the Act	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
				Local Area (Yes/No)	Location of the project			Mode of Implementation Direct (Yes/No)	Mode of implementation - through implementing Agency
			(State)	(District)				Name	CSR Registration No.
1	Contribution of Rs.50 lakhs towards creating Additional Health Infrastructure in Ponneri and Gummidi poondi	i) Promoting health care	Yes	TN	Tiruvallur	50.00	No	DRDA Tiruvallur	CSR00008203
2	Contribution of Rs.105 lakhs towards providing Medical equipment to Government Stanley Hospital & Medical College for Covid Care facilities under CSR	i) Promoting health care	Yes	TN	Chennai	105.00	No	Government Stanley Hospital & Medical College	CSR00032439
3	Contribution of Rs. 101 lakhs towards Upgrading the Infrastructural facilities of OPD Block at IOG & Government Hospital for Women and Children, Chennai.	i) Promoting health care	Yes	TN	Chennai	101.00	No	IOG & Government Hospital for Women & Children Chennai	CSR00032447
4	Contribution of Rs.55.79 lakhs was made towards the development of Dedicated Mental Health Research Cell, at the Institute of Medical Health, Kilpauk	i) Promoting health care	Yes	TN	Chennai	55.79923	No	Institute of Medical Health Kilpauk	
5	Contribution to Chennai Port and Dock Educational Trust Higher Secondary School, Tondiarpet.	ii) Promoting Education	Yes	TN	Chennai	100.00	No	Chennai Port and Dock Educational Trust	CSR00022490
6	Contribution of Rs.5 lakhs towards Armed Forces Flag Day Fund	vi) Measures for the benefit of Armed Forces	No	NA	NA	5.00	No	DRO, Tiruvallur	CSR00011199
7	Contribution to the District Collector, Tiruvallur- Additional amount towards increase in estimate for the construction of shed for ECOMAT Machines.	x) rural development projects	Yes	TN	Tiruvallur	24.04	No	DRDA Tiruvallur	CSR00008203
8	Contribution to the District Collector, Tiruvallur- Additional amount towards increase in estimate for the construction of PUES Building in Vempakkam @ Ponneri Municipality Panchayat.	x) rural development projects	Yes	TN	Tiruvallur	2.30	No	DRDA Tiruvallur	CSR00008203
9	Contribution to Swach Bharat Kosh	i) Contribution to Swach Bharat Kosh	NA	NA	NA	0.10637	No	Government of India	NA
TOTAL						443.24560			

(d) Amount spent in Administrative Overheads : NIL

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : NIL

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) : Rs.557.43608 lakhs

(g) Excess amount for set off, if any :

Sl.No.	Particulars	Amount (Rs. in Crores)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	7.0714560
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	5.5743608
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	0
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	0
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	0

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl.No.	Preceding Financial Year	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (Rs. in Crore)	Amount spent in the reporting Financial Year (Rs. in Crore)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any			Amount remaining to be spent in succeeding financial Years (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs.).	Date of transfer	
1	2020 - 21	2.8337640	1.9983890	NA	NA	NA	83,53,750/-

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID*	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project duration (in years)	Total amount allocated for the project (Rs. in lakhs)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (Rs. in lakhs)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year (Rs. in lakhs)	Status of the project Completed /Ongoing.
1	Providing Early Childhood Digital Quality Education to Rural Girl Children studying in 3 Govt. Primary Schools through M/s Haselfree Foundation.		2018 - 19	3	50.00	20.00	50.00	Completed
2	Construction of two classroom building for Government High school, Eraviputhur		2019 - 20	2	26.00	18.20	26.00	Completed
3	Construction of 85 Anganwadi toilets in Virudunagar District		2019 - 20	2	27.20	20.40	27.20	Completed
4	Construction of public male and female toilets at Government Hospitals in Virudunagar District		2019 - 20	2	15.00	3.75	15.00	Completed
5	Construction of Buildings at 6 anganwadi centres in Virudunagar District		2019 - 20	3	65.00	46.21250	46.21250	Ongoing
6	Solid Waste Management at Ennore through Greater Chennai Corporation.		2019 - 20	3	59.00	44.25	44.25	Ongoing
7	Construction of Additional Classrooms in Loganathan Narayanaswamy Govt. Arts College.		2019 - 20	2	50.00	47.02640	50	Completed
8	Providing Sports facilities in the Loganathan Narayanaswamy Govt. Arts College.		2019 - 20	3	50.00	0	0	Ongoing
TOTAL				342.20	199.8389	258.6625		

* Project IDs are generated only on filing of CSR-2. As CSR-2 was notified only on 11.02.2022, the same is not applicable.

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details)

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

Not Applicable

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

Not Applicable

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

Not Applicable

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

Not Applicable

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5)

Not Applicable

Sd/-

(Chairman & Managing Director)

Sd/-

(Chairman, CSR Committee)

Information under Section 197 of the Companies Act, 2013

Read With Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

1. The ratio of the remuneration of each director to the median remuneration of the employees of the Company for the financial year –

See Note

2. The percentage increase in remuneration of each director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;

Sl. No.	Name	Percentage
1	Shri Sunil Paliwal - CMD	See Note
2	Shri M. Gunasekaran, CFO	21.7 %
3	Smt. Jayalakshmi Srinivasan, CS	11.3 %

3. The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year

	CY	PY	Percentage
Median Remuneration	1169461.87	1078549.63	8.43 %

4. The number of permanent employees on the rolls of Company:

The total number of permanent employees on the rolls of the Company as on 31st March 2022 is 94.

5. Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration.

Average percentage increase in remuneration including key managerial personnel during the financial year has been in the range of 5 - 10% excluding CMD. As per the policy of the Company, the annual increment in basic pay of the employees of the Company is 3%. The Dearness Allowance is increased as per Government rules. Further the Performance related payments are paid as per the applicable rules depending on the performance of the Company during the relevant year

6. Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Company.

The remuneration to all employees of the Company is as per the Remuneration Policy of the Company.

7. The particulars for the year 2021-22 as required to be disclosed under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules 2014.

No employee earned beyond the limits prescribed therein.

Note: Shri Sunil Paliwal was CMD of the Company till 09.11.2021. Pursuant to assuming charge as Chairman of Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority) no remuneration is being paid to him w.e.f 10.11.2021. Consequently the ratio cannot be determined.

Top ten employees in terms of remuneration drawn

S. No.	Name & Designation	Remuneration received (Rs.)	Qualifications & Experience	Date of Commencement of employment	Age	Last employment held
1	Shri Sanjay Kumar, General Manager (CS&BD)	54,91,653/-	B.Sc Physics with 35 years of experience in various capacities.	03-05-2005	59	CISF
2	Shri M. Gunasekaran, GM (Finance)	47,78,839/-	M.Com, AICWAI, ACS with 36 years of experience in various capacities.	28-11-2001	59	BSES Kerala Power Ltd.
3	Shri P. Radhakrishnan DGM (Civil)	41,66,404/-	BE (CIVIL) & M E Management with 36 years of experience in various capacities.	12-12-2007	59	Mecon Ltd
4	Shri Sunil Paliwal, Chairman & Managing Director (Upto 09.11.2021)	37,46,158/-	B.Tech (Comp.Sci), MS (Comp Science) & MBA with 29 years of experience in various capacities.	16-09-2019	54	State Government, Labour & Employment Department
5	Shri C.S. Vemanna, Chief Manager (Finance)	34,35,234/-	B COM, AICWAI, Dip in Fisheries Tech & Navigation Engg & MBA with 31 years of experience in various capacities.	05-03-2012	54	IOCL
6	Shri G.M. Balan, DGM(MS)	32,12,654/-	B.SC PHYSICS & MASTER – FG with 25 years of experience in various capacities.	16-08-2013	49	LP Logistics Pvt. Ltd
7	Shri S.P. Desikamani, Chief Manager (Dock Master)	30,66,482/-	BSC/Master FG with 30 years of experience.	27-04-2018	51	West Asia Maritime Limited
8	Shri C. Uma Shankar, Chief Manager (Marine Services)	30,51,507/-	B.E.(Mechanical)/Master FG with 30 years of experience.	02-05-2018	54	DP World Chennai Container Terminal
9	Shri P. Om Pragesh Sr. Executive Secretary	29,03,111/-	B.COM, MBA, PGDM(PM) with 28 years of experience.	25-02-2002	49	Central Government, Ministry of Shipping
10	Shri A. Karuppiah Chief Manager (Traffic)	28,99,532/-	B.E.(Civil) & M.Tech (Ocean Engineering) with 25 years of experience.	01-02-2007	55	Chennai Port Authority

Note:

- (i) Nature of Employment: All were employees in the roles of the Company till the period indicated.
- (ii) No employee is holding equity share in the Company except Shri Sunil Paliwal, C&MD and Shri M. Gunasekaran, General Manager (Finance) who are holding 1 equity share each as Nominees of Chennai Port Trust (Now Chennai Port Authority).
- (iii) No employee is a relative of any Director or Manager of the Company.

Suite No.103, First Floor, Kaveri Complex No.96/104, Nungambakkam High Road
 (Next to NABARD & ICICI Bank), Nungambakkam, Chennai – 600 034
 Phone No.044-45530256, 4553 0257/4265 2127
 E-mail: csdhanapal@gmail.com, website: www.csdhanapal.com

S Dhanapal & Associates

Practising Company Secretaries

Partners

S. Dhanapal, B.Com., B.A.B.L., F.C.S

N. Ramanathan, B.Com., F.C.S

Smita Chirimar, M.Com., F.C.S, DCG(ICS)

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2022

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies
 (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

KAMARAJAR PORT LIMITED

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. KAMARAJAR PORT LIMITED**, (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted based on records made available to us, in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion/ understanding thereon.

Based on our verification of the Company's Books, Papers, Minute Books, Forms and returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us and also the information provided by the Company, its Officers, Agents and Authorized Representatives during the conduct of Secretarial Audit, we, on strength of those records, and information so provided, hereby report that in our opinion and understandings, the Company, during the audit period covering the financial year ended on **March 31, 2022**, appears to have complied with the statutory provisions listed hereunder and also in our limited review, the Company has proper and required Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the Books, Papers, Minutes' Book, Forms and Returns filed and Other Records maintained by the Company and made available to us, for the financial year ended on **March 31, 2022** according to the applicable provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder and the Companies Act, 1956 and the rules made thereunder as applicable;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings to the applicable extent.
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI ACT'):-

 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

- (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 w.e.f. 10.06.2021;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018
- (vi) Acts, Rules and Regulations relating to Port Management and related activities as identified by the Management and communicated to us.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2), and
- ii) The Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited and The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Company has complied in accordance with the requirements to be met with the applicable provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above to the required extent.

It is represented to us that the Company has initiated measures, wherever required, to address issues raised by the Statutory Authorities and Letters/ Notices received by the Company during the financial year under various enactments as applicable to the Company.

We further report that, subject to the above, the related documents that we have come across depict that:

The Board of Directors of the Company is constituted as applicable with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent

Directors and the changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, Agenda and detailed notes on Agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, if any.

We further report that based on our limited review of the compliance mechanism established by the Company, there appear adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Company has not sought the approval of its members for any business other than ordinary business at the Annual General Meeting.

We further report that, creation of charge in favour of the Company on the security provided with respect to 'Advances to employees' which have been categorized as secured in the financial statements is in progress.

We further report that our Audit was subjected only to verifying adequacy of systems and procedures that are in place for ensuring proper compliance by the Company and we are not responsible for any lapses in those compliances on the part of the Company.

We further report that we have conducted the Secretarial Audit wherever required through online verification and examination of records, as requested and facilitated by the Company, due to prevailing COVID situation for the purpose of issuing this Report.

For S DHANAPAL & ASSOCIATES
(A Firm of Practicing Company Secretaries)

Peer Review Certificate No. 1107/2021
Sd/-

N. RAMANATHAN (Partner)
FCS 6665 CP NO. 11084
UDIN: F006665D000782011

Place: Chennai
Date: 11.8.2022

This Report is to be read with our testimony of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

To

The Members,
Kamarajar Port Limited
 (erstwhile Ennore Port Limited)
Chennai

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial Record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial Records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. We believe that the processes and

practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
4. Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

FOR S DHANAPAL & ASSOCIATES
 (A firm of Practicing Company Secretaries)
 Peer Review Certificate No. 1107/2021

Sd/-

N. RAMANATHAN (Partner)

FCS 6665 CP NO. 11084

UDIN: F006665D000782011

Place: Chennai
Date: 11.08.2022

INFORMATION UNDER SECTION 134(3)(m) OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 8 OF THE COMPANIES (ACCOUNTS) RULE, 2014

A) Conservation of Energy:

(i) Steps taken or impact on conservation of energy:

To ensure effective utilization of electrical energy, Energy Audit was conducted by M/s. Greenserve Energy and audit report was obtained during June 2020. Pursuant to the recommendation of the Auditor, following conservation measures were taken:

- Arresting of Air conditioner duct leakages inside false ceiling in both 2nd and 3rd floors of Jawahar Building at Trade Facilitation Center.
- Existing 20 KW solar power plant in signal station with storage system is in the process of being renovated
- Installing new substation near signal station is underway which will help in reduction of distribution losses.

Impact:

- Energy Efficient.
- Environment friendly.
- Reduction in distribution losses and conserve energy.

(ii) Steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy:

Around 10,200 KWh (Units) of power has been generated through Diesel Generator and around 33,288 KWh (Units) of power has been generated through solar and the same has been utilized during the year 2021-22.

The following steps have also been taken for setting up of solar power plant inside the port.

Solar Energy:

Work has been awarded to L1 bidder M/s.Eurja Infrastructure, Mumbai on 04.02.2022 @ Rs.4.29/Kwh (unit) (being First Year Tariff) plus applicable GST for installation of 300KW Solar Power Plant on RESCO model. The work is in progress and the same will be completed before end of September 2022.

(iii) Capital Investment on energy conservation equipments:

Nil.

Place: Chennai

Date : 11.08.2022

B) Technology Absorption:

(i) SAP ERP System

SAP S/4 HANA 1610 ERP system implemented to cover various functional areas like, Budget, Accounts & Finance, HR & Payroll, Material Management, Project Systems, etc. during November 2017 has been successfully upgraded to the latest version i.e. SAPS/4 HANA 2020 during the FY 2021-22. This will enhance the overall IT utilization and take KPL forward in terms of increasing the overall productivity, enhance the customer services, service level commitments, utilization of resources in optimal level, etc.

(ii) Benefits

Business processes and functionalities of HR/Payroll, Finance & Accounting, Purchase & Contracts and Project Systems (WBS), Employee Requests/Claim and Loan processes are made online through Employee Self Service (ESS) Portal which has resulted in increased transactional efficiency and productivity leading to cost reduction.

(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year

- (a) The details of technology imported:** Not applicable
- (b) The year of import:** Not applicable
- (c) Whether the technology been fully absorbed:** Not applicable
- (d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reason thereof:** Not applicable

(iv) The expenditure incurred on Research and Development: NIL

C) Foreign Exchange Earnings & outgo:

Foreign Exchange Earnings is Nil and Foreign Exchange outflow is Rs.90.85 Crores towards debt services of Foreign Currency Loan and Purchase of Mobile X-ray machine.

For and on behalf of the Board of Directors

Kamarajar Port Limited

Sd/-

Sunil Paliwal, I.A.S.,

Chairman & Managing Director

(DIN: 01310101)

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.0 BRIEF STATEMENT ON COMPANY'S PHILOSOPHY ON THE CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance refers to the way a corporation is governed. Company has adopted processes and mechanisms that ensure transparency to promote strong and balanced development. As your Company highly values the interests of all stakeholders, the Report on Corporate Governance is voluntarily provided.

2.0 BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition and category of the Board of Directors as on 31.03.2022.

SL. No.	Name	Category
1	Shri Sunil Paliwal, I.A.S.	Chairman and Managing Director
2	Shri S. Balaji Arunkumar, I.R.T.S.	Nominee Director
3	Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Non-official Part time (Independent) Director
4	Capt. Anoop Kumar Sharma	Non-official Part time (Independent) Director
5	Smt. Sarla Balagopal, I.R.T.S. (Retd.)	Non-official Part time (Independent) Director

The details of changes in Board of Directors are covered in Board's Report.

2.2 No. of Board Meetings held with dates of the Meeting:

During the financial year 2021-22, 9 (Nine) Board meetings were held on 25.06.2021, 26.08.2021, 24.09.2021, 28.10.2021, 08.11.2021, 14.12.2021, 24.01.2022, 11.02.2022 and 25.03.2022.

2.3. Meetings and Attendance during the year

Attendance of each member along with Chairmanship/Membership of the Audit Committee (AC) and Stakeholder Relationship Committee (SRC) of Public Limited Companies (including KPL) as per the data/details made available to the Company/Committee is given below:

Name of the Director	Designation of the Director	No. of Board Meeting held during the tenure of respective Director in F.Y. 2021-22	No. of Board Meeting Attended	Last AGM attended	Other Directorship as on 31 st March 2022	No. of Committee across all Companies	
						As Member as on 31 st March 2022	As Chairman as on 31 st March 2022
Shri Sunil Paliwal	Chairman & Managing Director	9	9	Yes	3	AC-KPL SRC - KPL	Nil
Shri P. Raveendran	Nominee Director (ceased w.e.f. 30.09.2021)	3	3	Yes	Nil	Nil	Nil
Shri S. Balaji Arun Kumar	Nominee Director	9	8	Yes	4	Nil	Nil
Shri. V.M.V Subba Rao	Independent Director	9	9	Yes	1	Nil	AC-KPL
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director	9	9	Yes	1	AC-KPL AC-DCI	Nil
Smt. Sarla Balagopal	Independent Director	9	7	No	Nil	AC-KPL	SRC-KPL

Note: KPL - Kamarajar Port Limited, SCL – Sethusamudram Corporation Limited, DCI - Dredging Corporation of India Limited

2.4 Disclosure of relationships between Directors inter-se:

The Directors are not related to each other *inter se*.

3.0 AUDIT COMMITTEE

The role, terms of reference, Composition of the Audit Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Company Secretary acts as Secretary to the Audit Committee. Shri M. Gunasekaran, General

Manager (Finance) cum CFO acts as the Nodal Officer to the Audit Committee. Head of Finance, Internal Auditors, Statutory Auditors and Senior Executives from various functions were invited to the Audit Committee meetings for interacting with the members of the Audit Committee. The members of Audit committee maintain a strong oversight of the financial reporting process, the audit process, the Company's system of internal controls and compliance with laws and regulations.

A. Composition of Audit Committee

The Audit Committee of the Company comprised of the following members as on 31.03.2022:

Shri V.M.V. Subba Rao	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Capt. Anoop Kumar Sharma	- Member
Smt. Sarla Balagopal	- Member

B. Meetings and Attendance during the year:

During the year 2021-22, 3 (three) Audit Committee meetings were held on 25.06.2021, 08.11.2021 and 11.02.2022.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	3	3	100
Shri Sunil Paliwal	3	3	100
Shri P. Raveendran (upto 30.09.2021)*	1	1	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	3	3	100
Smt. Sarla Balagopal	3	3	100

* Consequent to Shri P. Raveendran ceasing to be a Director on the Board w.e.f. 30.09.2021, he ceased to be a member of this Committee.

4.0 NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The role, terms of reference and composition of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. The Company Secretary acts as Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

A. Composition of Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration Committee comprised of the following Members as on 31.03.2022:

Capt. Anoop Kumar Sharma	- Chairman
Shri Sunil Paliwal	- Member
Shri S. Balaji Arunkumar	- Member
Smt. Sarla Balagopal	- Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2021-22, two Nomination and Remuneration Committee meetings were held on 26.08.2021 and 08.11.2021.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	No. of Meeting held during tenure	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Capt. Anoop Kumar Sharma	2	2	100
Shri Sunil Paliwal	2	2	100
Shri P. Raveendran* (upto 30.09.2021)	1	1	100
Shri S. Balaji Arunkumar** (From 21.10.2021)	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal	2	2	100

* Consequent to Shri P. Raveendran ceasing to be a Director on the Board w.e.f. 30.09.2021, he ceased to be a member of this Committee.

** Shri S. Balaji Arunkumar was inducted vide Circular Resolution No.4/2021-22 passed on 21st October 2021.

D. Remuneration received by Functional Directors

Details of remuneration of functional directors of the Company paid for the financial year 2021-22:

Name of the Directors	Salary & Other Allowances (Rs.)	Bonus / Commission/ PRP (Rs.)	Total (Rs.)
Shri Sunil Paliwal	37,46,158/-	-	37,46,158/-**

** The total remuneration mentioned above does not include value of perquisites under Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961 and Terminal Benefits.

5.0 STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

Stakeholder Relationship Committee looks into redressal of complaints/ grievances of bondholders pertaining to non receipt of interest/transfer/ transmission of bonds and other miscellaneous complaints. The Company Secretary acts as Secretary to the Stakeholder Relationship Committee.

A. Composition of Stakeholder Relationship Committee

As on 31.03.2022, the Stakeholder Relationship Committee comprised of the following Members:

Smt. Sarla Balagopal	- Chairperson
Shri Sunil Paliwal	- Member

B. Meetings and Attendance during the year

During the year 2021-22, 4 (four) Stakeholder Relationship Committee meetings were held on 25.06.2021, 26.08.2021, 28.10.2021 and 11.02.2022.

C. The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Smt. Sarla Balagopal * (From 21 st October, 2021)	2	2	100
Shri Sunil Paliwal	4	4	100
Shri P Raveendran** (Upto 30.09.2021)	2	2	100

* Smt. Sarla Balagopal was inducted in this committee vide Circular Resolution No.4/2021-22 passed on 21st October 2021.

** Consequent to Shri P. Raveendran ceasing to be a Director on the Board w.e.f 30.09.2021, he ceased to be on this Committee.

6.0 BOARD LEVEL COMMITTEE ON CSR AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT

The role, terms of reference and composition of the Committee is in accordance with Companies Act, 2013 and other applicable provisions. Shri P. Radhakrishnan, DGM(Civil) acts as the Nodal Officer. Company Secretary acts as Secretary to the CSR Committee.

A. Composition of Board Level Committee on CSR and Sustainability Development

The Board Level Committee on CSR and Sustainability Development of the Company comprised of the following members as on 31.03.2022:

Shri Sunil Paliwal - Chairman

Shri S. Balaji Arunkumar - Member

Shri V.M.V. Subba Rao - Member

B Meetings and Attendance during the year

During the year under review, 5 (five) Meetings of the Committee on CSR and Sustainable Development were held on 25.06.2021, 26.08.2021, 08.11.2021, 24.01.2022 and 25.03.2022.

C The details of members including change, if any, in their tenure, number of meetings held during the year and attendance of the members are as under:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri Sunil Paliwal	5	5	100
Shri P Raveendran* (Upto 30.09.2021)	2	2	100
Shri V.M.V. Subba Rao	5	5	100
Shri S. Balaji Arunkumar	5	4	80

* Consequent to Shri P. Raveendran ceasing to be a Director on the Board w.e.f 30.09.2021, he ceased to be a member of this Committee.

7.0 SEPARATE MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013, a Meeting of the Non-Executive Independent Directors of the Company was held on 8th November, 2021, in which all the Independent Directors participated. The attendance details of the said Meeting are given in the table below:

Members	Entitled to attend	Attendance by Members	
		No. of meetings	%
Shri V.M.V. Subba Rao	1	1	100
Capt. Anoop Kumar Sharma	1	1	100
Smt. Sarla Balagopal	1	1	100

8.0 GENERAL BODY MEETING

The date, time and place of the AGMs held during the preceding three years and special resolution passed thereat are as under:

Year	Date	Time	Place	Special Resolution Passed
2020-21	24.09.2021	12.30 P.M	Through two way Video conferencing/ Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2019-20	16.12.2020	11.00 A.M	Through two way Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	NIL
2018-19	06.09.2019	12.15 P.M	Board Room at the Registered office of the Company – 600 001	NIL

9.0 DISCLOSURES

- (i) Related Party Transactions are set out in Note No.30 (12) to the notes forming part of the financial statement for the year ended 31st March 2022 in the Annual Report.
- (ii) The statutory authorities have also not passed any strictures or imposed penalty on the Company under any Act/Rules during the last three financial years.
- (iii) Your Company has a Whistle Blower Policy and no personnel of the Company have been denied access to the Audit Committee.
- (iv) No item of expenditure was debited in books of accounts which was not for the purpose of the business. Further, no expense was incurred for the Board of Directors and Top Management which was personal in nature.
- (v) None of the Part time Directors of the Company have pecuniary relationship or transaction with the Company.

(vi) Details of administrative & office expenses and financial expenses for the year under review and for the previous year are available in annual accounts.

10.0 CODE OF CONDUCT

As part of Kamarajar Port's persisting endeavor to set a high standard of conduct for its employees a "Code of Business Conduct and Ethics" has been laid down for all Board Members and Senior Management Personnel. All Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with Kamarajar Port's "Code of Business Conduct and Ethics" for the financial year 2021-22.

Declaration

All the Board Members and Senior Management of the Company have confirmed compliance with 'Code of Business Conduct and Ethics' for the year ended 31st March 2022.

For Kamarajar Port Limited
Sd/-
(Sunil Paliwal, I.A.S.)

Chairman & Managing Director
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date: 25.05.2022

11.0 TRAINING OF BOARD MEMBERS

Your Company has a policy for Training of Directors for Promoting better understanding of professional requirements as well as

sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done.

12.0 REVIEW OF COMPLIANCE OF APPLICABLE LAWS

The Board has periodically reviewed the compliance reports of all laws applicable to the Company to ensure compliance of all the applicable laws.

13.0 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly financial results are furnished immediately to Bombay Stock Exchange where the company's Tax Free Bonds are listed. These financial results were published in the Business Standard all Editions. The results were also sent to Debenture Trustees and Bond Holders and displayed on the website of the Company www.kamarajaport.in.

Annual Report containing inter-alia, Audited Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statement and other important information is circulated to the members and others entitled thereto. Disclosures pertaining to Large corporate, Annual Report and Audited Financial statements including Directors' Report and Auditors' Report are also available on the web-site. All the events/information as per the provisions of SEBI Listing regulations are being displayed on the website of the Company.

Website of the Company contains Contact details of Compliance officer, Registrar and Transfer Agent. The Company has designated Shri M.Gunasekaran, General Manager (Finance) and Chief Financial Officer as Compliance Officer for servicing Tax Free Bond holders. The email id mguna@kplmail.in has been created for addressing the queries of Bond holders.

**For and on behalf of the Board of Directors
Kamarajar Port Limited**

Sd/-
Sunil Paliwal, I.A.S.
Chairman & Managing Director
(DIN: 01310101)

Place: Chennai
Date: 11.08.2022



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

Office of the Director General of Commercial Audit
and Ex-Officio Member Audit Board, Chennai

No. DGCA/CA-II/2-240/2022-23/204

Dated : 28.07.2022

To

The Chairman-cum Managing Director,
Kamarajar Port Limited,
2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building, 17, Rajaji Salai,
Chennai - 600 001.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143 (6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2022.

I forward herewith Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2022.

Five copies of Printed Annual Report of your company may be arranged to be forwarded to this office.

Receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

Sd/-
DEVIKA NAYAR
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT

Encl : As stated

इंडियन आइल भवन, स्तर - 2, 139, महात्मा गांधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/45 E-mail : mabchennai@cag.gov.in

Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2022

The preparation of financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of

India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Kamarajar Port Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(DEVIKA NAYAR)
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT

Place: Chennai
Date: 28.07.2022

B. THIAGARAJAN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Members of Kamarajar Port Limited
Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **Kamarajar Port Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022 and its profit, total comprehensive income, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained

is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters

4. Reference is invited to Note 30(20) regarding management's evaluation of the impact of the prevailing and emerging situation and circumstances arising out of Covid-19 virus which have had an impact on people's health and on our society as a whole, as well as on the operational and financial performance of organizations,
5. Reference is invited to Note 4(a) regarding pending conveyance deed/registration deeds for several of the immovable properties obtained by the Company from Government/ Government owned entities. Further, consideration/ compensation payable to various agencies is yet to be finalized and have not been provided for,
6. Reference is invited to Note 11 regarding excess payments of Rs.4509.49 Lakhs made to project contractors included in Other Assets - Non-Current and not capitalized till date pending disputes referred to High Court of Madras.
7. Reference is invited to Note 30(18) regarding balances of Trade Receivable, term Loans and Advances, GST input credit, Advance tax and Tax deducted at source and Trade Payables as at 31st March 2022 to the extent not subsequently adjusted/paid are subject to confirmation and reconciliation.
8. Reference is invited to Note 30(15)(iii)(a) regarding initiation of arbitration proceedings by one of the BOT operators against the Company during the year stating various claims amounting to a sum of Rs 1629.69 Crores in respect of which counter claims have been filed by the Company and arbitrators appointed by both parties and the status of the arbitration proceedings as at the year end. Accordingly, for reasons mentioned in the said Note, no provision for the claims raised by the BOT operator is considered necessary as at the year end.
9. Reference is invited to Note 10 regarding balance of MAT Credit Entitlement amounting to

Rs. 43,541.24 Lakhs as at the year end, which in management's estimates, will be recovered through utilization of such balances in future years.

10. Reference is invited to Note 8 – Loans and Advances regarding advances to employees (House Building Advance) termed as secured, in respect of which necessary creation of charge of security is in process for a sum aggregating to Rs.345.03 Lakhs as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters referred to Paragraphs 4 to 10 above.

Key Audit Matters

11. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

S.No.	Key Audit Matter	Auditor's response
1.	<p>Accuracy of recognition, measurement, presentation and disclosures of revenues and other related balances in view of adoption of Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" (new revenue accounting standard)</p> <p>The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations, determination of transaction price of the identified performance obligations. The application of the new revenue accounting standard involves certain key judgements relating to identification of distinct performance obligations and determination of transaction price of the identified performance obligations.</p>	<p>We evaluated management's process to identify the impact of adoption of the new standard and tested key controls by selecting a sample of continuing and new contracts, and tested the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price. We also carried out a combination of procedures involving enquiry and observation, reperformance and inspection of evidence in respect of operation of these controls.</p> <p>We performed the following procedures on the selected samples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read, analysed and identified the distinct performance obligations in these contracts. • Compared these performance obligations with that identified by the Company. • Considered the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.
2.	Uncertain Direct/indirect tax positions and recoverability of tax receivables as at March 31, 2022, assets in respect of direct/indirect taxes including MAT Credit entitlements, pre-paid taxes and CENVAT recoverable which are pending for future set-offs/adjudication.	Our in-house expert has reviewed the nature of the amounts recoverable, the sustainability and the likelihood of recoverability upon final resolution.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

12. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to

Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the consolidated financial statements, financial statements and our auditor's report thereon.

13. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

14. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

15. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

16. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Indian accounting standards and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

17. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

18. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

19. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

20. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

21. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

22. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

23. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

24. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

25. As required under section 143(5) of the Act, 2013, we give in the Annexure A, our report on the directions/sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
26. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("The order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the Annexure B, a statement on the matters specified in Paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
27. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act.
 - e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2022 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such control, refer to our separate report in "Annexure C". Our report expresses an

unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Act.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements vide Note Reference 30(15).
- The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts
- There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other

person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
- As stated in Note 30(21) to the financial statements
 - The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.
 - The interim dividend declared and paid by the Company during the year and until the date of this report is in compliance with Section 123 of the Act.

**For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S**

**Sd/-
Ram Srinivasan
Partner
M. No. 220112
UDIN:22220112AJOXQT4698**

B. THIAGARAJAN & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Annexure referred to in paragraph 25 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our Independent Auditors Report of even date on the Financial Statement of Kamarajar Port Limited for the year ended 31st March 2022.

1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If no, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of accounts along with the financial implications, if any, may be stated	The company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated	There are no cases of restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of Deviation	During the year under review, the company has not received funds for specific schemes from Central/State agencies.

**For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants**

FRN 004371S

Sd/-

Ram Srinivasan

Partner

M. No. 220112

UDIN: 22220112AJOXQT4698

Place: Chennai

Date: 25-05-2022

ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 26 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

1. (a) (i) The company is maintaining proper records including quantitative details of Property, Plant and Equipment.
- (ii) The company is maintaining proper records showing full particulars of Intangible assets.
- (b) The Company has a program of verification to cover all the items of Property, Plant and Equipment in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, Property, Plant and Equipment were physically verified by the management during the year. According to the information and

explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

- (c) The Company owns land measuring 2,787.27 acres acquired from TIDCO (950.00 acres), TNEB (1092.20 acres), Salt Department, Ministry of Commerce, Government of India (712.42 acres) and Government of Tamil Nadu (47.87 acres), which are under the possession of the company. Further, out of the total land area owned, 2,008.34 acres including 297.98 acres procured from TIDCO, 995.05 acres from TANGEDCO, 682.66 acres from Salt Department have been registered in the name of the Company and patta has been obtained

for 32.65 acres procured from Government of Tamil Nadu and in respect of the balance, registration is in process.

- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its property, plant and equipment (including right of use assets) or intangible assets or both during the year.
- (e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedures, there are no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- 2. (a) The Company is engaged in the development and operation of port and is primarily rendering port services. It does not hold any physical inventories. Accordingly, clause 3(ii)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of the security of current assets at any point of time during the year. Accordingly, clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable to the Company.
- 3. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year.
- (b) According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans provided during the year and the terms and conditions of the grant of loans and advances in the nature of loans during the year are, *prima facie*, not prejudicial to the interest of the Company.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in our opinion, the Company has not given any loans and advances in the nature of loans, and accordingly Paragraph 3 Clause 3(c) is not applicable to the Company.
- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not given any loans and advances in the nature of loans, and accordingly Paragraph 3 Clause 3(d) is not applicable to the Company.
- (e) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not given any loans and advances in the nature of loans, and accordingly Paragraph 3 Clause 3(e) is not applicable to the Company.
- (f) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- 4. According to the information and explanations given to us and based on the audit procedures conducted by us, the Company has neither made any investments nor has it given loans or provided guarantee or security in violation of Sections 185 & 186 of the Companies Act.
- 5. The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act. Accordingly, provisions of clause 3(v) of the Order are not applicable.
- 6. As per the information and explanation given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act for any of the services rendered by the Company. Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.

7. (a) According to the information and explanation given to us and as per our examination of the records of the company, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax,

Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) According to the information and explanation given to us and as per our verification of the records of the Company, the following disputed amounts of tax/ duty have not been deposited with appropriate authorities as at 31st March 2022.

Statute	Nature of dues	Amount (In Lakhs)	Period to which the amount relates	Forum to which amount is pending	Remarks, if any
Income Tax Act, 1961	Income tax	Rs. 4,631.43	AY 2012-13 to AY 2014-15, 2018-19	CIT (Appeals)	Nil

8. According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 as income during the year.

9. (a) According to information and explanation given to us and as per our examination of the records of the company, the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has utilized the money obtained by way of term loans during the year for the purposes for which they were obtained.

(d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall

examination of the finance statements of the company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the company.

(e) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the financial statements of the company, we report that the company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures.

(f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.

10. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

11. (a) According to the information and explanations given to us and as per our examination of the records of the company, no fraud either on or by the company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.

(c) We have taken into consideration the whistleblower complaints received by the company during the year while determining the nature, timing and extent of audit procedures.

12. The Company is not a Nidhi company and accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act where applicable and details of such transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.

14. (a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the company issued till date, for the period under audit.

15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

16. (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clauses 3(xvi)(a) and 3(xvi)(b) of the Order are not applicable.

(b) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

(c) According to the information and explanations provided to us during the course of audit, the Group does not have any CICs.

17. The company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the Board of Directors and management plans, we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

20. (a) In respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act.

(b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent Corporate Social Responsibility (CSR) amount as at the end of the previous financial year, to a Special account within a period of 30 days from the end of the said financial year in compliance with the provision of section 135(6) of the Act.

**For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S**

**Sd/-
Ram Srinivasan
Partner
M. No. 220112
UDIN:22220112AJOXQT4698**

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 27(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Kamarajar Port Limited of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **M/s. Kamarajar Port Limited** ("the Company") as of 31st March 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For B. Thiagarajan & Co
Chartered Accountants
FRN 004371S**

**Sd/-
Ram Srinivasan
Partner
M. No. 220112
UDIN:2220112AJOXQT4698**

Place: Chennai
Date: 25-05-2022

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2022

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
ASSETS		(Audited)	(Audited)
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	274264.66	275798.26
(b) Right- of- Use Assets		2035.33	1509.85
(c) Capital work-in-progress	5	22351.01	15881.07
(d) Other intangible assets	6	315.18	469.90
(e) Financial Assets			
(i) Investments	7	4154.56	4160.07
(ii) Loans & Advances	8	360.86	378.16
(iii) Others	9	440.89	392.87
(f) Deferred Tax Assets	10	14225.84	14721.91
(g) Other non-current Assets	11	8086.28	7411.19
Current Assets			
(a) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	12	5788.93	7770.45
(ii) Cash & Cash Equivalents	13	9371.11	3201.44
(iii) Loans & Advances	8	49.74	53.95
(iv) Others	9	228.72	135.11
(b) Current Tax Assets	14	868.66	288.86
(c) Other Current Assets	11	1532.80	1875.88
Total Assets		344074.58	334048.96
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	15	30000.00	30000.00
(b) Other Equity		225350.55	205204.86
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	59309.51	66377.01
(ii) Other Financial Liabilities	17	435.20	397.00
(b) Provisions	18	-	-
(c) Other non-current liabilities	19	7833.14	8730.10
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	16	11094.59	10957.66
(ii) Trade payables			
-Outstanding dues to Micro & Small Enterprises	20	338.18	120.86
-Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	20	2790.69	4479.79
(iii) Other Financial Liabilities	17	508.04	651.32
(b) Current Tax liabilities	14	-	-
(c) Other current liabilities	19	5013.77	5639.50
(d) Provisions	18	1400.91	1490.86
Total Equity and Liabilities		344074.58	334048.96
Notes to Accounts		30	
Significant Accounting policies		1 to 3	
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman & Managing Director

DIN : 01310101

Sd/-

S. BALAJI ARUNKUMAR, I.R.T.S.,

Director

DIN : 07526368

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountants,
FRN 004371S

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Place : Chennai

Date : 25th May, 2022.

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No.220112
UDIN:2220112AOXQT4698

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(Rupees in lakhs)

Particulars	Note No	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2021
Income			
i) Revenue From Operations	21	83261.51	58109.25
ii) Other Income	22	1822.30	632.47
		85083.81	58741.72
Expenses			
i) Operating Cost	23	7207.98	7108.26
ii) Employee Benefits	24	2252.34	1893.15
iii) Finance Cost	25	6234.10	6499.05
iv) Depreciation & Amortization Expenses	26	9061.46	8499.44
v) Other Expenses	27	6469.27	5157.83
		31225.15	29157.73
Profit before exceptional items and tax			
Exceptional Items	28	53858.66	29583.99
Profit Before Tax			
Less : Tax expense			
- Current Tax	10	9410.19	5200.38
- Deferred Tax	10	428.51	9112.95
Profit for the period from continuing operations			
Profit/(loss) from discontinued operations		44019.96	15270.66
Tax expense of discontinued operations		-	-
Profit from discontinued operations after tax			
I Profit for the year		44019.96	15270.66
II Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurements of the defined benefit plans		198.78	25.80
Less: Income Tax on Above	10	(69.46)	-9.02
- Change in fair value of Equity instruments		-5.52	12.03
Less: Income Tax on Above		1.93	-1.28
Other Comprehensive Income		125.73	27.54
Total Comprehensive Income for the period		44145.69	15298.20
Earnings per equity share :			
(1) Basic	29	14.72	5.10
(2) Diluted		14.72	5.10
Notes to Accounts	30		
Significant Accounting Policies		1 to 3	
The notes referred to above form an integral part of the financial statements.			

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

S. BALAJI ARUNKUMAR, I.R.T.S.,Director
DIN : 07526368For **B. THIAGARAJAN & CO.**Chartered Accountants,
FRN 004371S

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Place : Chennai

Date : 25th May, 2022.

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASANPartner, M.No.220112
UDIN:2220112AJOXQT4698

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

(Rupees in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2022	For the year ended Mar 31, 2021
	Audited	Audited
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/Loss Before Tax	53858.66	29583.99
Adjustment for:-		
Loss / (Profit) on Sale of Fixed Assets	-	-
Depreciation	9061.46	8499.44
Interest & Finance Charges	6175.60	6919.63
Short Term gain on Mutual Funds	-	(9.37)
Interest Income	(474.30)	(462.41)
Operating Profit before Working Capital Changes	68621.43	44531.28
Adjustment for:-		
Loans & Advances (Non-Current)	17.30	30.57
Other Assets (Non-Current)	(48.01)	(32.28)
Other non-current Assets	(675.10)	6247.61
Trade Receivables	1981.52	(2953.86)
Loans & Advances	4.21705	(1.01)
Other Assets	(93.61)	(125.17)
Other Current Assets	541.85	142.90
Other Financial Liabilities (Non-Current)	38.20	(169.15)
Other Non-current Liabilities	(896.96)	395.12
Trade payables	(1471.78)	345.60
Other Financial Liabilities	(143.28)	(438.47)
Other current liabilities	(488.80)	1484.97
Provisions	(89.96)	550.19
Current Tax Payments	(9989.99)	(5100.47)
Net Cash From Operating Activities	57307.04	44907.83
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Property Plant and Equipment	(14368.58)	(16034.26)
Investments made during the Year	-	-
Short Term gain on Mutual Funds	9.37	
Interest Income	474.30	462.41
Net Cash From Investing Activities	(13894.27)	(15562.48)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Dividend paid during the Year	(24000.00)	(18000.00)
Loans raised during the year	4,000.00	-
Loans repaid during the year	(11067.50)	(11145.08)
Interest & Finance Charges	(6175.60)	(6919.63)
Net Cash From Financing Activities	(37243.10)	(36064.71)
D. Net changes in Cash & Cash equivalents	6169.66	(6719.36)
E. Opening Cash & Cash Equivalents (Note No 13)	3201.44	9920.80
F. Closing Cash & Cash Equivalents (Note No 13)	9371.11	3201.44

For KAMARAJAR PORT LIMITED

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,

Chairman & Managing Director

DIN : 01310101

Sd/-

S. BALAJI ARUNKUMAR, I.R.T.S.,

Director

DIN : 07526368

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountants,

FRN 004371S

Sd/-

M. GUNASEKARAN

Chief Financial Officer & Compliance Officer

Place : Chennai

Date : 25th May, 2022.

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN

Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASAN

Partner, M.No.220112

UDIN:22220112AOXQT4698

Statement of Changes in Equity Balance as at 31st March 2022

Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Balance as at April 1, 2022	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2022
30,000	-	30,000

Balance as at April 1, 2021	Changes in share Capital during the year	Balance as at Mar 31, 2021
30,000	-	30,000

Other Equity

For the year ended 31st March, 2022

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86
Changes in accounting policy /Prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restated balanced						
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	44019.96	0.00	0.00	44019.96
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	0.00	129.32	(3.59)	125.73
Transfer to Debenture Redemption Reserve	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
Dividend - F.Y. 2020-21	0.00	0.00	(15000.00)	0.00	0.00	(15000.00)
Interim Dividend - F.Y. 2021-22	0.00	0.00	(9000.00)	0.00	0.00	(9000.00)
Balance at the end of the reporting period	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55

Other Equity

For the year ended 31st March, 2021

Particulars	Debenture Redemption Reserve	Reserves and Surplus		Other Components of Equity		Total
		General Reserve	Retained Earnings	Remeasurement of Net Defined benefit Liability/ Asset	FVTOCI - Investments	
(Rupees in lakhs)						
Balance at the beginning of the reporting period	6267.37	7902.00	195741.56	(42.51)	(1961.76)	207906.66
Changes in accounting policy prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00	15270.66	0.00	0.00	15270.66
Other Comprehensive Income for the Year	0.00	0.00		16.79	10.75	27.54
Transfer to Debenture Redemption Reserve	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00
Dividend - F.Y. 2020-21	0.00	0.00	(18000.00)	0.00	0.00	(18000.00)
Prior period income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance at the end of the reporting period	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86

KAMARAJAR PORT LIMITED

CIN: U45203TN1999PLC043322

Regd Office : 2nd Floor, (North Wing) & 3rd Floor, "Jawahar Buildings", 17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001

Notes to the Financial Statement

1. Corporate Information:

Kamarajar Port Limited is a Public Limited Company domiciled in India and incorporated under the provisions of Companies Act, 1956. The Company is operating mostly on landlord port model limiting its functions to overall planning, development, mobilization of investments for the development of port and common infrastructure facilities. The development and operations of the terminals are mostly entrusted to private operators/captive users.

2. Basis of Preparation :

The Company has adopted Ind-AS, in accordance with Notification dated February 16, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, with effect from April 01, 2016 with a transition date of April 01, 2015.

All amounts included in the financial statements are reported in Indian rupees (Rupees in Lacs) except equity shares, which are expressed in numbers.

3. Significant Accounting Policies:**3.1 Use of estimates and judgment:**

The preparation of stand-alone financial statements of the Company requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities.

3.2 Functional and presentation currency:

These financial statements are presented in Indian rupees, the national currency of India, which is the functional currency of the Company.

3.3 Revenue Recognition:

1) Revenue from services is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of discounts and excluding taxes and duties. Revenue from service rendered will be recognised upon completion of services. Revenue is recognised when following conditions are met

i) the amount of revenue can be measured reliably;

- ii) It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity;
- iii) the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.
- iv) No significant uncertainty exists as to its collection.

Revenue stream Includes:

- i) Vessel Related Income.
- ii) Cargo related income.
- iii) Revenue share and Licence fee arising from Leasing of land and waterfront on BOT and other port users/captive users.
- iv) Composite Tariff.

Revenue recognition in respect of each stream of revenue is described below:

i) Vessel Related Income

Vessel related income consists of income from handling of the vessels. Revenue attributable to Vessel related operations are recognized on completion of the specific services.

ii) Cargo related income

Cargo related income consists of income from rendering services with respect to cargo and are recognised on completion of related services

iii) Leasing of land and waterfront on BOT/Captive use basis.

- a) Revenue share from BOT operators is calculated at the quoted % on the gross revenue as per concession / licence agreement on accrual basis up to end of the financial year.
- b) Income from Operating Lease which include escalation clause in line with the general inflation trends is accounted as per terms of the contract.
- c) Income from other Operating Lease is recognized on a straight-line basis over the term of lease.

d) Contingent Rent is recognized as income in the period in which they accrue.

iv) Composite Tariff

Composite Tariff represents the income earned at a composite tariff for the cargo handled by captive users.

- 2) Dividend income from investments is recognized when the Company's right to receive payment is established and it is probable that the economic benefits associated with the transactions will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably.
- 3) a. Interest income from financial instruments is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash flows through the expected life of the financial instruments to that instrument's net carrying amount on initial recognition.
- b. Interest income on belated/disputed revenue are recognised on realization basis.

3.4 Property, Plant and Equipment:

Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any. Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the Management. The Company depreciates property, plant and equipment over their estimated useful lives using the straight-line method.

The cost of an item of property, plant and equipment is recognized as an asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The cost of an item of PPE is the cash price equivalent at the recognition date.

The cost of an item of PPE comprises:

- i) Purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts, rebates, taxes/duties and cess on which input credit for capital goods is availed.

ii) Costs directly attributable to bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

iii) The initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located.

The amounts becoming payable by the Company on account of uncontested arbitral awards on project claims and interest on such awards up to the date of commissioning of the asset are capitalized in the year of award as additions during the year in the respective asset category. The interest after the date of commissioning of the asset on such awards payable to the contractor is treated as revenue expenditure in the year of award.

When parts of an item of Property, Plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, Plant and equipment.

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of Property, Plant and equipment and are stated at net values under "Other Income/ Other Expenses" in the Statement of Profit or Loss.

The company has chosen the cost model for recognition and this model is applied to all class of assets. After recognition as an asset, an item of PPE is carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Major repairs and overhauling costs:

The Company recognises in the carrying amount of property, plant and equipment, the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred, cost of major repairs/ overhauling if the recognition criteria are met. The carrying amount of replaced part is derecognised and the cost of repairs is amortized over the remaining useful life of the repair/ overhaul.

3.5 Intangible Assets :

Intangible Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment, if any.

Identifiable intangible assets are recognized when the company controls the asset; it is probable that future economic benefits expected with the respective assets

will flow to the company for more than one economic period; and the cost of the asset can be measured reliably. Amortisation is provided on Straight Line Method (SLM), which reflect the management's estimate of the useful life of the intangible assets.

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the Statement of Profit and Loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

3.6 Depreciation

The depreciable amount of an item of PPE is allocated on a straight line basis over its useful life as prescribed in the manner specified in Schedule II of Companies Act, 2013.

For each part of an item of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the asset and useful life of that part is different from remaining part of the asset, is depreciated separately. Depreciation on all such items is provided from the date they are 'Available for Use' till the date of sale / disposal and includes amortization of intangible assets. Freehold land is not depreciated. An item of PPE is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. In case of port specific assets, the depreciation is charged at the rate as determined in accordance with the life of those assets as per the practice prevailing in Major ports in India. Depreciation on addition in value of assets due to arbitral award is claimed over the remaining useful life of the assets from the start of the financial year in which such award is passed and accepted.

3.7 Borrowing Costs

The Company capitalises borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying asset as a part of the cost of the asset. The Company recognises other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

To the extent the Company borrows generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, amount of borrowing cost eligible for capitalization is

computed by applying a capitalization rate to the expenditure incurred. The capitalization rate is determined based on the weighted average of borrowing costs, other than borrowings made specifically towards purchase of a qualifying asset. Borrowing costs also includes exchange differences to the extent as an adjustment to the borrowing costs.

3.8 Foreign Currency Transactions:

Transactions in currencies other than the functional currency are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are translated at the rates prevailing at the reporting date.

Foreign currency monetary items (except where realisability of overdue receivable is uncertain) are converted using the closing rate as defined in the Ind AS-21. Non-monetary items are reported using the exchange rate at the date of the transaction. The exchange difference gain/loss is recognized in the Statement of Profit and Loss.

3.9 Government Grant

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all related conditions are complied with. These grants are classified as grants relating to assets or revenue based on the nature of the grants.

Grants relating to depreciable assets are initially recognised as deferred revenue and subsequently recognised in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the useful life of the asset generally in the same proportion in which depreciation is charged on the depreciable assets acquired out of such contribution. Changes in estimates are recognised prospectively over the remaining life of the assets.

Grants in the form of revenue grant are recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed.

Grants in the form of non-monetary assets such as land and other resources are recognised at fair value and presented as deferred income which income is recognized in the Statement of Profit and Loss over the expected useful life in a pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

3.10 Provisions

Provisions are recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. A provision is reversed when it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

3.11 Contingent Liabilities / Assets:

Contingent Liabilities

Contingent liabilities are not recognized but disclosed in Notes to the Accounts when the company has possible obligation due to past events and existence of the obligation depends upon occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the company.

Contingent liabilities are assessed continuously to determine whether outflow of economic resources have become probable. If the outflow becomes probable then relative provision is recognized in the financial statements.

Where an entity is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is also treated as a contingent liability. The entity recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets:

Contingent Assets are not recognised in the financial statement or disclosed in Notes.

3.12 Employee benefits:

i) Defined Benefit Plan:

Provision for gratuity, leave encashment/availment and other terminal benefits is made on the basis of actuarial valuation using the projected unit credit method. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling and the return on plan assets excluding interest (if applicable), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Profit or Loss

ii) Defined Contribution Plan:

Contribution to Provident Fund is recorded as expenses on accrual basis.

iii) Short Term Employee Benefits:

Short term employee benefits obligations are measured on an undiscounted basis and expensed as the related services are provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term employee benefits if the company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

3.13 Taxation

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Current tax

The current tax is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the balance sheet approach on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current income tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

The break-up of the major components of the deferred tax assets and liabilities as at balance sheet date is arrived at after setting off deferred tax assets and liabilities.

Current and deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in profit or loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity respectively. Where current tax or deferred tax arises from the initial accounting for a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

3.14 Impairment:

If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit/Fixed Assets) is estimated to be less

than its carrying amount, the carrying amount of the asset (or cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss.

Recoverable amount is the higher of fair value less costs of disposal and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in Statement of Profit and Loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

At the end of each reporting period, the company reviews the carrying amounts of its tangible, intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.

Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use are tested for impairment at least annually or whenever there is an indication that the asset may be impaired.

3.15 Earnings per share:

Basic earnings per equity are computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the

company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

3.16 Financial instruments:

i) Non-derivative financial instruments:

Non-derivative financial instruments consist of:

- Financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, employee advances, other advances, security deposits, investments in equity securities and other eligible current/non-current assets;
- Financial liabilities include long/short-term loan, borrowings, trade payables, security deposits, retention monies and other eligible current/non-current liabilities.

Non derivative financial instruments are recognized initially at fair value including any directly attributable transaction costs except financial instrument measured at fair value through Statement of Profit and Loss which are initially measured at fair value. Financial assets are derecognized when substantial risks and rewards of ownership of the financial asset have been transferred. In cases where substantial risks and rewards of ownership of the financial assets are neither transferred nor retained, financial assets are derecognized only when the Company has not retained control over the financial asset.

Subsequent to initial recognition, non-derivative financial instruments are measured as described below:

a) Investments in, equity securities (other than Subsidiaries, Joint Venture and Associates) are valued at their fair value. These investments are measured at fair value and changes therein, other than impairment losses, are recognized in Statement of Other Comprehensive Income. The impairment losses, if any, are reclassified from Other Equity to Statement of Profit and Loss. When an available for sale financial asset is derecognized, the related cumulative gain or loss recognised in Other Equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are presented as current assets, except for those maturing later than 12 months after the reporting date which are presented as non-current assets. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Loans and receivables comprise trade receivables, unbilled revenues, staff advances, security deposits paid and other assets.

The company estimates the un-collectability of accounts receivable by analysing historical payment patterns, customer concentrations, customer credit-worthiness and current economic trends. If the financial condition of a customer deteriorates, evaluation is made for additional allowances required, if any.

c) Trade and other payables:

Trade and other payables are initially recognized at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method. For these financial instruments, the carrying amounts are approximate fair value due to the short term maturity of these instruments.

d) Security Deposits

Security Deposits are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses.

e) Tax Free Bonds:

Tax free bonds are recognized initially at fair value net of transaction costs. In subsequent periods, Tax free bonds are presented at amortised cost using effective interest method. Interest expenses are recognised in the statement of profit or loss as financial expenses over the life of the tax free bonds using effective interest rate.

ii) Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at Fair Value through Profit and Loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the financial asset have been affected. For Available for Sale (AFS) equity investments, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include

- Significant financial difficulty of the issuer or counterparty;
- Breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- Probability that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.

Certain categories of financial assets such as trade receivables are assessed for impairment on individual basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include companies past experience of collecting payments, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets that are carried at cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of trade receivables; such impairment loss is reduced through the use of an allowance account for respective financial asset. When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written

off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in Statement of Profit and Loss.

For financial assets measured at amortised cost, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through Statement of Profit and Loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortised cost would have been had the impairment not been recognized.

iii) De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

3.17 Segment Information

The Chairman cum Managing Director (CMD) of the Company is identified as the Chief Operating Decision Maker (CODM) as defined by Ind AS-108, "Operating Segments." The CMD of the Company evaluates the segments based on standalone financial statements. The Management considers "Port Services" rendered in India as a single reportable Business/Geographical segment.

3.18 Prior Period

Errors of material amount relating to prior period(s) are disclosed by a note with nature of prior period errors, amount of correction of each such prior period presented retrospectively, to the extent practicable along with change in basic and diluted earnings per share. However where retrospective restatement is not practicable for a particular period then the circumstances that lead to the existence of that condition and the description of how and from where the error is corrected are disclosed in Notes on Accounts.

3.19 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

As a lessee

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognises lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

i) Right-of-Use Assets

The Company recognises right-of-use assets ("RoU Assets") at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any re measurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased asset transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Section (I) Impairment of non-financial assets.

ii) Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Company uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is re-measured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset. Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities". Lease liabilities has been presented under the head "Other Financial Liabilities".

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

As a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the period in which they are earned.

Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership transfer from the Company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

3.20 Current/Non-Current Classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/non-current classification. An asset is classified as current if

- (a) it is expected to be realized or sold or consumed in the Company's normal operating cycle;
- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- (d) it is cash or a cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is classified as current if:

- (a) it is expected to be settled in normal operating cycle;

- (b) it is held primarily for the purpose of trading;
- (c) it is expected to be settled within twelve months after the reporting period;
- (d) it has no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The Company's normal operating cycle is twelve months.

3.21 Dividend distribution to shareholders:

Dividends proposed by the board of directors are recognized in the financial statements when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

3.22 Prepaid expenses

Revenue expenditure under each head are segregated into current year and prepaid wherever the amount exceeds Rs.20,000/-

3.23 Premia for foreclosure

Premia for foreclosure of loans or any part thereof is recognised as finance cost in the year in which the foreclosure is effected.

3.24 Liquidated damages

Liquidated damages is accounted on certainty basis.

3.25 Statement of Cash Flows

Cash Flows are reported using the Indirect Method. For the purposes of the cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in hand, at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand and are considered part of the Company's cash management system.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2021	Additions	Disposal/adjustments	Gross carrying value as at March 31,2022	Accumulated depreciation as at April 1, 2021	Depreciation for the year	Disposal/adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31, 2022	Carrying Value as at Mar 31,2022
Land	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
Building, Sheds & Other Structures	12,699.59	105.10	-23.15	12,781.54	1,508.16	351.32	-7.54	1,851.94	10,929.59
Wharves & Boundaries	64,485.91	-	-	64,485.91	8,113.66	1,536.35	-	9,650.01	54,835.90
Roads	12,422.34	4,429.75	-	16,852.09	2,593.22	996.84	-	3,590.06	13,262.02
Railway Track & Signalling System	8,605.28	190.10	-	8,795.38	2,814.24	568.08	-	3,382.33	5,413.05
Docks, Seawalls, Piers & Break Water	57,637.86	-	-	57,637.86	12,651.94	754.74	-	13,406.68	44,231.19
Navigational Aids	381.67	-	-	381.67	297.00	6.61	-	303.61	78.06
Vehicles	208.25	-	-	208.25	63.95	22.99	-	86.95	121.31
Electrical Installations	1,912.61	353.43	-	2,266.05	1,197.89	131.11	-	1,329.00	937.04
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	-	-	306.19	158.45	8.69	-	167.13	139.06
Electrical Appliance	230.93	0.16	-	231.09	128.52	21.57	-	150.08	81.01
Office Equipment	191.86	76.13	-	267.99	159.93	13.02	-	172.95	95.04
Furniture & Fittings	946.43	16.91	-	963.34	494.14	76.06	-	570.20	393.14
Computers	867.64	252.32	-	1,119.96	547.74	156.50	-	704.24	415.72
Port Basin & Entrance Channel	90,828.74	328.40	-	91,157.14	9,386.51	3,931.86	-	13,318.37	77,838.77
Plant & Machinery	1,113.69	1,524.49	-	2,638.18	888.63	216.86	-	1,105.49	1,532.69
Security Asset	65.09	-	-	65.09	54.51	2.16	-	56.67	8.42
Total	316856.73	7276.79	(23.15)	324110.37	41058.48	8794.77	(7.54)	49845.71	274264.66

Land:

a) The Company owns land measuring 2802.49 acres acquired from GoTN, TNEB, TIDCO and Salt Department, Ministry of Commerce, out of which 2787.27 acres is under possession of the Company and the balance 15.22 acres of land is yet to take possession as these lands were under litigation. Out of 15.22 acres of land under litigation, two writ petitions W.P. No. 26041/2001 & 26042/2001 were filed by Tmt.Pappa & Thiru P. Selvaraj against the land acquisition. The Hon'ble High Court of Madras vide its judgement dated 19.11.2019 quashed the Notification u/s 4(1) and the Declaration u/s. 6 of the Land Acquistition Act, in so far as the lands of the petitioners. The court advised to initiate land acquisition proceedings afresh by issuing a fresh Notification u/s. 4(1) of the Land Acquisitions Act.

The Company has decided not to appeal against the Judgement of the Hon'ble High Court of Madras dated 19.11.2019 in W.P.No.26041/2001 and 26042/2001. The port had remitted an amount of Rs.2.86 lakhs for 6.82 acres of land belonging to Shri P. Selvaraj and Rs.0.58 lakhs for 1.38 acres of land belonging to Smt.S.Pappa as compensation amount and the same was ordered to be kept in revenue deposit and cumulative of Rs.3.44 lakhs shown under Disposal/adjustments.

b) The Company procured 950 acres of land from TIDCO, out of which 297.98 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 1092.20 acres of land from TANGEDCO, out of which 995.05 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company procured 712.42 acres of land from Salt Department, out of which 682.66 acres got registered in the name of the Company and the balance registration is in progress.

The Company acquired 32.65 acres of land from Go TN and the Patta obtained in the name of Company.

c) Land measuring in Sq.m.134600, 542524, 472460, 384780 (Phase I & II), 171611, 520000 & 20235 (total measuring 555.07 acres) allotted to BOT operators viz. M/s. Ennore Tank Terminals Private Limited, M/s. Ennore Coal Terminal Private Limited and M/s. SICAL Iron Ore Terminals Limited, M/s. Adani Container Terminal Private Limited, M/s. Ennore Bulk Terminal Private Limited, M/s. IOC LNG Private Ltd and M/s. Indian Oil Corporation Limited respectively.

4. Property, Plant and Equipment

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2020	Additions	Disposal/adjustments	Gross carrying value as at Mar 31,2021	Accumulated depreciation as at April 1, 2020	Depreciation for the year	Disposal/Adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31,2021	Carrying Value as at Mar 30,2021
Land	63956.08	0.00	(3.44)	63,952.64	0.00	0.00	0.00	-	63,952.64
Building,Sheds & Other Structures	12324.60	374.99	0.00	12,699.59	1187.39	320.77	0.00	1,508.16	11,191.42
Wharves & Boundaries	64485.91	0.00	0.00	64,485.91	6577.31	1536.35	0.00	8,113.66	56,372.25
Roads	8919.99	3502.35	0.00	12,422.34	1988.01	605.21	0.00	2,593.22	9,829.12
Railway Track & Signalling System	7660.95	944.33	0.00	8,605.28	2259.06	555.19	0.00	2,814.24	5,791.04
Docks,Seawalls,Piers & Break Water	57637.86	0.00	0.00	57,637.86	11897.20	754.74	0.00	12,651.94	44,985.92
Navigational Aids	381.67	0.00	0.00	381.67	290.39	6.61	0.00	297.00	84.67
Vehicles	184.47	23.78	0.00	208.25	42.10	21.85	0.00	63.95	144.30
Electrical Installations	1862.03	50.58	0.00	1,912.61	1060.40	137.49	0.00	1,197.89	714.72
Installation For Water, Communication & Fire Syst	306.19	0.00	0.00	306.19	149.76	8.69	0.00	158.45	147.74
Electrical Appliance	198.60	32.33	0.00	230.93	108.60	19.92	0.00	128.52	102.41
Office Equipment	189.03	2.83	0.00	191.86	144.79	15.14	0.00	159.93	31.93
Furniture & Fittings	930.80	15.63	0.00	946.43	419.57	74.57	0.00	494.14	452.29
Computers	856.65	10.99	0.00	867.64	426.84	120.90	0.00	547.74	319.91
Port Basin & Entrance Channel	84920.76	5907.98	0.00	90,828.74	5469.99	3916.52	0.00	9,386.51	81,442.23
Plant & Machinery	1099.46	14.24	0.00	1,113.69	728.15	160.48	0.00	888.63	225.06
Security Asset	65.09	0.00	0.00	65.09	52.21	2.29	0.00	54.51	10.59
Total	305980.15	10880.03	(3.44)	316856.73	32801.77	8256.71	0.00	41058.48	275798.26

Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2021	Additions	Disposal/adjustments	Gross carrying value as at Mar 31, 2022	Accumulated depreciation as at April 1, 2021	Depreciation for the year	Disposal/adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31,2022	Carrying Value as at Mar 31,2022
Leased assets of Registered office	2,025.58	636.27	-	2,661.85	515.73	110.79	-	626.52	2,035.33
Total	2025.58	636.27	0.00	2661.85	515.73	110.79	0.00	626.52	2035.33

Right of Use Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	Gross carrying value as at April 1, 2020	Additions	Disposal/adjustments	Gross carrying value as at Mar 31,2021	Accumulated depreciation as at April 1, 2020	Depreciation for the year	Disposal/adjustments	Accumulated depreciation as at Mar 31,2021	Carrying Value as at Mar 31,2021
Leased assets of Registered office	2,002.42	23.16		2,025.58	427.20	88.53	-	515.73	1,509.85
Total	2002.42	23.16	0.00	2025.58	427.20	88.53	0.00	515.73	1509.85

5. Capital Work-In-Progress

(Rupees in lakhs)

Particulars	Balance as at April 1, 2021	Additions/Adjustments during the year	Capitalized / Adjustments during the year	Balance as at Mar 31, 2022
CWIP - Building,Sheds & Other Structures	776.51	612.11	-105.10	1283.52
CWIP - Wharves & Boundaries	31.05	1086.61	0.00	1117.66
CWIP - Roads	4058.92	6035.90	-4429.75	5665.07
CWIP - Railway Track & Signalling System	9389.59	4835.94	-190.10	14035.44
CWIP -Docks,Seawalls,Piers & Break Water	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP -Navigational Aids	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP -Vehicles	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP -Electrical Installations	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Installation For Water , Communication & Fi	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Electrical Appliance	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Office Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Computers	0.00	0.00	0.00	0.00
CWIP - Port Basin & Entrance Channel	369.01	124.10	-328.40	164.71
CWIP - Plant & Machinery	1256.00	343.49	-1524.49	75.00
CWIP - Furniture & Fittings	0.00	9.61	0.00	9.61
CWIP-Computer software	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15881.07	13047.77	(6577.83)	22351.01
Previous Year	10761.86	15935.98	(10816.77)	15881.07

6. Intangible Assets - Software

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Gross carrying value as at April 1	1,092.96	1,077.73
Additions	1.19	15.23
Disposal/adjustments		
Gross carrying value as at March 31	1,094.15	1,092.96
Accumulated depreciation as at April 1	623.06	468.86
For the Year	155.90	154.21
On Disposal/adjustments		
Accumulated depreciation as at Mar, 31	778.96	623.06
Carrying Value as at March 31	315.18	469.90

7. Investments

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2021
Non-Current		
Investment in Shares-Quoted		
10000 shares in Dredging corporation of India (Market value as at 31st March, 2022 - Rs.31,55,500/-)	31.56	37.07
Investment in Shares - Unquoted		
Equity Shares of Sethusamudram Corporation Ltd #	3000.00	3000.00
Less: Provision for Dimunition in value of Investments	-3000.00	-3000.00
Equity Shares of Chennai Ennore Port Road Company Ltd (3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 3,40,00,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	3400.00	3400.00
Equity Shares of Indian Port Rail Corporation Limited (7,20,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 7,20,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	720.00	720.00
Equity Shares of Kanniyakumari Port Limited (20,000 Equity shares of Rs.10/- per share; Previous year - 20,000 Equity shares of Rs.10/- per share)	2.00	2.00
Investments in Renewable Energy Certificate (66 Equity shares of Rs.1515.52/- per share; Previous year - 66 Equity shares of Rs.1515.52 per share)	1.00	1.00
Total	4154.56	4160.07
Current		
Investments in Liquid Funds	-	-
Total	0.00	0.00

#. As the dredging work is suspended from 14.09.2007 upon the direction of the Hon'ble Supreme Court of India and as there is no further progress in the project since then, the Management has provided for dimunition towards the Investments in Equity shares of Sethusamudram Corporation Limited.

8. Loans & Advances

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2021
Long Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	355.09	367.42
Advances to Employees (Vehicle Advance)	5.77	10.74
Total	360.86	378.16
Short Term		
<i>Secured (considered good)</i>		
Advances to Employees (House Building Advance)	42.86	42.43
Advances to Employees (Vehicle Advance)	2.54	4.48
Advances to Employees (Others)	4.34	7.05
Total	49.74	53.95

Advances to Employees (House Building Advance) include Rs.202.45 lakhs being advances extended to 16 employees for which Memo of Deposit is pending.

9 Other Financial Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Long Term		
Deposits	440.89	392.87
Interest accrued on:		
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Total	440.89	392.87
Short Term		
Interest accrued on:		
-Short Term Deposits	4.34	0.00
-Advances to Related Parties	0.00	0.00
Income Receivable	224.38	135.11
Total	228.72	135.11

Income receivable represents unbilled port services which was subsequently billed in April 2022.

10 Tax Expense

Tax recognised in Statement of profit and loss

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Current income tax		
In respect of current year	9410.19	5200.38
In respect of prior years	-	-
Sub Total (A)	9410.19	5200.38
Deferred tax expense		
Origination and reversal of temporary differences	428.51	1720.98
Changes in tax rate	-	2418.61
Change in accounting policy	-	4973.36
Sub Total (B)	428.51	9112.95
Total (A+B)	9838.70	14313.33

Tax recognised in other comprehensive income

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Defined benefit plan actuarial gains (losses)	69.46	9.02
Change in fair value of Equity instruments	-1.93	1.28
Total	67.53	10.30

Movement in deferred tax balances during the year along with category wise break up

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Deferred Tax Liability		
Property, Plant & Equipment	(32,286.65)	(30,710.83)
Sub Total	(32,286.65)	(30,710.83)
Deferred tax Assets		
Any Section 40a(ia) Disallowance	-	
Any Section 43B Disallowance	-	
Provision for Bad & Doubtful Debts - @ effective tax rate	1,359.75	454.18
MAT Credit entitlement	43,541.24	43,538.45
Movement in Defined Benefit Plan	82.18	120.06
Dimunition in Investment - @ effete tax rate	1,048.32	1,048.32
Others	481.00	271.70
Sub Total	46512.49	45432.71
Net Deferred Tax Assets/ (Liabilities)	14225.84	14721.90

11 Other Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Non-Current		
Advance for Capital Expenditure	7700.49	7328.63
Prepaid Expenses	130.30	0.00
Deferred Employee Cost	136.19	149.59
Defined Benefit Plan Asset/(Liabilities) - Gratuity	68.68	-51.80
Defined Benefit Plan Asset/ (Liabilities) Earned Leave Encashment	50.61	-15.24
Total	8086.28	7411.19
Current		
Advance to Contractors	833.62	1058.22
Prepaid Lease Rental	0.00	0.00
Prepaid Expenses	339.61	29.73
GST Input Credit	359.57	725.82
Other Assets	0.00	62.11
Total	1532.80	1875.88

Advance for Capital expenditure under Non-current includes Rs.4509.50 lakhs being excess payment to Project contractors referred to High Court of Madras at the time of taken over the Assets and liabilities from Chennai Port Trust on 22.06.2001.

12 Trade Receivables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Trade receivables		
- Unsecured - Considered good	5788.93	7770.44
- Doubtful	3891.22	1299.74
Less: Allowances for doubtful debts	-3891.22	-1299.74
Total	5788.93	7770.45

13 Cash & Cash Equivalents

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Cash on hand	0.13	0.00
Cheques, Drafts on hand	0.00	0.00
Balances with Banks	1370.98	3201.44
Sub-total (A)	1371.11	3201.44
Other Bank Balances		
- Term Deposit		
- Less than 3 months	3000.00	0.00
- More than 3 months but less than 12 months	5000.00	0.00
Sub-total (B)	8000.00	0.00
Total	9371.11	3201.44

14 Current Tax Assets

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Advance Tax and Tax Deducted at Source	81096.46	71106.47
Provision for Income Tax	-80227.79	-70817.61
Total	868.66	288.86

15 Equity Share Capital

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2021
Authorized		
Equity shares of Rs. 10/- each		
500,000,000 equity shares	50000.00	50000.00
Issued, subscribed and fully paid		
Equity shares of Rs. 10/- each		
300,000,000 equity shares	30000.00	30000.00
	30000.00	30000.00

Reconciliation of share Capital:

Particulars	As at Mar 31, 2022	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
<u>Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year</u>	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Particulars	As at Mar 31, 2021	
	No of Shares	Amount
Opening Equity Shares	300000000	3000000000
<u>Add: -No. of Shares, Share Capital issued/ subscribed during the year</u>	0	0
Closing balance	300000000	3000000000

Shares in the company held by shareholder holding more than 5 percent

Name of the Shareholder	%	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2021
Chennai Port Trust	100%	30000	30000

Government of India disinvested its entire Equity shares held in the company to Chennai Port Trust through Share Purchase Agreement entered on 25.03.2020.

16 Borrowings

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
<u>SECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Chennai Port Trust	18205.00	20506.25
Foreign Currency Loan from Axis Bank	0.00	0.00
Tax Free Bonds		
(i) Series 2012-13	1150.11	9429.68
(ii) Series 2013-14	36454.40	36441.08
<u>UNSECURED - LONG TERM</u>		
Term Loan		
Loan From HDFC Bank	3500.00	-
Total	59309.51	66377.01
<u>SECURED - SHORT TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
- Chennai Port Trust	2301.25	2301.25
- Foreign Currency Loan from Axis Bank	0.00	8656.41
- Tax Free Bonds - Series 2012-13	8293.34	0.00
<u>UNSECURED - LONG TERM</u>		
Current maturities of long term debt		
Loan From HDFC Bank	500.00	0.00
Total	11094.59	10957.66

Secured Redeemable Non-Convertible Bonds

(i) Redeemable at par, 829334 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.82,93,34,000/- are due on 25.03.2023 and 117156 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.11,71,56,000/- are due on 25.03.2028 with interest rates @ 7.51% and 7.67% to Retail Investors and 7.01% and 7.17% to others respectively, payable annually. The bonds are secured against the assets of the company viz. Small Craft Jetty - 1, 2 and 3 and General Cargo Berth pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 25.03.2013.

(ii) Redeemable at par, 794951 Nos of 10 Year Bonds of Face value - Rs.1000/- each amounting to Rs.79,49,51,000/- are due on 25.03.2024 and 1916630 Nos of 15 Year bonds of Face Value - Rs.1000/- each amounting to Rs.191,66,30,000/- are due on 25.03.2029 and 943142 Nos of 20 Year Bonds of Face Value - Rs.1000/- each amount to Rs.94,31,42,000/- are due on 25.03.2034 with interest rates @ 8.61%, 9% and 9% respectively to Retail Investors and 8.36%, 8.75% and 8.75% respectively to others, payable annually. The bonds are secured against the assets of the company viz. North Break Water pursuant to the terms of the Bond Trust Deed registered on 19.03.2014.

Term loan from Chennai Port Trust

Term Loan due to Chennai Port Trust converted at the time of taken over of assets & liabilities in the year 2001-02 and is repayable in 60 Equated Quarterly instalments commencing from 30.06.2012. The instalments are paid up to date during this period. The above loan is secured by hypothecation of specifically earmarked immovable fixed assets of the company. The company has borrowed an additional amount of Rs.70 crs and Rs 20 crs on 18.06.2018 and 29.09.2018 respectively on the same terms and conditions of the original loan.

Foreign Currency Loan from Axis Bank

Axis Bank has sanctioned Foreign Currency Loan (FCL) 100 USD Million on 30.03.2017 against Trade receivables @ interest rate of 6M Libor Plus 195 BPS repayable within Five Year including one year moratorium. The company has availed 47 USD Million and the company during the year 2017-18. The company also hedged the 6M Libor Rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk. The loan was repaid and the final instalment was paid on 31st March 2022 and the satisfaction of charge has been filed with Registrar of Companies on 21.05.2022.

Term loan from HDFC Bank

HDFC Bank has sanctioned Unsecured Rupee Term Loan of Rs.50 Crore on 27th July 2021 @ interest rate of 91 days T Bill Plus 1.80% per annum with reset quarterly repayable within Five year including one year moratorium. During the year 2021-22, the Company has availed Rs.40 Crore for Capital Projects.

17 Other Financial Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Long Term		
Security Deposits	435.20	385.57
Retention Money Payable	0.00	11.43
Total	435.20	397.00
Short term		
Security Deposits	139.16	139.58
Retention Money Payable	239.98	382.09
Amount Payable to Employees	0.48	0.48
Other Liabilities	128.43	129.18
Total	508.04	651.32

18 Provisions

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Non- Current		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	0.00	0.00
Gratuity	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Current		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	0.00	0.00
Gratuity	0.00	0.00
Performance Related Pay	326.99	100.00
Sub Total (A)	326.99	100.00
OTHER		
Expenses		
- Revenue	950.43	1061.00
- Capital	123.50	329.86
Sub Total (B)	1073.93	1390.86
Total(A+B)	1400.92	1490.86

19 Other Liabilities

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31,2022	As at Mar 31,2021
Non-Current		
Income Received in Advance	5970.93	6449.43
Advance Lease Charges	1313.19	1710.27
Other Liabilities	0.00	0.00
Deferred Fair Valuation Gain - Security Deposits	549.01	570.40
Government Grant	0.00	0.00
Total	7833.14	8730.10
Current		
Income Received in Advance	780.67	866.75
Other Statutory Payables	2585.84	1865.91
Advance Received from Customers	1470.96	2714.79
Advance Lease Charges	61.45	79.79
Other Liabilities	114.85	112.26
Total	5013.77	5639.50

Income received in advance of Rs.5970.93 lakhs under Non-Current represents an amount from Indian Oil LNG Private Limited towards

upfront licence fees for 30 years for 5,20,000 sq.m. Land allotted for the construction of LNG Terminal as per the Licence Agreement dated 31st July 2015.

20 Trade Payables

(Rupees in lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2022	As at Mar 31, 2021
Total outstanding dues to Micro & Small Enterprises	338.18	120.86
Total outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises	2790.69	4479.79
Total	3128.87	4600.65

21 Revenue From Operations

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Lease Income		
Composite Tariff on Coal	26889.40	16306.12
Estate Income	3150.54	3806.72
Revenue Share	28038.48	18440.33
Marine Services		
Vessel Related Income	18282.45	14316.75
Cargo Related Service		
Wharfage	5614.79	4236.70
Royalty	1002.52	909.87
Other Operating Revenues		
Other Services	283.33	92.76
Total	83261.51	58109.25

22 Other Income

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Interest from Banks	340.13	320.24
Interest on Staff Advances	38.66	34.75
Interest - Others	95.52	107.42
Short Term Gain from Mutual Fund	0.00	9.37
Dividend received	0.00	0.00
Other non operating income		
Sale of Tender Documents	0.00	0.00
Personnel & Vehicle Entry Pass	91.23	70.99
Profit on sale of Fixed Assets	31.60	0.00
Liquidated Damages	1083.13	0.00
Other Income	142.04	89.70
TOTAL	1822.30	632.47

23 Operating Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Time Charter Crafts	3201.12	3125.54
Consultancy Services - Operations	46.02	175.54
Power & Water charges	232.23	214.60
Environment	301.64	295.91
Research & Development Expenses	235.07	0.00
Fuel Expense	1090.83	664.88
Manning Services	789.78	609.32
Survey Expenses	9.51	118.02
Repairs and Maintenance	720.29	938.92
Incentive	254.61	685.16
Insurance	326.88	280.37
TOTAL	7207.98	7108.26

24 Employee Benefits

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Salaries and Wages	1430.99	1445.47
Contribution to Provident Fund	129.31	128.82
Performance Related Pay	361.98	0.00
Employee Medical expenses	73.89	52.84
Terminal Benefits	256.17	266.02
TOTAL	2252.34	1893.15

25 Finance Cost

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Interest Expense :		
- Banks	139.25	437.70
- Tax Free Bonds - 2012-13	687.67	686.91
- Tax Free Bonds - 2013-14	3234.34	3234.23
- Others	2114.35	2560.78
Other Borrowing Costs :		
- Tax Free Bond Expenses	5.35	8.77
Net loss / Gain on Foreign currency transaction and translation to the extent treated as Borrowing costs.	53.14	-429.34
TOTAL	6234.10	6499.05

26 Depreciation and Amortization Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Depreciation / Amortisation for the year		
Tangible Assets	8794.77	8256.71
Right- of- Use Assets	110.79	88.53
Intangible Assets	155.90	154.21
TOTAL	9061.46	8499.44

27 Other Expenses

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
AMC - Software Expenses	177.18	71.57
Auditors' remuneration		
- Statutory audit	6.00	6.00
- Tax Audit Fees	0.75	1.00
- Payment for other Services	1.18	0.45
- Reimbursement of expenses	0.60	0.60
Electricity & Water Charges	105.83	128.75
Legal & Professional Charges	474.28	190.24
Miscellaneous Expense	173.05	83.55
Printing and stationery	12.85	14.69
Rent, Rates & Taxes	59.77	73.94
Safety & security expenses	1195.87	1372.33
Corporate Social Responsibility Expenses	707.15	2140.66
Subscription & Membership fees	96.69	152.01
Communication Expenses	56.56	55.47
Travelling and conveyance	9.01	8.29
Vehicle running expenses	297.88	275.15
Advertising and promotional expenses	19.88	26.92
Donations & Contributions	0.00	130.00
Manning Contract - Admin	339.68	202.32
R & M Office	55.85	223.89
Foreign Exchange Fluctuation Loss	87.74	0.00
Provision for Expected Credit Loss	2591.48	0
TOTAL	6469.27	5157.83

Corporate Social Responsibility (CSR)

Where the company covered under section 135 of the companies act , the following shall be disclosed with regard to CSR activities

Sl.No.	Name of the activity	Amount spent
(i)	The amount required to be spent by the company during the year,	707.15 Lakh
(ii)	Amount of expenditure incurred	557.44 Lakh
(iii)	Shortfall at the end of the year,	Rs. 149.71 Lakh (Transferred to Unspent CSR Account FY2021-22)
(iv)	Total of previous years shortfall	Budget - Rs.811 Lakh, Expenditure 827.5 Lakh. No Shortfall
(v)	Reason of shortfall	No shortfall
(vi)	Nature of CSR activities,	Healthcare, Education, Rural Development, etc
(vii)	Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant accounting standard	Rs.100 Lakh given to Chennai Port Trust towards Tandayarpet School Development
(viii)	Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately	NIL

28. Exceptional Items

(Rupees in lakhs)

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Previous year ended 31 st March 2021
	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

29. Earnings per Share

Particulars	Year ended 31 st March 2022	Year ended 31 st March 2021
Total Comprehensive Income for the Year	4414568958	1529819990
Weighted average number of shares - Basic	300000000	300000000
Weighted average number of shares - Diluted	300000000	300000000
Earnings per Share - Basic	14.72	5.10
Earnings per Share - Diluted	14.72	5.10

Note 30 : Disclosure Notes

1. Commitments:

Capital Commitments:

Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Expenditure (net of advances) and not provided for Rs. 32945.25 lakhs (Previous Year. Rs. 30879.80 lakhs)

2. Payment to the Statutory Auditors

(Amount in Lakhs)

Particulars	2021-22	2020-21
Audit Fees	6.00	6.00
Tax Audit Fees	0.75	-
Certification fees	1.18	0.45
Reimbursements:		
- Out of Pocket Expenses	0.60	0.60

3. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013

(Amount in Lakhs)

	Particulars	2021-22	2020-21
A	Expenditure in Foreign currency on:		
	(i) Professional and consultancy fee	-	-
	(ii) Tours and Travels	-	-
	(iii) Interest on Foreign Currency Loan including Hedging	139.25	437.70
	(iv) Others	-	-
B	Earnings in Foreign Exchange	-	-

4. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2022:

(Rupees in lakhs)

Sl.	Particulars	2021-22	2020-21
1	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	338.18 - .	120.86 - .
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	Nil	Nil
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	Nil	Nil

Classification of Vendors into Micro, Small and Medium Enterprises have been made to the extent information is available with the Company

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

5. Disclosures in respect of Ind AS 107 - Financial Instruments

5.1 Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories were as follows:

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00	-	31.5	4154.56	4154.56
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	9371.11	-	-	9371.11	9371.11
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	5788.93	-	-	5788.93	5788.93
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	410.60	-	-	410.60	410.60
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	669.61	-	-	669.61	669.61
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	20506.25	-	-	20506.25	20506.25
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	45897.85	-	-	45897.85	45897.85
Loan from HDFC Bank (Ref Note No.16)	4000.00	-	-	4000.00	4000.00
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	338.18	-	-	338.18	338.18
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	2790.69	-	-	2790.69	2790.69
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	943.24	-	-	943.24	943.24

KAMARAJAR PORT LIMITED

(Amount in Lakhs as of March 31, 2021)

Particulars	Amortized cost	Financial assets/ liabilities at fair value through profit or loss	Financial assets/ liabilities at fair value through OCI	Total carrying value	Total fair value
Assets:					
Non-current Investment (Ref Note No.7)	4123.00		37.07	4160.07	4160.07
Cash & Cash Equivalents (Ref Note No.13)	3201.44	-	-	3201.44	3201.44
Trade Receivable (Ref Note No. 12)	7770.45	-	-	7770.45	7770.45
Loans and Advances (Ref Note No. 8)	432.12	-	-	432.12	432.12
Other Financial Assets (Ref Note No. 9)	527.99	-	-	527.99	527.99
Liabilities:					
Term loan from Chennai Port Trust (Ref Note No. 16)	22807.50	-	-	22807.50	22807.50
Tax Free bonds (Ref Note No. 16)	45870.76	-	-	45870.76	45870.76
Loan from Axis Bank (Ref Note No.16)	8656.41	-	-	8656.41	8656.41
Trade Payables -Outstanding dues to Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	120.86	-	-	120.86	120.86
Trade Payables - Outstanding dues to Creditors other than Micro & Small Enterprises (Ref Note No. 20)	4479.79	-	-	4479.79	4479.79
Other Financial Liabilities (Ref Note No.17)	1048.32	-	-	1048.32	1048.32

5.2. Fair Value Hierarchy

- **Level 1** - Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- **Level 2** - Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- **Level 3** - Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table presents fair value hierarchy of assets and liabilities measured at fair value:

(Amount in lakhs)

Particulars	For the year 31.03.2022				For the year 31.03.2021			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets								
Investments in unquoted equity instruments	-	-	4,123	4,123	-	-	4,123	4,123

5.3. Financial risk management

Financial Risk factors

The Company's activities are exposed to limited financial risks: market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's primary focus is to foresee the unpredictability of financial markets and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flow of financial instruments will fluctuate because of changes in market price.

The Company has interest rate risk as the Market risk. The company does not have price risk on its financial instruments since company does not have any derivative financial asset.

Interest Rate Risk :

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the long-term debt obligations with floating interest rates.

The company has availed Foreign Currency Loan of USD 47 Million out of sanctioned loan of USD 100 Million from Axis Bank in four tranches @ LIBOR plus 195 BPS during the year 2017-18. However, LIBOR rate in excess of 250 basis points (bps) has been hedged in order to protect Interest Rate Risk. The loan was repaid and the final instalment was paid on 31st March 2022.

The company has interest rate risk on the loans obtained from Chennai Port Trust as the annual interest rate reset is pegged to the movement in MCLR rate of State Bank of India.

Further, the company has availed Term loan from HDFC bank during the year as the annual interest rate reset is pegged to the movement in 91 days T Bills.

As at the reporting date, the interest rate profile of the company's interest-bearing financial instruments are as follows:

(Amount in lakhs)

Particulars	31st Mar 2022	31st Mar 2021
Financial Asset		
- Fixed Deposit with Bank	8000.00	-
- Employee Advance	406.26	425.06
Financial Liabilities		
- Tax Free Bonds	45897.85	45870.76
Variable Rate Instruments		
- Loan from Chennai Port Trust	20506.25	22807.50
- Foreign Currency Loan	-	8656.41
- HDFC Bank	4000.00	-

b) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. Since the company generally stipulates pre-payment with respect to its income for major port services, there is normally no credit offered to anyone. In such cases there is no credit default risk. However, where the company is rendering certain ancillary / support services the invoices are raised, as and when the services are rendered and in cases of disagreement on user charges, licence fee etc. on settlement of disputes and in these cases, there could be an element of credit default risk.

Trade Receivables

The company has outstanding trade receivables amounting to Rs.5788.93 lakhs and Rs. 7770.45 lakhs as of March 31, 2022 and March 31, 2021, respectively. Trade receivables are typically unsecured and are derived from revenue accrual from customers. Since most of the port services are rendered on pre recovery basis by collecting in advance, Trade receivable

constitutes the unpaid Revenue dues mostly towards Estate rentals and allied services. Provision for disputed debts are reviewed at each balance sheet date and provided for on a case to case basis.

Credit risk exposure

An age-wise analysis of trade receivables at each reporting date is summarized below:

(Amount in Lakhs as of 31st March 2022)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	3575.16	109.82	89.52	258.04	51.61	4084.15
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	2591.48	-	1299.74	3891.22
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good risk	866.45	838.33	-	-	-	1704.78
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

(Amount in Lakhs as of 31st March 2021)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 Months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	3234.56	1415.07	1969.56	935.34	215.91	7770.44
(ii) Undisputed Trade Receivables which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	1299.74	1299.74
(iv) Disputed Trade Receivables - considered good risk	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	-	-

Provision for impairment of trade receivables on a case to case basis is made in the year when recoverability is assessed as doubtful based on the recovery analysis performed by the company or is based on likely outcome of disputes over the interpretation of certain clauses in the concessionaire agreements. The company considers all other financial assets which are

not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets

Credit risk relating to cash and cash equivalents is considered negligible because our counterparties are banks. We consider the credit quality of term deposits

with banks which are subjected to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India to be good, and we review these banking relationships on an ongoing basis. Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured either as mortgage of the title deed of the property or by way of hypothecation of the vehicle for which these loans have been granted to the employees. Besides, the company has appropriation right over the terminal benefits due to the employees'. Therefore, there is no requirement for impairment provision for these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

c) Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, cash generated from operations,

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are

compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists mainly of resources required to settle trade payables, expenses payable, employee dues, repayment of current maturities of loans, etc., arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include borrowings from Chennai Port trust, Tax Free Bonds, and Term loan from HDFC Bank, Retention money payable and Security deposits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the company can be required to pay. The table includes both principal & interest cashflows.

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Trust Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	9000.05	20506.25
Loan from HDFC Bank	-	500.00	2000.00	1500.00	-	4000.00
Tax Free Bonds	-	8293.34	7949.51	-	29655.00	45897.85
Retention money	-	233.49	9.50	-	-	242.99
Security Deposits	-	44.69	-	-	966.48	1011.17
Other Liabilities	-	508.04	-	-	-	508.04
Total	1150.62	10730.18	14561.49	6102.48	39621.53	72166.30

(Amount in Lakhs as of March 31, 2021)

Particulars	Less than 6 months	6 months to 1 year	1-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
Chennai Port Trust Loan	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	11301.31	22807.51
Loan from Axis Bank	4328.25	4328.26	-	-	-	8656.11
Tax Free Bonds	-	-	8293.34	-	37577.42	45870.76
Retention money	-	382.09	11.43	-	-	393.52
Security Deposits	-	44.70	-	-	966.48	1011.18
Other Liabilities	-	129.66	-	-	-	129.66
Total	5478.87	6035.33	12907.25	4602.48	49845.21	78868.74

Trade Payables ageing schedule for the FY21-22

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(I) MSME	338.18	-	-	-	338.18
(ii) Others	2779.82	6.56	0.00	37.87	2790.69
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

Trade Payables ageing schedule for the FY20-21

(Amount in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(I) MSME	120.86	-	-	-	120.86
(ii) Others	3970.76	-	3.19	505.84	4479.79
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-21 “The Effects of changes in Foreign Exchange Rates”

The amount of exchange differences (net) debited to the Statement of Profit & Loss Rs. 87.74 lakhs (P.Y.NIL) under Other Expenses.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-36 “Impairment of assets”

During the year, the company has reviewed its Fixed Assets for impairment of assets as per Ind AS-36 and has observed no impairment of assets in the current Financial year Nil (Previous year – NIL).

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-20 “Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”

(Amount in Lakhs)

Grant received for	2021-22	2020-21
Government Grants	Nil	Nil
Total Grants Received	Nil	Nil

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 “Employee Benefits”

a. General description of various employee's benefit schemes are as under:

a) Provident Fund :

The company's Provident Fund is deposited with Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate.

b) Gratuity :

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose. This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company and the contributions are paid to the insurer, i.e., the Life Insurance Corporation of India as per the demand made by them. The recognition of net obligation for the defined benefit plan and the disclosure of information as required under Ind AS-19 is made in accordance with the actuarial valuation report.

c) Superannuation Scheme:

The Company has implemented a non-contributory Employee's Group Superannuation Pension Scheme which is also managed by LIC of India. Contributions @ 12% of Basic Pay plus dearness allowance of the enrolled employee is made to the Corporation.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of employees on deputation, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The company provides for Earned Leave benefits and Half-Pay Leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. The Earned Leave is encashable once in a calendar year while in service for a period of maximum 30 days as per eligibility and on Superannuation, the maximum limited to 300 days.

The liability on Earned leave is recognized on the basis of actuarial valuation.

b. The summarized position of various defined benefits recognized in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and Balance Sheet & other disclosures are as under:

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	350.20	326.86
	P.Y.	386.25	377.00
Fair Value of Plan Assets	C.Y.	418.89	377.47
	P.Y.	371.01	325.20
Funded Status [Surplus/(Deficit)]	C.Y.	(68.68)	(50.61)
	P.Y.	15.23	51.80
Effect of asset ceiling	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Net Defined Benefit Assets/(Liabilities)	C.Y.	(68.68)	(50.61)
	P.Y.	15.23	51.80

Movement in defined benefit obligation

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	386.24	377.00
	P.Y.	354.38	315.72
Current service cost	C.Y.	29.59	57.42
	P.Y.	32.88	44.20
Interest Cost	C.Y.	25.50	24.96
	P.Y.	23.92	21.31
Benefits Paid	C.Y.	(24.82)	(22.00)
	P.Y.	0	0
Re-measurements - actuarial loss/(gain)	C.Y.	(66.31)	(110.51)
	P.Y.	(24.94)	(4.23)
Defined benefit obligation -End of the year	C.Y.	350.20	326.86
	P.Y.	386.24	377.00

Movement in plan asset

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	371.01	325.20
	P.Y.	346.74	303.93
Interest income	C.Y.	26.10	22.40
	P.Y.	23.40	20.51
Employer contributions	C.Y.	48.13	28.41
	P.Y.	0	0
Benefits Paid	C.Y.	(24.82)	(22.01)
	P.Y.	0	0
Re-measurements – Return on plan assets	C.Y.	(1.53)	23.48
	P.Y.	0.86	(0.76)
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	418.88	377.47
	P.Y.	371.01	325.20

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Current service cost	C.Y.	29.60	57.42
	P.Y.	32.88	44.20
Past Service Cost – Plan Amendment	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

(Amount in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Settlement cost/(credit)	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0
Service Cost (A)	C.Y.	29.60	57.42
	P.Y.	32.88	44.20
Net Interest on Net Defined Benefit Liability/ (assets) (B)	C.Y.	(0.60)	2.56
	P.Y.	0.52	0.79
Cost Recognized in P&L (A+B)	C.Y.	29.00	59.98
	P.Y.	32.36	44.99

Sensitivity Analysis

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	318.07	312.55
	-1.00%	387.55	342.58
Salary growth rate	+1.00%	388.21	344.61
	-1.00%	315.60	310.42
Withdrawal rate	+1.00%	356.47	328.48
	-1.00%	343.14	325.10

(Amount in Lakhs as of March 31, 2021)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Discount rate	+1.00%	354.28	361.43
	-1.00%	423.30	394.06
Salary growth rate	+1.00%	421.83	396.31
	-1.00%	352.96	359.05
Withdrawal rate	+1.00%	391.00	378.35
	-1.00%	380.88	375.54

Actuarial Assumption

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Method used	C.Y.	PUC	PUC
	P.Y.	PUC	PUC
Discount rate	C.Y.	7.24%	7.24%
	P.Y.	6.82%	6.82%
Rate of salary increase	C.Y.	5%	5%
	P.Y.	5%	5%
Rate of return of plan Asset	C.Y.	0	0
	P.Y.	0	0

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Funded)
Withdrawal Rate	C.Y.	1% to 3%	1% to 3%
	P.Y.	1% to 3%	1% to 3%
Retirement Age	C.Y.	60 Years	60 Years
	P.Y.	60 Years	60 Years
Average Future Service	C.Y.	14.87	14.87
	P.Y.	15.52	15.52
Mortality rate	C.Y.	IALM (2012-14) Table	IALM (2012-14) Table
	P.Y.	IALM (2006-08) Table	IALM (2006-08) Table
Disability Rate	C.Y.		
	P.Y.	No explicit loading	No explicit loading

Category of investment in Plan assets

Category of Investment	% of fair value of plan assets
Insurance Policies	100%

10. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS)-108: "Operating Segments"

The company primarily operates in one segment – Port Services and there is no reportable Geographical segment either.

The Company derives revenues from the following customers which accounts for 10 per cent or more of Company's revenues. In respect of the other customers, their individual share is less than 10% of the company's revenues

(Amount in Lakhs)

Customer	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
TANGEDCO	16075.20	10880.62
NTECL (JV of Tangedco & NTPCL)	11478.17	7264.55
Ennore Coal Terminal Private Limited (Erstwhile Chettinad International Coal Terminal Pvt Ltd)	13703.47	9348.27

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 23 "Borrowing Costs"

Borrowing costs capitalised during the year is Rs.72.93 lakhs (Previous Year Rs. Nil) in the respective carrying amount of Property, Plant and Equipment / Capital works in Progress (CWIP).

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard 24 "Related Parties Disclosures"

a. Disclosures for Other than Govt. Related Entities

a. List of Related parties:

Key Managerial Persons:

Name	Designation
Shri Sunil Paliwal, IAS.,	Chairman and Managing Director
Shri S. Balaji Arunkumar, IRTS	Nominee Director
Shri V.M.V. Subba Rao, FCA, DISA (ICAI)	Independent Director
Capt. Anoop Kumar Sharma	Independent Director
Smt. Sarala Balagopal, IRTS (Retd.)	Independent Director
Shri M. Gunasekaran,	Chief Financial Officer & Compliance Officer
Smt. Jayalakshmi Srinivasan	Company Secretary

Other Entities:

• M/s. Kanniyyakumari Port Limited

Compensation of key management personnel

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Remuneration and Short-term benefits	108.95	110.95
Post-employment benefits	15.43	18.01
Other long-term benefits	-	-
Share-based payments	-	-
Termination benefits	-	-
Sitting fee	8.30	2.20
Total	132.68	131.16
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

b. Chennai Port trust

Transaction with other related parties:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Interest Paid	2084.96	2394.50
Loan Repaid	2301.25	2301.25
Lease Rent Expenses	59.40	36.04
Project Management Services	127.08	192.21
Security Deposit - Lease Rent	48.01	1.97
Interim & Final Dividend	24000.00	18000.00
CSR Expenses	100.00	100.00
Manpower	273.85	28.90
Others	8.82	9.40
Closing Balance of Term Loan	20506.25	22807.50

13. Disclosure in respect of Indian Accounting standard (Ind AS) 116 "Leases"

a. Operating lease

i) As a Lessee

- Future minimum lease payments under non-cancellable operating leases excluding upfront fee payments**

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Not later than 1 year	-	4.84
Later than 1 year and not later than 5 years	-	-
Later than 5 years	-	-

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Minimum lease payments	-	-

Leasing arrangement :

The company has leased office premises for 30 years from Chennai Port Trust on upfront premium lease payments.

(Amount in Lakhs)

ii. As a lessor

- Future minimum lease receivables under non-cancellable operating lease

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Not later than 1 year	3239.30	3085.49
Later than 1 year and not later than 5 years	18794.14	17899.18
Later than 5 years	84105.39	88239.65

• **Leasing arrangement:**

As per the business model adopted by the Company, the development, operation, marketing and maintenance of cargo terminals are left with the Captive / PPP BOT operators on 30 years Licence / Concession Agreement. The company leased out water front and land area for development of Berths through BOT operators / Captive users as per the Licence / Concession Agreement.

14. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-33 "Earnings Per Share (EPS)"

a) Basic EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of basic EPS is as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the company	44145.69	15298.20
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	44145.69	15298.20
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	14.72	5.10

b) Diluted EPS

The earnings and weighted average number of ordinary shares used in the calculation of Diluted EPS is as follows:

Particulars	For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
Profit (loss) for the year, attributable to the owners of the company	44145.69	15298.20
Earnings used in calculation of basic earnings per share (A)	44145.69	15298.20
Weighted average number of ordinary shares for the purpose of basic earnings per share(B)	300000000	300000000
Basic EPS(A/B) – Rs.	14.72	5.10

15. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-37 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"

Contingent Liabilities

(i) Disputed Tax demand:

Disputed tax matters amounting to Rs. 4179.54 lakhs (Previous year Rs. 6021.35 lakhs) are being contested before Appellate authorities.

(ii) Contract / supply works:

Some of the contractors for construction / supply and execution of works at our projects have made claims on the company aggregating to Rs. 13603.43 lakhs (Previous Year : Rs.10705.37 lakhs) seeking enhancement of the contract price, revision of work schedule with price escalation, compensation for extended period of work, idle charges etc. These claims are being contested by the company as being not admissible in terms of the provision of the respective contracts. The company is pursuing various options under the dispute resolution mechanism available in the contract for settlement of these claims.

(iii) (a) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s AECTPL:

KPL entered into a Concession Agreement with M/s. Adani Ennore Container Terminal Private Limited under PPP DFBOT mode on 15.03.2014 for the Development of Container Terminal for 30 years.

The commercial operation commenced during October 2017 for Phase I and Phase II of the project is under construction. The concessionaire had raised certain disputes and invoked Arbitration clause and

issued the Arbitration notice to the Company. Post constitution of Arbitration Tribunal on 1st August 2020, claims and counter claims were filed before the Arbitration Tribunal by both the Concessionaire and the Company.

The nature of disputes and claims by the Concessionaire were on account of the following:

- (a) Delay in Phase-I of the project is attributable to KPL
- (b) Delay in Phase-II of the project is attributable to KPL and therefore milestones to be revised by KPL.
- (c) L.D. in Phase I & Phase II are unenforceable and to be refunded by KPL.
- (d) Issuance of consultation notice by KPL and resumption of the same are unlawful.
- (e) Invocation of change in law claiming Rs.1405 Cr and extension and modification of Concession Agreement.
- (f) Declaring Actual Project Cost, Estimated Project Cost and financial documents as valid & enforceable and to take on record the same by KPL.
- (g) Refund of lease rentals & royalty paid by AECTPL
- (h) Claim for interest.

The Company has denied the claims by the concessionaire in its entirety and has preferred a counter claims amounting to Rs.16781 lakhs.

The arbitration is in progress as at the year end.

(b) Revenue Contracts with PPP Concessionaires – M/s. SIOTL:

Kamarajar Port Limited entered into a License Agreement with M/s. SICAL Iron Ore terminal Agreement (SIOTL) on 11.7.2016 for “Modification of existing Iron Ore Terminal to also handle Coal” under PPP - DBFOT basis. The 27 year concession period commenced from 20.7.2018. However due to various problems and difficulties faced by the SIOTL, the Project could not be completed and commissioned on the scheduled date. In the meantime, the Lenders have issued 'Notice of Financial Default' by the SIOTL and requested KPL to issue Termination Notice by

exercising their rights available under the License Agreement. KPL has commenced the Termination process by issuing a Termination Notice on 22.3.2021 under relevant provisions of the License Agreement and termination took effect on 20.06.2021.

In the meantime, M/s SIOTL has been declared as Corporate Debtor under IBC Code, 2016 by Hon'ble NCLT, Chennai vide its Order dated 01.03.2022 on the basis of the Creditor Application filed by ITD Cementation India Limited and M/s Portman India Limited. Hon'ble NCLT appointed Mr. Shivshanker as Interim Resolution Professional (IRP) as per the provisions of the IBC, Code. Since lenders of the SIOTL project namely Yes Bank Limited and UCO Bank are the financial creditors of the Corporate Debtor having the major voting rights in the CIRP, it was informed by the IRP that the Committee of Creditors comprising of M/s. Yes bank and M/s UCO bank have confirmed the IRP as Resolution Professional (RP) in its meeting held on 16.04.2022.

Summary of Contingent Liabilities:

(Amount in Lakhs)			
	Particulars	2021 - 22	2020 - 21
a	Disputed Tax Demand but not acknowledged as debt	4179.55	6021.35
b	Claims against the company not acknowledged as debt -NGT -Contract / supply works	400.00 13603.43	400.00 10705.37
	Total	14003.43	11105.37
c	Claims against Revenue contract with PPP Concessionaires	162968.63	118012.00

16. Expected Credit Loss ('ECL')

The impairment provisions are based on an evaluation of the risk of default over the expected life of the receivables and expected timing of collection. The Company uses judgement in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the Company's past history of collections, customer's credit worthiness, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

17. CWIP Ageing Schedule

(Amount in Lakhs as of March 31, 2022)

Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Process	7498.99	8947.95	-	5162.49	21609.43
Projects temporarily suspended	-	741.58	-	-	741.58
Total	7498.99	9689.53	-	5162.49	22351.01

18. Confirmation of balances:

Trade Receivables/Payables, Term Loans and Advances, GST input credit/GST and Deposits are subject to confirmation and reconciliation.

19. Capital Management:

The Company's capital comprises equity share capital, retained earnings and other equity attributable to equity holders. The primary objective of Company's capital management is to maximize shareholders value. The Company manages its capital and makes adjustment to it in the light of the changes in economic and market conditions.

The Company monitors capital using gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. Net debt comprises of long term and short term borrowings less cash and bank balances. Equity includes equity share capital and reserves that are managed as capital. The gearing at the end of the reporting period was as follows:

(Amount in Lakhs)

Particulars	As at 31 st March 2022	As at 31 st March 2021
Total Debt	70404.10	77334.68
Less : Cash and cash equivalent	9371.11	3201.44
Net Debt	61032.99	74133.24
Total Equity	255350.55	235204.86
Net debt to equity ratio	23.90%	31.52%

20. Note on COVID 19

Since early 2020, the Covid-19 pandemic has been in evaluation, causing major economic difficulty. The performance of the company has improved as compared to previous financial year in view of rebound of economy after lifting of lockdowns. The Company has assessed the possible impact of COVID-19 in preparation of financial results based on the internal and external sources of information and expects that the carrying value of the assets are recovered. The company expects no significant impact on the continuity of the business on long term basis, the useful life of assets and over all financial position of the company.

21. Information of Dividends for the quarter and year ended 31st March, 2022 :

During the year, the Company paid a Final Dividend of @ 50% of Equity Share capital i.e. Rs.5/- per equity share amounting to Rs.150 Crore for the Financial year 2020-21. Further, the company declared two Interim Dividends amounting to Rs.90 Crore i.e. 30% of Equity and Rs.3/- per share for the Financial Year 2021-22

22. Additional Regulatory Information

a. ANALYTICAL RATIOS

Ratio	Numerator	Denominator	As at 31 st March 2022	As at 31 st March 2021	% Variance *
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.84	0.57	47.77%
Debt – Equity Ratio	Total Debts	Share holders equity	0.28	0.33	-19.69%
Debt Service Coverage Ratio	Earnings for Debt Service (Profit after tax+ Depreciation+ finance cost+ Profit on sale of property, plant and equipment)	Debt Service (Interest and lease payments + Principal repayments)	3.42	2.07	65.36%
Return on Equity (ROE)	Net Profit	Shareholders equity	17.24%	6.49%	62.34%
Trade receivables turnover ratio	Income from Operations	Trade Receivables	14.38	7.48	48.01%
Net profit ratio	Net Profit	Income from Operations	52.87%	26.28%	50.29%
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest and taxes	Net worth + debt	18.45%	11.87%	35.65%

* The variance is on account of the rebound of economy in 2021-22 after the complete economical downturn due to covid-19 in previous year 2020-21

23. The Company has made an equity investment of Rs.2 lakhs being 40% of the paid-up capital of Kanniya Kumari Port Limited (KKPL) along with VOC – TPT (40%) & Chennai Port Trust (20%). KKPL is in the process of carrying out pre-project activities. Since there was no significant income / expenditure in KKPL during the year FY 2021-22, no Consolidated Financial Statements are prepared.

24. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

25. Approval of financial statements

The financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on 25th May, 2022.

For Kamarajar Port Limited

Sd/-

SUNIL PALIWAL, I.A.S.,
Chairman & Managing Director
DIN : 01310101

Sd/-

S. BALAJI ARUNKUMAR, I.R.T.S.,
Director
DIN : 07526368

For B. THIAGARAJAN & CO.

Chartered Accountants,
FRN 004371S

Sd/-

M. GUNASEKARAN
Chief Financial Officer & Compliance Officer

Sd/-

JAYALAKSHMI SRINIVASAN
Company Secretary

Sd/-

RAM SRINIVASAN
Partner, M.No.220112
UDIN:22220112AJOXQT4698

Place : Chennai

Date : 25th May, 2022.



Panoramic view of Gate Complex



INDIA'S PORT OF THE MILLENNIUM

KAMARAJAR PORT LIMITED

(A Company of Chennai Port Authority)
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways - Government of India)



Corporate cum Registered Office :
2nd Floor (North Wing) & 3rd Floor,
Jawahar Building,
No.17, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Port Office :
Vallur Post, Chennai - 600 120
Phone : 044 - 27950030 - 40
Fax : 044 - 27950002

 website : www.kamarajaport.in
 facebook.com/kamarajaport
 Twitter@kamarajaport



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण की कंपनी)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

CIN : U45203TN1999PLC043322

बाईसवीं वार्षिक प्रतिवेदन

2021 - 22



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण की कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मंडल

श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, नामांकित निदेशक – सीएचपीए
श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव, स्वतंत्र निदेशक
कैटन अनूप कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक
श्रीमति सरला बालगोपाल, स्वतंत्र निदेशक

डिन

01310101
07526368
02435597
03531392
01572718

प्रमुख अधिकारी

श्री संजय कुमार,
महा प्रबंधक (सीएस और बीडी)
श्री एम.गुणसेकरण,
महा प्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ
श्री पी.राधाकृष्णन,
उप महा प्रबंधक (सिविल)
श्री जी.एम.बालन,
उप महा प्रबंधक (समुद्री सेवाएं)
श्रीमति जयलक्ष्मी श्रीनिवासन,
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल (उत्तर विंग) व तृतीय मंजिल
जवाहर भवन, 17, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001
फोन: 044 - 25251666 - 70 / फैक्स: 044 - 25251665

निबंधक व शेयर अंतरण अभिकर्ता

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400 083
फोन: 022 - 49186000 / फैक्स: 022 - 49186060

सांविधिक संपरीक्षक

मेसर्स बी. त्यागराजन एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

आतंरिक लेखाकार

मेसर्स जी.सी. डागा एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स एस. धनपाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक

निक्षेपागार

राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा(भारत) लिमिटेड

उद्देश्य व लक्ष्य

उद्देश्य

“ भारतीय पूर्वीय मार्ग पोर्ट बनाने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ कामराजर पोर्ट को एक मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करना ”

लक्ष्य

“ अंतरराष्ट्रीय मानकों की पोर्ट सेवाएं प्रदान करना ”






कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(वेन्नै पोर्ट प्राधिकरण की कंपनी)
(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - भारत सरकार)

निदेशक मंडल



श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री एस. बालाजी अरुणकुमार, आईआरटीएस
नामांकित निदेशक




श्री वी.एम.वी.सुब्बा राव
एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
स्वतंत्र निदेशक




कैप्टन अनुप कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमति सरला बालगोपाल,
आईआरटीएस (रिटायर्ड)
स्वतंत्र निदेशक



विगत 5 वर्षों के दौरान परिचालन आय और पीबीटी



गत 5 वर्षों के दौरान संचालित कार्गो



कामराजर पोर्ट लिमिटेड

बाईसवीं वार्षिक प्रतिवेदन 2021 - 22

विषय सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	अध्यक्ष से संदेश.....	8
2.	सूचना.....	10
3.	मंडल का प्रतिवेदन.....	14
4.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन.....	29
5.	साचिवीक संपरीक्षण प्रतिवेदन.....	35
6.	कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन.....	39
7.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ.....	43
8.	स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन.....	45
9.	संपत्तियों व देयताओं का विवरण.....	56
10.	लाभ और हानी का विवरण.....	57
11.	नकदी प्रवाह विवरण.....	58
12.	वित्तीय विवरण के लिए नोट्स.....	60

अध्यक्ष से संदेश



प्रिय शेयर धारकों,

मैं, आपकी कंपनी की 22वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ समय से कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन आपके पास है और मुझे विश्वास है कि आपने वित्तीय निष्पादन कार्य एवं कार्गो संभालने के क्षेत्र में हुए महत्व विकास को देखा होगा। इस संदर्भ में मुझे आपके समक्ष उक्त विकास के संक्षेप को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भौतिक निष्पादन एवं विशिष्टताएं

वर्ष 2021–2022 के दौरान कंपनी ने 38.74 मिलियन टन कार्गो कार्य संभाला है जो पिछले वर्ष 2020–2021 की अवधि के 49.63% से अधिक है। टर्मिनलवार बढ़ोतरी के विवरण निम्नानुसार हैं :

- कोयला बर्थ-1 में 20.32% की बढ़ोतरी
- कोयला बर्थ-2 में 73.64% की बढ़ोतरी
- सामान्य उपभोक्ता कोयला टर्मिनल में 43.42% की बढ़ोतरी
- समुद्री द्रव टर्मिनल 1 में 5.83% की बढ़ोतरी
- सामान्य कार्गो बर्थ में 51.28% की बढ़ोतरी
- कंटेनर टर्मिनल (फेज 1) में 139.53% की बढ़ोतरी
- बहु कार्गो टर्मिनल में 36.47% की बढ़ोतरी
- एलएनजी टर्मिनल में 9.37% की बढ़ोतरी
- संभाले गए ऑटोमोबाइलों की संख्या में 50.19% की बढ़ोतरी

➤ दिनांक 01.07.2021 मोबाइल एक्स-रे स्केनर व्यवस्था संस्थापित की गई। मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्केनर व्यवस्था एवं विकिरण पोर्टल मॉनीटरों के संस्थापन एवं प्रचालन के परिणामस्वरूप, केपीएल को बिना-कटे धातु स्क्रैप के आयात के क्षेत्र में 18वें पोर्ट के रूप में संसूचित किया गया है। स्कैनर प्रचालन हेतु केपीएल, चेन्नै सीमाशुल्क एवं मेसर्स स्मितस डिटेक्शन के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

➤ आपकी कंपनी ने दिनांक 19.03.2022 को दस वर्ष, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2031 की अवधि तक विण्ड मिल घटकों के निर्यात हेतु मेसर्स जेडएफ विण्ड पवर कोयम्बत्तूर प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किया है।

➤ चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण एवं कामराजर पोर्ट लिमिटेड द्वारा विभिन्न गति शक्ति प्रयासों की जानकारी को सभी पण्धारियों तक पहुंचाने तथा मीडिया को संवेदनशील बनाने एमसीसीआई के सहयोग में दिनांक 16 मार्च 2022 को एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 6 प्रयासों का शुभारंभ किया है:

- i. कंटेनर टर्मिनल का निर्माण – द्वितीय चरण, डीबीएफओटी आधार पर 330 मीटर क्वे लंबाई (क्षमता – 11.58 एमटीपीए)
- ii. प्रतिबंधित उपयोगकर्ता आधार पर आईओसीएल प्रतिबंधित घाट का निर्माण (क्षमता-3.00 एमटीपीए)

- iii वाहन तल सहित आरओआरओ सह सामान्य नौभार घाट—॥
का निर्माण (क्षमता – 3.00 एमटीपीए)
- iv निकर्षण योजना – चरण – IV (ए)
- v डीबीएफओटी आधार पर एसआईओटीएल द्वारा कोयले को संभालने के लिए मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल का संशोधन (क्षमता – 12.00 एमटीपीए)
- vi एन्नूर में मल्टी-यूजर लिकिवड टर्मिनल – II (क्षमता – 3.00 एमटीपीए)

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बदलाव और कंटेयनर टर्मिनल एवं सामूहिक उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल के बेहतर प्रदर्शन तथा कार्गो थ्रूपुट में क्रमशः 49.63% की वृद्धि के कारण परिचालन आय में 251.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष की तुलना में 43.29% की वृद्धि) दर्ज किया है। फलस्वरूप, आपकी कंपनी ने कर से पूर्व उच्च लाभ (पीबीटी) एवं कर पश्चात् लाभ (पीएटी) क्रमशः रु. 538.59 करोड़ (82% की वृद्धि) एवं रु.440.20 करोड़ (188.25% की वृद्धि) दर्ज किया है।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आपकी कंपनी ने दिनांक 15.11.2021 को रु.60 करोड़ के 20% की दर पर ईकिवटी शेयर पूँजी के प्रथम अंतरिम लाभांश (रु.2/- प्रति शेयर के समतुल्य) तथा दिनांक 15.02.2022 को 10% की दर पर रु.30 करोड़ तक ईकिवटी शेयर पूँजी (रु.1/- प्रति शेयर के समतुल्य) के द्वितीय अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक में आपके अनुमोदन पश्चात् 70% की दर पर भुगतानित ईकिवटी शेयर पूँजी के अंतिम लाभांश प्रदान करने की सिफारिश की है जो कुल रु.210 करोड़ तक रु.7/- प्रति शेयर के समतुल्य है। यह पहली बार है कि आपके अनुमोदन पश्चात् 100% लाभांश दिया जाएगा।

कंपनी प्रशासन प्रणाली

कंपनी प्रशासन प्रणाली, किसी कंपनी के प्रशासन की ओर इंगित करता है। कंपनी ने ऐसी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी कंपनी सभी पण्धारियों के हित को अत्यधिक महत्व देती है, कंपनी प्रशासन की प्रतिवेदन आपको स्वतः प्रदान की जा रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में सीएसआर नीति एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। कुल रु.7.07 करोड़ रुपयों के सीएसआर दायित्वों में से आपकी कंपनी ने सीएसआर व्यय के अंतर्गत रु.5.57 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध किए गए हैं।

आभार

मैं, निदेशक मंडल की तरफ से भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के प्रति उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं तथा टेनजेडको टीएनईबी, टीएनपीसीबी, तमिलनाडु सरकार एवं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रेलवे/दक्षिण रेलवे के सहयोग की सराहना करता हूं। मैं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक तथा साचिविक लेखा परीक्षकों के सतत सहयोग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अंत में आपके निदेशकगण, पोर्ट के उपयोगकर्ता, बीओटी रियायत प्राप्त करनेवाले, ठेकेदार तथा बैंक्स को उनके सतत सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूं तथा वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य की सराहना करता हूं।

सादर,

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन: U45203TN1999PLC043322

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल (उत्तरी विंग) एवं तृतीय तल, जवाहर भवन,
17, राजाजी सालै, चेन्नै – 600 001.

फोन : 044–25251666–70/फैक्स : 044–25251665
वेबसाइट: www.kamarajjarport.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों की 22 वीं वार्षिक साधारण सभा 28वीं सितम्बर 2022, बुधवार को अपराह्न 3.00 बजे द्विमार्गी वीडियो कान्फ्रैंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित किया जाएगा:

साधारण कार्य

- 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित तुलन पत्र, समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का विवरण और निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के पहले अंतरिम लाभांश को इकिवटी शेयर पूँजी (रु. 2 प्रति शेयर) के 20% की दर से भुगतान किया गया और दूसरा अंतरिम लाभांश का भुगतान की गई इकिवटी शेयर पूँजी (रु. 1 प्रति शेयर) के 10% की दर से पुष्टि करने के लिए और इकिवटी शेयर पूँजी (7 रुपये प्रति शेयर) पर 70% की दर से अंतिम लाभांश की घोषणा को मंजूरी देने के लिये।
- श्री सदगोपन कुमार बालाजीअरुण (डीआईएन:07526368) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति हेतु। वह नियमित आवर्तन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और प्रत्राधारी होते हुए उन्होंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिये प्रस्तुत किया है।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने के लिए:

“प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी

के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए निदेशक मंडल को अनुमोदन एतद् द्वारा दिया जाता है।”

विशिष्ट कार्य

- कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में श्री सुनील पालीवाल, आईएएस (डीआईएन: 01310101) की नियुक्ति :

एक साधारण संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

निम्नलिखित पर विचार करने तथा उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :

“ प्रस्ताव किया जाता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 एवं अन्य लागू नियम, यदि कोई हों तो कंपनी के असेसियेशन के अनुच्छेदों के प्रावधानों के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 196 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों तो, श्री सुनील पालीवाल, आईएएस, (डीआईएन: 01310101), जिन्हें दिनांक 8 नवंबर 2021 को बुलाई गई बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में तथा चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण (पूर्व में चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के रूप जाने गए) के दिनांक 5.11.2021 के पत्रांक ए3/5944/2021/जीए के क्रम में बोर्ड द्वारा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक (प्रभारी) के रूप में दिनांक 10.11.2021 से प्रभावी प्रस्तुत वार्षिक साधारण सभा की अधिसूचना के साथ संलग्न कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उद्धरण अनुक्रम में तब तक के लिए केपीएल के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जब तक चेन्नै पोर्ट द्वारा केपीएल के लिए एक नियमित महाप्रबंधक को नियुक्त नहीं किया जाता तथा वे क्रमावर्ती द्वारा सेवानिवृत्त नहीं किए जा सकते ”।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनिवासन
कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 11.08.2022

नोट करें :

ए) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("एसईबीआई") ने दिनांक 31.12.2022 तक वीसी/ओएवीएम द्वारा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम 2015 (एसईबीआई संसूचन विनियमनों) एवं एमसीए एवं एसईबीआई द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम आयोजित करने का प्रस्तारव किया जाता है।

बी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी सदस्य को एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान करने का अधिकार है तथा वे अपनी तरफ से सभा में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखते हैं तथा उक्त प्रतिनिधि को कंपनी के सदस्यक होने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यह एजीएम, वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है तथा सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यिकता नहीं है, अत सदस्यों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की सुविधा उपलब्धी नहीं है, अत इस अधिसूचना के साथ में प्रतिनिधि प्रपत्र, मानचित्र मार्गदर्शिका एवं उपस्थिति पर्ची संलग्नक नहीं किए जा रहे हैं। अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत सभा की गणपूर्ति हेतु वीसी/ओएवीएम द्वारा उपस्थित होनेवाले सदस्यों की उपस्थिति की गणनाकी जाएगी। मत गणना के मामले में वीसी या ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेनेवाले सदस्यों को सभा के दौरान अपने हाथ उठाकर या कंपनी में पंजीकृत अपने ईमेल के पते से ईमेल भेजकर संकल्प के लिए अपना मत दे सकते हैं। उक्त ईमेलों को कंपनी द्वारा परिचालित ईमेल पते पर ही भेजे जाने चाहिए। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही एजीएम सभा का स्थान होगा।

सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार बैठक में विशेष कार्यों से संबंधित विवरण निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

डी) एमसीए परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/ सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई 2022, 2021-22 वित्तीय वर्ष की वार्षिक प्रतिवेदन के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा www.kamarajarport.in

ई) अपने प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव/ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भेजें जो उनके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हैं।

एफ) सदस्य बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम प्रणाली में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत गणपूर्ति की गणना के लिए की जाएगी।

जी) कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित वैधानिक पंजिकायें एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध/निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य agm-shareholders@kplmail.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

एच) सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने संबंधित निक्षेपस्थान प्रतिभागी को तुरंत दें।

आई) इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न है और नोटिस का भाग है।

वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिये निर्देश:

- 1) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने के लिये वेबलिंक एवं लॉग-इन प्रत्यायक (क्रेडेंशियल्स) इस सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन अग्रसारित करने वाले मेल में उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 2) सदस्यगण मोबाइल/लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कान्फ्रैंस में सम्मिलित हो सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5

कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक में श्री सुनील पालीवाल, आईएएस, (टीएन: 1993) (डीआईएन: 01310101) को कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में 16.09.2019 से पद ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा केपीएल में विनियोग के बाद चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण और कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए रणनीतिक रोड मैप को अंतिम रूप देने के समय दिए गए निर्देशों के अनुरूप, सीएमडी, केपीएल ने चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 15.9.2024 तक 5 वर्ष के समग्र कार्यकाल के लिए। चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के पत्र संख्या ए3/5944/2021/जीए दिनांक 05.11.2021 और केपीएल के निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, वह प्रभावी

कार्य दिवस 10.11.2021 से कामराजर पोर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी) बन गए।

इसके अलावा, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के पत्र संख्या ए3/5944/2021/जीए दिनांक 05.11.2021 में निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर और केपीएल के नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश और केपीएल के निदेशक मंडल द्वारा पारित

श्री सुनील पालीवाल का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:-

विवरण	विस्तार	
जन्म तिथि और आयु	25/11/1968; 53 वर्ष	
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	1. आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक। 2. एमएस. मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए से कंप्यूटर साइंस में। 3. बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यू.के. से एमबीए	
उपजीविका	अध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण	
अनुभव	श्री सुनील पालीवाल ने कुड्डालोर जिले के उप समाहर्ता के रूप में अपना आजीविका आरंभ किया और नागपट्टिनम जिले में अतिरिक्त समाहर्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने तिरुनेलवेली, थेनी और कन्याकुमारी जिलों के समाहर्ता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में प्रबंध निदेशक, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी संभाला। प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टीएनआरडीसी), प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक कर और पंजीकरण विभाग में सरकार के सचिव, और दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास आयुक्त और प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (आविन), सरकार के प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और सरकार के प्रमुख सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग में रहे। वह सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और चेन्नई-एन्नोर पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड और कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड में निदेशक भी हैं।	
केपीएल में धारित प्रतिभूतियाँ	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के नामिती के रूप में रु 10/-का 1 इक्विटी शेयर।	
केपीएल के अन्य निदेशकों/केएमपी के साथ संबंध	लागू नहीं	
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	कंपनी का नाम	रुचि / संबंध
	चेन्नई एन्नोर पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड	नामित निदेशक
	कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड	नामित निदेशक
	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
अंतिम आहरित पारिश्रमिक	कंपनी शासन रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक VI) संदर्भित किया जा सकता है।	
वर्ष के दौरान भाग लिये गये बोर्ड की बैठकों की संख्या	कंपनी शासन रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक VI) संदर्भित किया जा सकता है।	

संकल्प के आधार पर 8 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में, उन्होंने कंपनी के प्रबंध निदेशक (प्रभारी) के रूप में कार्य करने का कार्यभार संभाला। 10.11.2021 तक, चेन्नै पोर्ट द्वारा केपीएल के लिए एक नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाती है।

श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., (डीआईएन: 01310101) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उन्हें कंपनी के प्रबंध निदेशक (प्रभारी) के रूप में उनकी नियुक्ति की सीमा तक संकल्प में प्रस्तावित माना जाता है। कोई अन्य निदेशक या केएमपी और उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं। श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। बोर्ड या उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए कोई

पारिश्रमिक और बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि वे एक नियमित प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करते रहें। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, इसे शेयरधारकों के पास लाया जाता है। निदेशक मंडल साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री सदगोपन कुमार बालाजी अरुण का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:-

विवरण	विस्तार										
जन्म तिथि और आयु	05.06.1971; 51 वर्ष										
शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता	कानून से स्नातक										
उपजीविका	उपाध्यक्ष, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण										
अनुभव	अगस्त, 2020 से चेन्नै पीट प्राधिकरण के उप सभापति और सीएमडी, हुगली डॉक एंड पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इससे पहले, वह अप्रैल 2016 से अगस्त 2020 तक कोलकाता पीट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 4.6.2014 से 2.4.2016 तक भारतीय कंटेनर निगम, चेन्नै में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में काम किया। उन्हें रेलवे के संचालन, वाणिज्यिक और सुरक्षा विभाग में व्यापक अनुभव है। उन्होंने उप मुख्य संचालन प्रबंधक (डीसीओएम), दक्षिण रेलवे मुख्यालय के रूप में भी काम किया है। माल और यात्री ट्रेन संचालन दोनों में उन्होंने सात वर्षों तक दक्षिण रेलवे के चेन्नै और तिरुचिरापल्ली डिवीजनों के वरिष्ठ मंडल संचालन प्रबंधक के रूप में काम किया है। उन्होंने उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर और मंडल संचालन प्रबंधक (मेनलाइन – फ्रेट), बिलासपुर मंडल के रूप में भी काम किया है। उन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ-साथ दक्षिण रेलवे के तिरुचिरापल्ली डिवीजन के सभी डिवीजनों में संचालन के नियंत्रण चार्टिंग के कम्प्यूटरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें रेलवे यातायात अवसंरचना कार्यों की योजना बनाने और परियोजना प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने अपने आजीविका का प्रारंभ सहायक वाणिज्य प्रबंधक, चेन्नई डिवीजन, के रूप में की थी।।										
केपीएल में धारित प्रतिभूतियाँ	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के नामिती के रूप में ₹.10/- का 1 इक्विटी शेयर										
केपीएल के अन्य निदेशकों/केएमपी के साथ संबंध	लागू नहीं।										
अन्य कंपनियों में निदेशक/सदस्यता	<table border="1"> <thead> <tr> <th>कंपनी का नाम</th> <th>रुचि/संबंध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड</td> <td>प्रबंध संचालक</td> </tr> <tr> <td>हुगली डॉक एंड पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड</td> <td>निदेशक</td> </tr> <tr> <td>चेन्नै- एन्नोर पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड</td> <td>नामित निदेशक</td> </tr> <tr> <td>कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड</td> <td>नामित निदेशक</td> </tr> </tbody> </table>	कंपनी का नाम	रुचि/संबंध	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	प्रबंध संचालक	हुगली डॉक एंड पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड	निदेशक	चेन्नै- एन्नोर पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड	नामित निदेशक	कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड	नामित निदेशक
कंपनी का नाम	रुचि/संबंध										
केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	प्रबंध संचालक										
हुगली डॉक एंड पत्तन इंजीनियर्स लिमिटेड	निदेशक										
चेन्नै- एन्नोर पत्तन रोड कंपनी लिमिटेड	नामित निदेशक										
कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड	नामित निदेशक										
नियुक्ति के नियम और शर्तें	नामांकित निदेशक रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं। कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।										
अंतिम आहरित पारिश्रमिक	लागू नहीं										
वर्ष के दौरान भाग लिये गये बोर्ड की बैठकों की संख्या	कंपनी शासन रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक VI) संदर्भित किया जा सकता है।										

मंडल का प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन विकास और प्रगति को साझा करने और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिये प्रफूल्लित हैं।

1.0 प्रदर्शन और विशेषताएँ

(i) (ए) वित्तीय प्रदर्शन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
परिचालनों से आय	832.62	581.09
अन्य आय	18.22	6.32
कुल आय	850.84	587.41
परिचालन खर्च	159.30	141.59
वित्त लागत	62.34	64.99
मूल्यांकन और परिशोधन	90.61	84.99
कुल खर्च	312.25	291.57
कर देने से पूर्व लाभ	538.59	295.84
कर	98.39	143.13
कर के पश्चात लाभ	440.20	152.71

(मिलियन टन में)

Sl. No.	टर्मिनल का नाम	2021-22		2020-21		नियंत्रित यातायात में भिन्नता	
		कार्गो	पोतों की संख्या	कार्गो	पोतों की संख्या	(+/-)	%
1	कोयला बर्थ1	7.46	106	6.20	86	1.26	20.32
2	कोयला बर्थ 2	6.06	85	3.49	49	2.57	73.64
3	आम उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल	7.96	115	5.55	83	2.41	43.42
कुल कोयला		21.48	306	15.24	218	6.24	40.94
4	समुद्री तरल टर्मिनल1	4.36	253	4.12	255	0.24	5.83
5	सामान्य कार्गो बर्थ	1.77	107	1.17	74	0.60	51.28
6	कंटेनर टर्मिनल (चरण 1)	9.27	153	3.87	107	5.40	139.53
7	बहु कार्गो टर्मिनल	1.16	32	0.85	42	0.31	36.47
8	एलएनजी टर्मिनल	0.70	12	0.64	11	0.06	9.37
कुल योग		38.74	863	25.89	770	12.85	49.63
9	संभाले गए वाहन (संख्या में)	1,35,705	107	90,358	74	45,347	50.19
10	संभाले गए कंटेनर (टीईयू में)	4,80,257	153	2,00,514	107	2,79,743	139.51

(ii) (बी) संचालन विशिष्टताएँ

➤ मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम 01.07.2021 को आरंभ किया गया था। केपीएल को मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सिस्टम और रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स की स्थापना और संचालन के

(i) (बी) वित्तीय विशिष्टताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने परिचालन आय में रु. 251.53 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 43.29% की वृद्धि) दर्ज की, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बदलाव और कंटेनर टर्मिनल द्वारा बेहतर प्रदर्शन के कारण कार्गो थर्लपुट में 49.63% की वृद्धि के कारण। और कॉमन यूजर कोयला टर्मिनल। नतीजतन, आपकी कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः रु.538.59 करोड़ (82% की वृद्धि) और रु.440.20 करोड़ (188.25% की वृद्धि) दर्ज किया है।

(ii) परिचालन प्रदर्शन और विशिष्टताएँ

(ii)(ए) परिचालन प्रदर्शन

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कार्गो थर्लपुट हैंडलिंग में 49.63% की वृद्धि देखी है। टर्मिनल के अनुसार नियंत्रित यातायात का विवरण नीचे दिया गया है



केपीएल, चेन्नै सीमा शुल्क और मेसर्स स्मिथस डिटेक्शन के बीच विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

- कंटेनर शिपिंग लाइन मैसर्स मार्सक लाइन इंडिया ने केपीएल में परिचालन कर रही अपनी मौजूदा कंटेनर साप्ताहिक सेवाओं को अपग्रेड किया है, जैसे (i) शटल सेवा को एमई7 सेवा (सीधे यूरोप से कनेक्ट करना) और (ii) चेन्नै एक्सप्रेस सेवा को एफ14 सेवा (दक्षिणपूर्व एशिया को जोड़ना) क्रमशः 03.08.2021 और 13.08.2021 से प्रभावी है ताकि एकिजम व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- केपीएल से कारों के निर्यात की सुविधा के लिए, सामान्य कार्गो बर्थ के पास जल उपचार संयंत्रके साथ स्वचालित कार परिष्करण सुविधा स्थापित की गई थी और जून 2021 के दौरान पूर्व परीक्षण पूरा किया गया था और इस सुविधा को आरंभ कर दिया गया है।



सामान्य कार्गो बर्थ के पास कार धोने की सुविधा और जल उपचार संयंत्र

- आपकी कंपनी ने 19.03.2022 को मेसर्स जेडएफ विंड पावर कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2031 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए पवनचक्की घटकों के निर्यात के लिए।
- 12.06.2021 को सामान्य उपयोग कोयला टर्मिनल ने 292 एम, डीडब्ल्यूटी 1,82,567 मीट्रिक टन के एलओए और 1,37,989 मीट्रिक टन (टर्मिनल पर अब तक का सबसे अधिक पार्सल आकार) के पार्सल आकार के साथ सबसे बड़े कैपेसाइज कोल पोत एम वी एम्पर पोम्पेरो के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से भाप कोयले का आयात किया है।

➤ 02.09.2021 को मैसर्स एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित मल्टी कार्गो टर्मिनल ने मैसर्स इस्टर्न बल्क ट्रेडिंग एंड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे बड़े जिप्सम पोत एम.वी बिरते ओल्डेंडॉर्फ के माध्यम से, और 250 मीटर के एलओए के साथ डीडब्ल्यूटी 1,13,921 मीट्रिक टन और 1,05,215 मीट्रिक टन, मैसर्स सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए ओमान से जिप्सम का आयात किया। जो की (अब तक संभाला गया उच्चतम डीडब्ल्यूटी और पार्सल आकार) का पार्सल आकार है।

2.0 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आपकी कंपनी ने 15.11.2021 को 60 करोड़ रुपये की चुकता इकिवटी शेयर पूँजी (जो 2/- रुपये प्रति शेयर के बराबर है) के 20% की दर से पहले अंतरिम लाभांश और दूसरा अंतरिम लाभांश 15.2.2022 को 30 करोड़ रुपये की चुकता इकिवटी शेयर पूँजी (जो कि 1/- रुपये प्रति शेयर के बराबर है) के 10% की दर से भुगतान किया है। निदेशक मंडल ने 08.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में चुकता इकिवटी शेयर पूँजी पर 70% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो 7/- रुपये प्रति शेयर के बराबर है, जो 210 करोड़ रुपये की राशि के बराबर है, जिसका भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अधीन किया जाएगा।

3.0 भंडार में स्थानांतरण

3.1 सामान्य भंडार

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी राशि को सामान्य भंडार में स्थानांतरित नहीं किया है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत लाभांश की घोषणा से पहले किसी भी राशि को स्थानांतरित करना अनिवार्य नहीं है। 31 मार्च 2022 को शेष राशि 79.02 करोड़ रुपये है।

3.2 ऋणपत्र/बॉण्ड मोचन भंडार:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 के अनुसार 8.63 करोड़ रुपये ऋणपत्र/बॉण्ड मोचन भंडार में स्थानांतरित कर दिए हैं और 31 मार्च 2022 को शेष राशि 79.93 करोड़ रुपये थी।

4.0 वित्त

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपये के स्वीकृत सावधि ऋण में से एचडीएफसी बैंक से 40 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान 11.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) की निर्धारित किश्तों का भुगतान किया। इसके साथ, एक्सिस बैंक से प्राप्त 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूरी ऋण राशि 31 मार्च 2022 तक पूरी तरह से चुका दी गई है और उस पर बनाए गए शुल्क का निर्वहन किया गया है।

आपकी कंपनी ने चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण (तत्कालीन चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट) से लिए गए 23.01 करोड़ रुपये के सावधि ऋण की निर्धारित किश्तों का भुगतान किया, जो चालू वर्ष के दौरान देय हो गए थे और तुरंत तिमाही ब्याज का भुगतान किया था।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों पर देय तिथियों पर क्रमशः 6.74 करोड़ रुपये और 32.21 करोड़ रुपये के वार्षिक ब्याज दायित्व का तुरंत निर्वहन किया।

4.1 रेटिंग्स

आपकी कंपनी द्वारा जारी कर मुक्त बांड (एनसीडी) के प्रस्तावित दस्तावेज के अनुसार, आपकी कंपनी को साख दरों की वार्षिक निगरानी करनी होती है।

साख रेटिंग्स एजेंसियों ने वार्षिक निगरानी के दौरान निम्नलिखित दरों दी हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

साख रेटिंग्स एजेंसियां	दरें / दृष्टिकोण
CRISIL – क्रिसिल	एए / स्थिर
CARE – केर	एए / स्थिर
ICRA – आईसीआरए	एए- / स्थिर
Brick Work – ब्रिक वर्क	एए / नकारात्मक

4.2 संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अन्तर्गत आवश्यक संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण फॉर्म एओसी–2 में अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

4.3 वित्तीय वर्ष के अंत और प्रतिवेदन की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और प्रतिवेदन की तारीख के बीच आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

4.4 व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार में कोई बदलाव नहीं आया है।

4.5 ऋणों, बंधकों का विवरण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण और बंधक नहीं दिया है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

4.6 निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने निवेश के लिए निवेश/अग्रिम भुगतान नहीं किया है।

4.7 पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय पर पिछले वर्ष के 94.57 करोड़ रुपये की तुलना में 153.71 करोड़ रुपये खर्च किए।

4.8 सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 31.03.2022 को कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है, न ही कोई बकाया दावा या न की गई अदत्त जमाराशि है।

4.9 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी अपने लिए अपनाई गई जिन नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करती है

- अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करना,
- धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना,
- लेखांकन दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता, और
- विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी।

आंतरिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति द्वारा उनकी पर्याप्तता और प्रभावशीलता के लिए आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की विधिवत समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

5.0 आजादी का अमृत महोत्सव

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस की हमारी 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 75–सप्ताह की उलटी गिनती (12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक) के दौरान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत केपीएल द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित किया है। निर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी विभिन्न देशक्रिया विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, प्रायोजन और कला कार्यक्रम आयोजित करती रही है।

आपकी कंपनी ने पत्तन के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया।



सरकारी छात्रावासों को सज्जा सामग्री, बिजली के उपकरण आदि का प्रायोजन हेतु जिला कलेक्टर तिरुवल्लूर को प्रदान किया गया।



केपीएल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन

6.0 गति शक्ति

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस—एनएमपी) 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में बहुआयामी संयोजकूता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया, गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुसार जिसमें आर्थिक परिवर्तन, निर्बाधबहुआयामी संयोजकूता और संभार तंत्र दक्षता के लिए 7 इंजन संलग्न हैं और इसमें राज्य सरकारों द्वारा विकसित आधारभूत ढांचा सम्मिलित है। आपकी कंपनी की निम्नलिखित परियोजनाओं की पहचान पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत की गई है।

- कंटेनर टर्मिनल का निर्माण – द्वितीय चरण, डीबीएफओटी आधार पर 330 मीटर क्वे लंबाई (क्षमता – 11.58 एमटीपीए)
- प्रतिबंधित उपयोगकर्ता आधार पर आईओसीएल प्रतिबंधित घाट का निर्माण (क्षमता – 3.00 एमटीपीए)
- वाहन तल सहित आरओआरओ सह सामान्य नौभार घाट-II का निर्माण (क्षमता – 3.00 एमटीपीए)
- निकर्षण योजना – चरण – IV (ए)
- डीबीएफओटी आधार पर एसआईओटीएल द्वारा कोयले को संभालने के लिए मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल का संशोधन (क्षमता – 12.00 एमटीपीए)
- एन्नूर में मल्टी-यूजर लिविंग टर्मिनल – II (क्षमता – 3.00 एमटीपीए)

7.0 समझौता ज्ञापन

वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 29.09.2021 को चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण (तत्कालीन चेन्नै पोर्ट न्यास) के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी ने 59.10 (अस्थायी) का कुल अंक प्राप्त किया है जो 'अच्छे' दर के बराबर है।

8.0 संचालन

वर्तमान में, केपीएल में 8 टर्मिनल हैं, जिनमें से 4 टर्मिनल बीओटी टर्मिनल हैं, तीन (3) बंधित उपयोगकर्ता टर्मिनल हैं और एक (1) ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात के लिए केपीएल के स्वामित्व वाला

टर्मिनल है। सभी टर्मिनल तेजी से निकासी और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए पूरी तरह से मशीनीकृतनौभार हस्त संचालन के साथ अत्यधिक आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। 8 संचालनगत घाट की क्षमता 54.44 मिलियन टन है। विद्यमान टर्मिनलों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i) कोयला घाट 1 और 2

8 एमटीपीए की क्षमता के साथ कोयला घाट 1 और 2 में 77,000 डीडब्ल्यूटी तक के 280 मीटर लंबे दो कोयला वाहक हो सकते हैं और टीएनईबी (टैंजेडको) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए थर्मल कोयले को संभाल सकते हैं। उतारे गये कोयले को सीधे वाहक प्रणाली के माध्यम से निकटवर्ती उत्तरी चेन्नै थर्मल पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस) में स्थित अहाते में ले जाया जाता है, जहां से इसका एक भाग रेल संपर्क के माध्यम से मेंदूर तक ले जाया जाता है। व्यवसाय प्रतिमान के अनुसार, केपीएल ने घाट संरचना का निर्माण किया और टैंजेडको ने ताप कोयले को संभालने के लिए टटक्षत्रों पर अहाते, वाहक प्रणाली इत्यादि जैसी सभी शीर्ष पार्श्व सुविधाओं में निवेश किया है और उनका संचालन और रखरखाव कर रहा है।



टैंजेडको के लिए ताप कोयले को संभालने के लिए कोयला घाट 1 और 2

ii) समुद्री तरल टर्मिनल

मेसर्स एन्नूर टैंक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (ईटीटीपीएल) द्वारा बीओटी आधार के तहत 3 एमएमटीपीए की नौभार संचालन क्षमता वाला समुद्री तरल टर्मिनल विकसित किया गया था और वाणिज्यिक संचालन 16 जनवरी 2009 से शुरू हुआ था। इसके अलावा, व्यापार में मांग को पूरा करने के लिए, बीओटी संचालक ने 167 करोड़ रुपये के निवेश पर अतिरिक्त भंडारण टैंक विकसित किए, दूसरे चरण के रूप में एलपीजी संचालन उपकरण की स्थापना की। 13.5 मीटर के मसोदे के साथ पीओएल, एलपीजी, सीबीएफएस, रसायन और अन्य शामिल हैं। राजस्व शाखा की पेशकश 21.678% है। पोतों की भीड़ को कम करने के लिए, लाइसेंस धारक, मेसर्स ईटीटीपीएल ने अतिरिक्त डॉक लाइनें बिछाई और समुद्री माल उत्तराई शाखाओं की सीपाना की जिससे पोत के प्रतीक्षा समय में कमी आई। घाट को तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मानकों के अनुसार बनाई गई अग्नि सुरक्षा प्रणाली प्रदान की गई है।

टैंक फार्म लगभग 247,990 किलोलीटर की कुल भंडारण क्षमता के

साथ घाट से लगभग 3.7 किमी की दूरी पर 33 एकड़ के पोर्ट –लीज प्लॉट में स्थित है और श्रेणी ए/बी/सी पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स, बनस्पति तेलों, जैव ईंधन, एसिड और सुरक्षित वर्ग तरल पदार्थ का भंडारण कर सकता है। पूरे टर्मिनल में ओआईएसडी की आवश्यकताओं के अनुरूप एक एकीकृत अग्निशमन प्रणाली है।



समुद्री तरल टर्मिनल

iii) सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

10 एमएमटीपीए की नौभार संचालन क्षमता वाले सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल को बीओटी आधार पर मैसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईसीटीपीएल) द्वारा विकसित किया गया था और वाणिज्यिक संचालन 11 मार्च 2011 से शुरू हुआ। कैपेसाइज पोत को संभालने के लिए, बीओटी संचालक ने 16 मीटर के मसौदे के साथ घाट की लंबाई 22.5 मीटर बढ़ा दी। टर्मिनल की वर्तमान क्षमता 10 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष है। प्रसतावित राजस्व हिस्सेदारी 52.524% है। 48.0 हेक्टेयर का अहाता क्षेत्र पोर्ट परिसर की दीवार से लगभग 2.50 किमी की दूरी पर स्थित है। 59 माल डिब्बों (3500 टन) के एक पूर्ण जर्थे को चढ़ाने के लिए एक उपयुक्त गतिमान माल डिब्बा आरोहन स्टेशन स्थापित किया गया है और ट्रकों के माध्यम से निकासी के लिए ट्रक लोडिंग स्टेशन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए धूल दमन तंत्र के साथ एक वाहक स्थापित किया गया है। टर्मिनल को जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह द्वारा 13.11.2020 को अधिग्रहित कर लिया गया है और इसका नाम बदलकर मैसर्स एन्नूर कोल टर्मिनल प्रा. लिमिटेड कर दिया गया है।



सामान्य उपयोगकर्ता कोयला टर्मिनल

iv) सामान्य नौभार घाट सह ऑटोमोबाइल निर्यात टर्मिनल

घाट दुनिया के सबसे बड़े कार वाहक पोत को समायोजित कर सकता है और इसमें 14,000 कारों के लिए विशाल वाहन तल अहाते के साथ लगभग 2,10,900 वर्ग मीटर का पूर्ती क्षेत्र है जो किसी भी भारतीय पोर्ट में सबसे बड़ी सुविधा है। जीसीबी के माध्यम से ऑटोमोबाइल इकाइयों का निर्यात 31.03.2022 तक 19.55 लाख यूनिट को पार कर गया।

केपीएल ने घाटशुल्क पर मात्रा आधारित छूट प्रदान कर के, प्रमुख ओईएम केपीएल से अपने ऑटोमोबाइल निर्यात करने के लिए समझौते किए हैं। मैसर्स निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टोयोटा किर्लस्कर मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स इसुजु मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स जेडएफ विंड पावर कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड (विंडमिल घटक)।

v) कंटेनर टर्मिनल

आपकी कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से पीपीपी साधन के अंतर्गत प्रति वर्ष 1.40 मिलियन टीईयू प्रति वर्ष की निगरानी क्षमता के साथ कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए मैसर्स अदानी एन्नूर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक रियायत समझौता किया है। कंटेनर टर्मिनल के लिए कुल पूर्ती क्षेत्र 36.5 हेक्टेयर है। फेज 1 घाट, चार रेल संयोजित क्वे क्रेन से सुसज्जित है, जिनमें से प्रत्येक की 6 मीटर पहुँच है और दूसरे चरण के दौरान ऐसी तीन और क्रेनें जोड़ी जाएंगी। अहाता पहले चरण में 12 ईआरटीजीएस से सुसज्जित है और दूसरे चरण में 9 ईआरटीजीएस जोड़े जाएंगे। कंटेनर निकासी सङ्क और रेल साधन के माध्यम से है। कंटेनर टर्मिनल (चरण- I) का वाणिज्यिक संचालन वित्तीय वर्ष 2017–18 से शुरू हुआ।



कंटेनर टर्मिनल

vi) बहु नौभार टर्मिनल

टर्मिनल को मैसर्स चेट्टीनाड इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईबीटीपीएल) द्वारा डीबीएफओटी आधार पर 2.0 मिलियन टन क्षमता के साथ विकसित किया गया था। टर्मिनल स्थील नौभार, उर्वरक, जिप्सम, बैराइट्स और चूना पत्थर को

संभालता है। टर्मिनल के लिए कुल पूर्ती क्षेत्र 13.5 हेक्टेयर है। घाट दो (2) हार्बर मोबाइल क्रेन से सुसज्जित है जिसमें प्रत्येक की क्षमता 100 टन प्रति हेक्टेयर है और अहाता भंडारण सुविधाओं से सुसज्जित है। नौभार निकासी सड़क और रेल माध्यम से होती है। टर्मिनल का वाणिज्यिक संचालन 05.08.2017 से आरंभ हुआ। 13.11.2020 को जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह द्वारा टर्मिनल का अधिग्रहण कर लिया गया है और इसका नाम बदलकर मैसर्स एन्नर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है।



बडु नौभार घाट

vii. तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात टर्मिनल

संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार आईओसीएल ने 5 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (10 मिट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार योग्य) की क्षमता के साथ पुनः गैसीकरण सुविधाओं के साथ एलएनजीटर्मिनल की स्थापना की है। पुनर्गैसीकरण टर्मिनल में 2 टैंक हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल क्षमता 1,80,000 m³ है। टर्मिनल 26.02.2019 को चालू किया गया था और परियोजना की लागत 3834.51 करोड़ रुपये है।



इंडियन ऑयल एलएनजीटर्मिनल

9.0 क्रियान्वयन के तहत परियोजनाएं

निम्नलिखित घाट/टर्मिनलों का विकास चल रहा है

- कोयले को संभालने के लिए तीन और घाट – 30 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ,
- तरल नौभार को संभालने के लिए दो और घाट – 6

एमटीपीए की क्षमता के साथ,

- कंटेनरों को संभालने के लिए एक घाट – 11.58 एमटीपीए (600000 टीईयू) और
- ऑटोमोबाइल इकाइयों/परियोजना नौभार को संभालने के लिए एक घाट – 3 एमटीपीए की क्षमता के साथ

उपरोक्त सात अतिरिक्त घाट/टर्मिनल 54.44 मिलियन टन की मौजूदा क्षमता में 50.58 मिलियन टन और वृद्धि करेंगे जिससे कुल क्षमता 105.02 मिलियन टन हो जाएगी। चल रही परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) कोल घाट 3 और 4 (18 एमएमटीपीए की क्षमता के साथ)

केपीएल ने टैंजेडको के अनुरोध पर दो अतिरिक्त कोयला घाट (सीबी-3 और सीबी-4) का निर्माण किया। 9 एमएमटीपीए की क्षमता वाले नए कोल घाट में 18 मीटर ड्राफ्ट के कैपेसाइज पोत को समायोजित किया जा सकता है। केपीएल ने माल उतारने, वाहक प्रणाली आदि जैसी उत्कृष्ट आरोहन सुविधाओं की स्थापना के लिए क्रमशः अगस्त 2018 और जून 2019 के दौरान कोल घाट – 4 और कोल घाट – 3 को टैंजेडको को सौंप दिया है। सीबी-3 और सीबी-4 का मशीनीकरण चल रहा है और इसके क्रमशः 2023–24 और 2022–23 में चालू होने की आशा है।

(ii) लौह अयस्क टर्मिनल का संशोधन सामान्य उपयोगकर्ता कोयले (12 एमएमटीपीए) को संभालने के लिए 'जहां है – जैसा है', समीकरण के आधार पर किया गया है

केपीएल ने सितंबर 2006 में प्रोजेक्ट कंपनी सिकल आयरन और टर्मिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) के साथ 30 साल के बीओटी आधार पर लौह अयस्क टर्मिनल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बीओटी संचालक ने 2010–11 के दौरान 6 एमएमटीपीए का पहला चरण विकसित किया था। हालांकि, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण, टर्मिनल को कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया। फलस्वरूप, सामान्य उपयोगकर्ता कोयले को संभालने के लिए "जहां है जैसा है" के आधार पर मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल के संशोधन को स्विकृती दी गई थी और तदनुसार केपीएल और एसआईओटीएल के बीच 11.07.2016 को लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हालांकि, छूटग्राही, मेसर्स एसआईओटीएल द्वारा वित्तीय त्रूटी की घटना के कारण, आपकी कंपनी द्वारा मेसर्स एसआईओटीएल को 22.03.2021 को 'समाप्ति नोटिस' जारी किया गया था। और 19.06.2021 को मेसर्स एसआईओटीएल के लाइसेंस समझौते को समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नै के समक्ष विभिन्न मामले दायर किए गए हैं। एनसीएलटी ने 01.03.2022 को मेसर्स एसआईओटीएल को कॉर्पोरेट देनदार घोषित किया है और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया जारी है।

(iii) आईओसीएल सुरक्षित घाट (3 एमएमटीपीए)

आपकी कंपनी ने पीओएल और एलपीजी उत्पादों को संभालने के लिए सुरक्षित घाट के निर्माण के लिए 9.6.2016 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुमानित परियोजना लागत 921 करोड़ रुपये है।

टर्मिनल की क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष है। आपकी कंपनी द्वारा स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की गई है। आईओसीएल ने 31.01.2022 को घाट निर्माण के लिए मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड, मुंबई को ईपीसी ठेकेदार के रूप में चुना है। आपकी कंपनी ने आईओसीएल को पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि का हिस्सा, पोर्ट और आरओडब्ल्यू आवंटिट किया है और 02.03.2022 को रियायत देने की तिथि घोषित की है। निर्माण कार्य जुलाई 2022 से आरंभ हुआ। घाट के अप्रैल 2024 तक कार्यान्वित होने की आशा है।

(iv) समुद्री तरल टर्मिनल – 2 (3 एमएमटीपीए)

पीओएल की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, केपीएल ने डीबीएफओटी रूप में घाट और टैंकेज सुविधाओं से युक्त दूसरे समुद्री तरल टर्मिनल के विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है। अनुमानित परियोजना लागत 393 करोड़ रुपये है। टर्मिनल की क्षमता 3 एमएमटीपीए है। प्रतिरस्थी बोली के बाद, केपीएल ने 14.02.2018 को बीपीसीएल–एचपीसीएल के सहकारी को पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किया। एमएलटी-1 के मौजूदा बीओटी परिचालक द्वारा कानूनी अड्डवनों के कारण रियायतग्राही के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर लंबित है।

(v) कंटेनर टर्मिनल – चरण 1 (स्थिती2) (6,00,000 टीईयू /11.58 एमटीपीए)

रियायतग्राही, मैसर्स ईसीटीपीएल को जनवरी 2019 में दूसरे चरण की निर्माण गतिविधियों को शुरू करना था। रियायतग्राही ने चरण II निर्माण की अनुसूची सहित कई मुद्दों पर मध्यस्थता को उठाया है। अंतिम बहस चल रही है।

(vi) ऑटो मोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-2 (3 एमएमटीपीए)

आपकी कंपनी ने 3 एमएमटीपीए की अनुमानित क्षमता के साथ दूसरा ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल विकसित करने के लिए 13.11.2021 को ईपीसी ठेकेदार के रूप में मैसर्स एल एंड टी जियोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड काचयन किया है। प्रदान की गई परियोजना लागत 149.36 करोड़ रुपये है। निर्माण कार्य 03.12.2021 को आरंभ हुआ और कार्य 31.07.2023 तक पूरा होने की आशा है।



ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल का शिलान्यास समारोह

10.0 आधारभूत ढांचे का विकास

एक निगमित पोर्ट के रूप में, "भू-स्वामीत्व" प्रतिमान पर कार्य करते हुए, आपके पोर्ट को सड़क और रेल संपर्क, घाटी/चौनल, समुद्री

सेवाओं और अन्य सामान्य उपयोगिताओं जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं।

नौभार की तेजी से प्राप्ति और निकासी सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने सड़क और रेल के प्रभावी आंतरिक संपर्क के साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और शाखायी रेल मार्गों के लिए बाहरी संपर्क के लिए कार्रवाई आरंभ की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

I. सड़क संपर्क

(i) आंतरिक सड़क संपर्क

केपीएल के अंदर आईओसीएल पुनर्गसीकरण टर्मिनल को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए, आपकी कंपनी ने 17.43 करोड़ रुपये की लागत से द्विमार्गीय पक्के सड़क के निर्माण के लिए टीएनआरडीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सड़क की कुल लंबाई 2.4 किमी है। टीएनआरडीसी ने ठेकेदार मैसर्स रोमा हाउसिंग प्रा. लिमिटेड को 27.01.2021 को चयनित किया है। कार्य प्रगति पर है और सितंबर 2022 तक पूरा होने की आशा है।

(ii) बाहरी सड़क संपर्क

(ए) दक्षिणी पोर्ट प्रवेश मार्ग

तीन राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच5, एनएच4 और एनएच45) के लिए कामराजर पोर्ट की वर्तमान सड़क संपर्क पोर्ट प्रवेश मार्ग, एनसीटीपीएस प्रवेश मार्ग, तिरुवोद्वियूर–पोन्नेरी–पंचेटी (टीपीपी) मार्ग, अंतर्रूप्तीय मार्ग (आईआरआर) और चेन्नै उपमार्ग के माध्यम से है। नौभार के आयात/निर्यात के बढ़ते सड़क यातायात संचलन को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने वल्लूर जंक्शन (टीपीपी रोड) से आरंभ होकर आपके पोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मौजूदा टू लेन रोड को चतुर्मार्गीय सड़क बनने तक चौड़ा करने का काम किया है और व्यापार सूचकांक आधार पर टीएनआरडीसी को 195 करोड़ रुपये की लागत से काम सौंपा है।

सड़क कार्य टीएनआरडीसी द्वारा 2 हिस्सों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रथम भाग – में वल्लूर जंक्शन से एनसीटीपीएस जंक्शन तक 4.8 किमी के लिए सड़क चौड़ीकरण / सुधार शामिल है और द्वितीय भाग – में एनसीटीपीएस जंक्शन से पोर्ट का मुख्य द्वार तक 2.3 किमी की लंबाई के लिए सड़क सुधार शामिल है। द्वितीय भाग – के सड़क का हिस्सा 31.01.2022 को पूरा किया गया था। प्रथम भाग – के सड़क का काम प्रगति पर है और दिसंबर 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।



दक्षिणी पोर्ट प्रवेश मार्ग

(बी) उत्तरी पोर्ट प्रवेश मार्ग

उत्तरी पोर्ट प्रवेश मार्ग, जो आपके पोर्ट को एनएच 5 से जोड़ती है, की लंबाई 21.148 किमी है और मौजूदा चेन्नै अंतरावृत्तीय मार्ग से 4.35 किमी तक स्कन्ध मार्ग है। यह उत्तरी पोर्ट प्रवेश मार्ग चेन्नै परीधीय मार्ग (सीपीआरआर) के खंड -1 का हिस्सा है। राज्य सरकार ने शासनादेश (हस्ताक्षरित) संख्या 37 राजमार्ग और लघु बंदरगाह (HW2) विभाग दिनांक 8.3.2019 के माध्यम से सड़क के निर्माण के लिए 2673.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के लिए जेआईसीए निधिकरण संरक्षा है। परियोजना का क्रियान्वयन टीएनआरडीसी द्वारा किया जा रहा है। सितंबर 2021 के दौरान मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स को ठेकेदार के रूप में चुना गया था। प्रदान की गई परियोजना की लागत 2122 करोड़ रुपये है और परियोजना की अवधि 36 महीने है। काम जनवरी 2022 से शुरू हुआ और दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

II. रेल संपर्क

वर्तमान में, आपकी कंपनी चेन्नै-दिल्ली/कोलकाता मार्ग पर दक्षिण रेलवे के चेन्नै-गुदुर खंड में स्थित अट्टीपट्टू और अट्टीपट्टू पुदुनगर स्टेशनों पर मुख्य लाइन से रेल द्वारा जुड़ी हुई है। आपकी कंपनी ने कोयला और लौह अयस्कर्टर्मिनलों के भंडारक्षेत्र को मौजूदा एनसीटीपीएस रेलवे लाइन से जोड़ने वाली रेलवे सुविधाओं का विकास किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के दायित्वों के हिस्से के रूप में, कंटेनर और बहु नौभारटर्मिनलों के लिए रेल संपर्क प्रदान की गई है और अक्टूबर 2018 से चालू है।

रेल बाध्य यातायात में भीड़भाड़ को कम करने के लिए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित रेल संपर्क परियोजनाओं के लिए कार्रवाई शुरू की है:

(ए) दक्षिणी रेल संपर्क का दोहरीकरण

आपकी कंपनी ने 86.50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर होलिंड अहाता सं. 1 से कंटेनर अहाता तक मौजूदा एकल लाइन रेल सम्पर्क को दोगुना करने के लिए मेसर्स इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) के साथ एक समझौता किया है। दोहरीकरण रेल संपर्क की कुल लंबाई 2.65 किलोमीटर है।

मेसर्स आईपीआरसीएल ने क्रमशः दिसंबर 2018 और नवंबर 2020 में 2 अलग-अलग संकुल में बड़े और छोटे पुल निर्माण और लाइन निर्माण कार्यों के लिए ठेके दिए हैं। कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(बी) उत्तरी रेल संपर्क

उत्तरी रेल संपर्क कामराजार बंदरगाह को मिंजुर स्टेशन के उत्तरी हिस्से से जोड़ेगा। जो की चेन्नै - गुडूर रेलवे मेनलाइन है। उत्तरी रेल संपर्क की कुल लंबाई 11.211 किलोमीटर है। आपकी कंपनी और कट्टूपल्ली पोर्ट एनपीएआर के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा रहे 100 मीटर आरओडब्ल्यू में से 30 मीटर आरओडब्ल्यू (15 मीटर प्रत्येक) के लिए सहमत हुए हैं।

आपकी कंपनी ने इस एनआरएल परियोजना को एक दीर्घकालिक परियोजना के रूप में माना है और परियोजना की आवश्यकता पड़ने पर मिंजुर के पास मुख्य लाइन से अनुकरण के लिए भूमि अधिग्रहण

करने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रही है।

(सी) केपीएल और एन सी टी पी एस रेल मार्गों का एकमुश्त उन्नयन

आपकी कंपनी ने होलिंडिंग अहाता II (पी.वे, ओएचई और एस एंड टी) में संशोधन कार्य सहित केपीएल ट्रैक (होलिंडिंग अहाता I, II और केपीसीए) और एन सी टी पी एस रेलवे ट्रैक (कॉमन रेलवे ट्रैक) के एकमुश्त उन्नयन के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (मेसर्स आईपीआरसीएल) के साथ एक समझौता किया है। 27.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल संपर्क की कुल उन्नयन लंबाई 26.38 किलोमीटर है।

मेसर्स आई पी आर सी एल ने पी.वे और ओएचई कार्य के लिए ठेके दिए। पी.वे और ओएचई कार्य का निष्पादन प्रगति पर है। काम पूरा होने की संभावित दिनांक दिसंबर 2022 के अंत तक है।

11.0 औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना जारी रखा है। वर्ष के दौरान किसी भी हड्डताल या काम के रुकने के कारण कोई भी कार्य दिवस व्यर्थ नहीं गया। बंदरगाह पर श्रमिकों की स्थिति सामान्य थी।

12.0 मानव संसाधन विकास

12.1 श्रमशक्ति

31.03.2022 को सभी कर्मचारियों के संबंध में श्रमशक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
अधिकारिगण	12	3	26	19	60
कर्मचारी	9	1	18	6	34
कुल	21	4	44	25	94

12.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी पूरी बारीकी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों आदि के लिए पदों/लाभों के आरक्षण पर समय-समय पर राष्ट्रपति के निर्देशों और केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करती है। अनुसूचित जाति के कर्मचारी कुल जनशक्ति का 22% और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कुल जनशक्ति का 4% हैं।

संगठन में आरक्षण आदेशों के अनुपालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

12.3 प्रशिक्षण

आपकी कंपनी हमेशा अपने कर्मचारियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में संपूर्ण ज्ञान के साथ रखने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने में गहरी रुचि दिखा रही है। इस दिशा में, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को 198 कार्य दिवस का प्रशिक्षण दिया गया और आपकी कंपनी द्वारा 8.66 लाख रुपये (लगभग) का व्यय किया गया।

वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा भाग लिए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पीएफएसओ पाठ्यक्रम, खतरनाक सामान और सुरक्षा प्रबंधन, सीएसआर दिशानिर्देश, सुरक्षा संबंधी, बंदरगाहों में आईएसओ 45001, वित्तीय प्रबंधन, आईएमडीजी कोड, ड्रेजिंग प्रबंधन, आईटी और प्रौद्योगिकी, कंपनी अधिनियम / नियम – विनियम तथा हिंदी कार्यशालाएं, आदि शामिल हैं।

12.4 परिवाद निवारण तंत्र

आपकी कंपनी ने कार्यपालकों के साथ-साथ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए एक परिवाद निवारण प्रक्रिया स्थापित की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुई।

13.0 स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण

आपका पोर्ट स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को अत्यधिक प्राथमिकता देता है और सभी हितधारकों – उपयोगकर्ता, ठेकेदार और कर्मचारीयों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपके पोर्ट ने कार्यस्थल में सभी लागू कानूनों और विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा किया और टर्मिनल संचालकों और लगे हुए ठेकेदारों/उप ठेकेदारों से इसे सुनिश्चित किया।

आपका पोर्ट कंपनी के कर्मचारियों और अन्य टर्मिनल संचालकों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए 24x7 आधार पर प्रशिक्षित अर्द्ध चिकित्सकों से सुनिश्चित एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओआईएसडी) चला रहा है, जिसमें सभी कार्य दिवसों में सामान्य पाली में एक चिकित्सक और आपात रिस्ति के दौरान प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे (24 x 7) आधार पर एम्बुलेंस सेवा है।

कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा एक संयुक्त उत्तरदायित्व है और श्रमिकों से सुरक्षा प्रथाओं को लागू करने और बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है, इसलिये आपके पोर्ट ने 9.3.2022 को पोर्ट प्रशासनिक कार्यालय में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा एक स्वास्थ्य जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है।

आपके पोर्ट ने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूल घटनाओं को कम करने और आपके पोर्ट के अंदर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 के संलेखों का अनुपालन किया है। आपके पोर्ट ने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए।



सुरक्षा सप्ताह समाप्त समारोह

आपके पोर्ट में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार के बारे में कर्मचारियों, हितधारकों और पोर्ट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया।

आपके पोर्ट ने आईओसीएल, बीपीसीएल, आईपीपीएल जैसे पड़ोसी उद्योगों के साथ पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अग्निशमन, घाट पर कृत्रिम अभ्यास और पारस्परिक सहायता अभ्यास पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

निर्मित सुरक्षा उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण और प्रमाणित किया जाता है। कार्य के दौरान उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण – पीपीई का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है। एक अच्छे उद्योग अभ्यास के रूप में, आपके पोर्ट ने

- पीओएल उत्पादों/एलएनजी को संभालने वाली घाटों के सुरक्षा संपरिक्षा के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) को लगाया गया है।
- गैर-ज्वलनशील उत्पादों को संभालने वाले घाटों/टर्मिनलों/भंडारण सुविधाओं के लिए सुरक्षा संपरिक्षा और अनुवर्ती संपरिक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को नियुक्त किया।

पर्यावरण के अनुकूल और बंदरगाह को बनाए रखने के लिए हरित पहल की दिशा में कदम उठाए गए हैं। आपका पोर्ट नियमित रूप से पर्यावरण की निगरानी कर रहा है। पोर्ट ने परिवेशी वायु, समुद्री जल की गुणवत्ता, तलचट और टट क्षेत्र जैसे विभिन्न पर्यावरणीय मापदंडों के नमूने और परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त / एमओईएफ और सीसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मेसर्स ह्यूबर्ट एनवीरो केयर सिस्टम्स (पी) लिमिटेड को नियुक्त किया है। पर्यावरण गुणवत्ता प्रतिवेदन नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाती है।

आपके पोर्ट ने मारपोल – विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अनुपालन के हिस्से के रूप में, जहाज से उत्पन्न तैलीय अवशिष्टों के संग्रह और निपटान के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चार स्वीकृत अपशिष्ट तेल के पुनर्वर्कणकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। आपके पोर्ट ने जहाजों और बंदरगाह के अंदर से उत्पन्न ठोस कचरे के संग्रह, पृथक्करण और निपटान के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया है। पृथक किए गए कचरे को आगे लाभकारी उपयोग के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्वर्कणकर्ताओं के पास भेजा जाता है।

आपके बंदरगाह ने स्वच्छ पर्यावरण के महत्व को उजागर करने के लिए समुद्र तट क्षेत्र की सफाई करके 18.9.2021 को तटीय सफाई दिवस मनाया है।

14.0 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और महिला सशक्तिकरण के तहत प्रकटीकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और परिवादों की रोकथाम और निवारण के उद्देश्य से लागू किया गया है। आपकी कंपनी में किसी भी समय किसी भी उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और विशेष रूप से वर्ष 2021–22 के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ।

31 मार्च 2022 तक, कंपनी की तालिका में कुल 17 महिला कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 5% कर्मचारी संवर्ग में हैं और लगभग 12% अधिकारी संवर्ग में हैं। विभिन्न खेलों और कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।



महिला दिवस पर महिला कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान

15.0 कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी ने एक दायित्ववान निगमित नागरिक के रूप में अपनाई गई सीएसआर नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप परियोजनाएं आरंभ की हैं। सीएसआर वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर पर वर्ष के दौरान की गई पहलों से संबंधित आवश्यक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं, जो कि अनुलग्नक—II के रूप में संलग्न हैं और बोर्ड की प्रतिवेदन का हिस्सा हैं।

16.0 सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति अधिसूचित की है जो सीपीएसई के लिए लागू है। यद्यपि आपकी कंपनी एक सीपीएसई नहीं रह गई है, आपकी कंपनी ने कुल अधिप्राप्ति में से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से वार्षिक मूल्य की 95% से अधिक वस्तुओं या सेवाओं का अधिप्राप्ति किया है।

17.0 संकट प्रबंधन नीति

कंपनी ने संभावित संकटों और अवसरों की पहचान, आकलन और प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए संकट प्रबंधन नीति अपनाई है। यह प्रबंधकों को सूचित प्रबंधन निर्णय लेने का एक पथ प्रदान करता है।

संकट प्रबंधन ढांचे के कुछ उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- संगठन को बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करने के लिए बाधाओं की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने में एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना।
- संगठन के उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले संभावित संकटों की पहचान करने के लिए संगठन में एक संरचित संकट प्रबंधन पहल का परिचय देना एवं विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ उनके शमन

की योजना बनाना।

- रणनीतिक निर्णय लेने में सुधार करना।
- व्यापारिक प्रदर्शन में सुधार करना।
- संचालन में अप्रत्याशित घटनाओं और नुकसान को कम करना।
- पूँजी के परिनियोजन में सुधार करना।
- अच्छे कंपनी प्रशासन के घटकों के रूप में एकीकृत संकट प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण के लिए एक ठोस आधार प्रदान करना।

संकटों की पहचान की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है और संकट को कम करने वाली योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी की जाती है।

18.0 उपचार सूचक नीति – फ्लॉसल ब्लॉअर नीति

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या व्यावसायिकता, ईमानदारी, अखंडता और नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाकर कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के प्रतिवेदन के लिए कर्मचारियों के लिए एक "फ्लॉसलब्लॉअर नीति" बनाई है। वर्ष के दौरान इस नीति के अंतर्गत कोई अभियोग प्राप्त नहीं हुई है। फ्लॉसलब्लॉअर नीति को केपीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है - <https://www.kamarajarport.in/upload/uploadfiles/files/blower.pdf>.

19.0 नामांकन और पारिश्रमिक नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने निदेशकों की नियुक्ति, निदेशकों के पारिश्रमिक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक सहित अन्य कर्मचारियों पर एक नीति तैयार की है। नामांकन और पारिश्रमिक नीति वेबलिंक में उपलब्ध है <https://www.kamarajarport.in/content/innerpage/manuals.php>.

20.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन कर रही है और आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुपालन की देखभाल के लिए एक जन सूचना अधिकारी और एक अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी को कंपनी की वेबसाइट www.kamarajarport.in पर प्रेषित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान 46 आवेदन एवं 2 अपील प्राप्त हुई। उन पर ध्यान दिया गया और निर्धारित समय के भीतर निस्तारित किया गया।

21.0 सूचना प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी हमेशा बेहतर व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन और व्यवसाय को महत्व प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे रही है। आपकी कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के माध्यम से सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और सेवा वितरण को पूरा करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय पहल की हैं और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल परिवर्तन को साधित

किया है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान एसएपी परिचालनों का 99 प्रतिशत से अधिक उपरिकाल बनाए रखा।

आपकी कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बातचीत करने के लिए ग्राहकों और विक्रेताओं के लिए पीओएमएस और व्यावसायिक अंतराफलक प्रवेश द्वारा – बिजेन्सइंटरफेस पोर्टल के विकास के लिए मेसर्स इंडियम सॉफ्टवेयर (इंडिया) लिमिटेड को अनुबंध दिया गया था। यह परियोजना जहाजों, नौभार, पोर्ट शिल्प आदि सहित संपूर्ण पोर्ट संचालन को कवर करती है और एक ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में विभिन्न पोर्ट संचालन को मूल रूप से समायोजित करती है। इस परियोजना के अगस्त 2022 के अंत तक आरंभ होने की आशा है।

22.0 राजभाषा का क्रियान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए केंद्रित प्रयास किए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- कर्मचारियों को ऑनलाइन हिंदी कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और मई नवंबर 2021 के दौरान आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा परीक्षाओं के सफल समापन पर पुरस्कृत किया गया।
- राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में सीएमडी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
- प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं और 01.09.2021 से 14.09.2021 के पखवाड़े तक हिंदी दिवस मनाया गया।
- परिणामस्वरूप लगभग 32 कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया है और उन्हें अपने विभागों में राजभाषा लागू करने का कार्य सौंपा गया है।



चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से आयोजित हिंदी कार्यशाला

हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. सुधा त्रिवेदी, एम.ए., एम.फिल, पीएचडी, समन्वयक-भाषा संकाय, एमओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय (स्वायत्त), चेन्नै, ने अपने भाषण में तमिलनाडु के लोगों के संदर्भ में हिंदी के ज्ञान के उपयोग का महत्व समझाया और प्रकाश डाला। कामराजार बंदरगाह में राजभाषा के बढ़ते प्रयोग पर

प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. सुधा त्रिवेदी ने इस अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।



सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए नकद पुरस्कार की प्रस्तुति

कामराजर पोर्ट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुनील पालीवाल ने अपने संबोधन में राजभाषा के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि भाषाओं का ज्ञान बहुत लाभकारी है।

23.0 निदेशक मंडल

ए) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन:

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के 21 सितंबर, 2021 के पत्र के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि श्री पी. रवींद्रन, चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद से 29.09.2021 से कार्यमुक्त हो जाएंगे, श्री पी. रवींद्रन, आपकी कंपनी चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण के एक नामित निदेशक के रूप में 30.09.2021 से अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे।
- संपूर्ण इविवटी शेयरों के अधिग्रहण और आपके पोर्ट, चेन्नै पोर्ट न्यास (अब चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण) के प्रबंधन नियंत्रण के अनुसार पत्र संख्या ए3/5944/2021/जीए दिनांक 5.11.2021 के तहत श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस., केपीएल के सीएमडी की नामांकन की सूचना दी।
- चेन्नै पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से केपीएल के अध्यक्ष के रूप में और
- चेन्नै पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एमडी, केपीएल (एक अंतरिम सुझाव के रूप में) के रूप में कार्य करने के लिए और इस समय तक, केपीएल के लिए नियमित एमडी की नियुक्ति चेन्नै पोर्ट द्वारा की जाती है।
- श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस. द्वारा 10 नवंबर, 2021 से चेन्नै पोर्ट न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, वे 10.11.21 से केपीएल के प्रभारी गैर कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं।



निदेशक मंडल द्वारा दौरा किया गया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसरण में, श्री एस. बालाजीअरुणकुमार, नामित निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और योग्यता के नाते स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करेंगे।

बी) बोर्ड/समितियों की बैठकों और संरचना का विवरण

बोर्ड/समिति की बैठकों और संरचना का विवरण निगमित अधिकार प्रतिवेदन में दिया गया है जो इस वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा है। समितियों की सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

सी) वार्षिक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार, व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन, समग्र रूप से बोर्ड का प्रदर्शन, इसकी समितियों का संचालन निदेशकों द्वारा किया गया था। भागीदारी के स्तर और पर्याप्त समय की परायणता जैसे विभिन्न मानकों पर सभी निदेशकों को एक मूल्यांकन मानदंड प्रश्नावली परिचालित की गई थी।

24.0 स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

आपकी कंपनी को वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के 149 (6) और सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

25.0 सतर्कता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री प्रदीप कुमार, आईआरएसएमई, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), विशाखापोर्टम पोर्ट न्यास, 18.02.2021 से सीवीओ, केपीएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इसके बाद, 25.04.2022 से, श्री एस. मुरली कृष्णन, आईडीएएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, चेन्नै पोर्ट न्यास के पास सीवीओ, केपीएल का अतिरिक्त प्रभार है और संचालन विभाग के एक वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

सतर्कता विभाग विभिन्न विभागों द्वारा निष्पादित कार्य अनुबंधों के संबंध में दस्तावेजों की जांच करता है। प्रक्रियात्मकत्रूटीयां, निविदा मानकों से विचलन और अनुबंध कार्यों में कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई और प्रणाली में सुधार के लिए संबंधित विभागों को इंगित

किया जाता है। उचित मामलों में धन की वसूली की भी सलाह दी जाती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग का दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं विभागों को परिचालित की जाती हैं। केपीएल के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से असामान्यताओं, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेखापरीक्षाप्रतिवेदनों का सतर्कता प्रभाग में अध्ययन किया जाता है और विभागों को सलाह दी जाती है कि जहां कहीं आवश्यक हो, आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

25.1 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देश के अनुसार कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने 26.10.2021 से 01.11.2021 तक "स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। केपीएल कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ निबंध और जयघोष लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए सत्यनिष्ठा संबंधी विषयों पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण, सीवीसी की सलाह के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के हिस्से के रूप में विभिन्न आंतरिक हाउसकीपिंग गतिविधियों को अभियान रूप में चलाया गया।



स्कूली बच्चों के विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

25.2 सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना

केंद्रीय सतर्कता आयोग सतर्कता प्रशासन और अधीक्षण के एक भाग के रूप में सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेनदेन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता रहा है। सार्वजनिक खरीद केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है और इसमें उचित व्यवस्था लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

आयोग ने सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने की सिफारिश की है और सरकारी संगठनों में प्रमुख क्रय के संबंध में इसके कार्यान्वयन के लिए आधारभूत दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। समझौता संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और नियोक्ता/प्रधान के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

दोनों पक्षों के व्यक्ति/अधिकारी अनुबंध के किसी भी पहलू पर कोई भ्रष्ट प्रभाव नहीं डालते हैं। सत्यनिष्ठा संधि अनुबंध के सभी चरणों को संपूर्ण करती है अर्थात् निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के चरण से अनुबंध के समापन तक। पोत परिवहन मंत्रालय की सलाह के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा पीपीपी परियोजनाओं और अन्य अनुबंध कार्यों में सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है। आपकी कंपनी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते के तहत पूर्ण किए जाने वाले अनुबंधों/खरीद के लिए निर्धारित सीमा मूल्य रु.1 करोड़ और उससे अधिक है और सभी विभागों को सलाह दी गई थी कि वे कार्यों/खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में सत्यनिष्ठा संधि खंड को शामिल करें, जिसका प्रारंभिक मूल्य रु.1करोड़ है। इसके अलावा आयोग ने सत्यनिष्ठा समझौते के तहत शामिल कार्यों की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाह्य परिवीक्षक (आईईएम) की नियुक्ति की सिफारिश की है। श्री वी. कन्नन, पूर्व सीएमडी, विजया बैंक और श्री आर. कुप्पन, आईआरएसएमई, पूर्व मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर, सीवीसी के कार्यकाल की समाप्ति पर, केपीएल में अखंडता समझौते को लागू करने के लिए 20.5.2021 को निम्नलिखित दो नए आईईएम नियुक्त किए गए हैं:

1. श्री वीरेंद्र नारायण गौर, आईएएस (सेवानिवृत्त)
2. श्री अश्विनी कुमार, पूर्व सीएमडी, देना बैंक

आईईएम ने वर्ष के दौरान केपीएल में 1 करोड़ रुपये के प्रारंभिक मूल्य वाले कार्यों की समीक्षा की।

25.3 आई ई एम की समीक्षा बैठक

सीवीसी की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, केपीएल के हितधारकों को आमंत्रित करके समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैठक के दौरान, आई ई एम के अधिकार क्षेत्र में ठेकेदारों/विक्रेताओं/सलाहकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को आई ई एम द्वारा समाधान किया जाता है।

26.0 उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या समाप्त हो गई हैं

वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी उसकी सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं बनी।

27.0 निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

आपके निदेशक कहते हैं कि:-

- (ए) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (बी) उस अवधि के लिए कंपनीय निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

- (सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- (डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रसंग के आधार पर तैयार किया था;
- (ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थीं।
- (एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28.0 कंपनी अधिनियम की धारा 197 और कंपनियों की आवश्यकताएं (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित विवरण, कंपनी (प्रबंधकीय कर्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित, निदेशकों की प्रतिवेदन का हिस्सा है और इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक – III के रूप में संलग्न है।

29.0 लेखा परीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ने मेसर्स बी त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है।

29.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स बीत्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के खातों पर एक अप्रतिबंधित प्रतिवेदन दिया है। लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में संदर्भित मामलों और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों का जोर स्व-व्याख्यात्मक है और आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

29.2 भारत के नियंत्रक–महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने बताया कि "मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो सांविधिक लेखा परीक्षकों पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।" सीएजी की प्रतिवेदन की एक प्रति बोर्ड की प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

30.0 सचिवीय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स धनपाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षक ने एक अप्रतिबंधित प्रतिवेदन दी है और प्रतिवेदन अनुलग्नक – IV के रूप में संलग्न है।

31.0 नियामकों या न्यायालयों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेश

नियामकों या अदालतों या द्रिव्यनुल द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण आदेश भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले नहीं हैं।

32.0 वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3) (ए) के अनुसार, वार्षिक विवरणी निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:

<https://www.kamarajarport.in/content/innerpage/annual-return.php>.

33.0 ऋणपत्र संरक्षक

आपकी कंपनी ने मेसर्स एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और मेसर्स कैटालिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (जिसे पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), को नियुक्त किया था। जिन्हें क्रमशः वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी किए गए करमुक्त बॉन्ड के लिए ऋणपत्र संरक्षक के रूप में जाना जाता है।

34.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन पर प्रतिवेदन।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय के बारे में जानकारी इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक – V में दी

गई है।

35.0 कंपनी शासन पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी प्रशासन पर एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक – VI के रूप में संलग्न है।

35.1 सचिवीय मानक

आपकी कंपनी निदेशक मंडल (एसएस – 1) और सामान्य बैठकों (एसएस – 2) की बैठकों पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

35.2 लागत अभिलेख

केंद्र सरकार ने कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

36.0 स्वीकृति

आपके निदेशक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं और टैन्जेडको/टीएनईबी, टीएनपीसीबी, गोटीएन और भारत सरकार से प्राप्त सहयोग की सराहना करते हैं। विशेष रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय और भारतीय रेलवे/दक्षिणी रेलवे।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण कथन, आपके निदेशक पोर्ट उपयोगकर्ताओं, बीओटीछूटग्राहियों, ठेकेदारों और बैंकरों को उनके निरंतर समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं और वर्ष के दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्य की सराहना करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01310101)

स्थान :चेन्नै

दिनांक :11.08.2022

फॉर्म सं. एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ अतिरिक्त संसाधनों के लेनदेन शामिल हैं

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का व्योरा एक-दूसरे से दूरी के आधार पर नहीं— प्रयोज्य नहीं।

- (ए) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति
- (बी) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति
- (सी) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि
- (डी) अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त, मूल्य सहित, यदि कोई हो—
- (ई) ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य
- (एफ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि—
- (जी) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:
- (एच) दिनांक जिस पर धारा 188 के प्रथम परंतुक के तहत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या अतिरिक्त संसाधन की लंबाई के आधार पर लेनदेन का विवरण

- (ए) संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति—
चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण
- (बी) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति
267 वर्ग मीटर की सीमा तक आच्छादित स्थान का आवंटन। भूतल पर – जवाहर भवन का उत्तर विंग अग्रिम प्रीमियम पर और लंबे समय तक पट्टे के आधार पर कामराजर पोर्ट लिमिटेड को।
- (सी) अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि
31 अगस्त 2045 तक (जवाहर बिल्डिंग से कामराजर पोर्ट तक दूसरी और तीसरी मंजिल की मुख्य लीज अवधि के साथ को-टर्मिनस होना।)
- (डी) अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त, मूल्य सहित, यदि कोई हो:
 - आवंटित कार्यालय स्थान के लिए अग्रिम प्रीमियम के रूप में ₹.6,36,27,433/- का भुगतान। प्रति माह पट्टा या उसके भाग का किराया ₹740/- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।
 - दो साल के वार्षिक लीज रेंट के बराबर ₹48,01,194/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान, जो वापसी योग्य है।
 - उपरोक्त के अलावा, नाममात्र का पट्टा किराया ₹1/- प्रति वर्ग मी. /प्रति वर्ष लागू करें के साथ केपीएल द्वारा पट्टे की अवधि की मुद्रा के लिए देय होगा।
- (ई) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो:

25 जून 2021.

- (एफ) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो: नहीं

- (जी) अनुबंध में प्रवेश करने का औचित्य:

यह दिए गए निर्देश के अनुरूप है (भारत सरकार द्वारा केपीएल में विनिवेश के बाद चेन्नै पोर्ट न्यास और केपीएल के लिए रणनीतिक रोडमैप को अंतिम रूप देने के समय) कि संसाधनों के उपयोग में, निर्णय संयुक्त नकदी को कम करने के सिद्धांत बहिर्वाह, या संयुक्त वित्तीय लाभ पर आधारित होना चाहिए।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01310101)

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 11.08.2022

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मंडल का प्रतिवेदन में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप
कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 135 के अनुसार

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

केपीएल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII के सीएसआर प्रावधानों के अनुरूप स्थायी आधार पर पारिस्थितिक मुद्दों पर समझौता किए बिना समाज / समुदाय के बुनियादी ढांचे / जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल का समर्थन करके समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का लगातार प्रयास करता है।

केपीएल, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में प्रयास करता है।

- सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना
- सीएसआर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेना, जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में हैं जैसे सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा, आदि। और वंचितों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्य केंद्र बिंदु के साथ सीएसआर नियमों और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी नीति निर्देशों के अनुरूप हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लिये बैठकों की संख्या
1	श्री. सुनील पालीवाल	अध्यक्ष / सीएमडी	5	5
2	श्री पी. रवींद्रन* (30.09.2021 तक)	नामित निदेशक / सदस्य	2	2
3	श्री. एस बालाजी अरुणकुमार	नामित निदेशक / सदस्य	5	5
4	श्री. वी.एम.वी सुब्बा राव	सदस्य / गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक	5	5

*श्री पी. रवींद्रन के 30.09.2021 से निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहने के परिणामस्वरूप, वह सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. वेब लिंक प्रदान करें जहां वेबसाइट में सीएसआर समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का खुलासा किया गया है।

सीएसआर समिति की संरचना लिंक : <https://www.kamarajairport.in/content/innerpage/board-level-committee.php>

सीएसआर परियोजना लिंक : <https://www.kamarajairport.in/content/innerpage/corporate-social-responsibility-csr.php>

4. कंपनी (कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)

लागू नहीं।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) के अनुसरण में आरंभ करने के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि यदि कोई हो (रुपये में)
1	2020 - 21	17,97,160/-	17,97,160/-*
	कुल	17,97,160/-	17,97,160/-

*वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 में, आरंभ करने के लिए उपलब्ध राशि को 18.25 लाख रुपये के रूप में प्रकट/दिखाया गया था, जिसे "राउंडिंग ऑफ" के आधार पर निकाला गया था। हालांकि, एमसीए (11.02.2022 को अधिसूचित) के साथ दायर फॉर्म सीएसआर-2 में स्वत सुधारा गया आंकड़ा/मूल्य 17,97,160/- रुपए बनता है, 17,97,160/- रुपए की राशि को केवल समायोजन के रूप में लिया जाता है।

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : 362.56 करोड़ रुपये

7. ए) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : रु. 7,25,11,720/-

बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

सी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : रु. 17,97,160/-

डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a + 7b - 7c) : रु. 7,07,14,560/-

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	सीएसआर को हस्तांतरित कुल अव्ययित राशि धारा 135(6) के अनुसार		अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि धारा 135(5) के अनुसार दूसरा प्रावधान		
	राशि (करोड़ रुपए में)	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
5.5743608	1.4970952	30.04.2022	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिये खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम में अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची के वस्तु/विषय	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का सीन		परियोजना के लिए आवित राशि (लाख रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	क्रियान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	क्रियान्वयन की प्रणाली – क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से
				राज्य	जिला					नाम सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	लोगनाथ नारायण स्वामी सरकार में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण। केपीएल के सीएस आर के तहत कला महाविद्यालय, पोन्नेरी (खायत)	ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	3	100.00	15.26548	84.73452	हाँ प्रयोज्य नहीं
2	चिन्नासेककाडु गांव में प्राथमिक विद्यालय ईटीपीएस और हाई स्कूल भवनों का निर्माण	ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	3	32.00	0	32.00	नहीं ग्रेटर चेन्नै निगम सीएसआर 00027306
3	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए जिला कलेक्टर, तिरुवल्लुर को योगदान	x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	2	131.9	98.925	32.975	नहीं डीआर टीपी तिरुवल्लुर सीएसआर 00008203
कुल						263.9	114.19048	149.7095		

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
							क्रियान्वयन की प्रणाली – क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम में अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से विषय	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	क्रियान्वयन की प्रणाली – क्रियान्वयन संस्था के माध्यम से	नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	पोन्नेरी और गुम्मीडिपुंडी में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये का योगदान	i) स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	50.00	नहीं	डीआरडीए तिरुवल्लुर सीएसआर 00008203
2	सीएसआर के तहत सरकारी स्टेनली अस्पताल और मेडिकलकॉलेज को कौविड देखभाल सुविधाओं के लिए चिकित्सा उत्कर्षण उपलब्ध कराने के लिए 105 लाख रुपये का योगदान	i) स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	चेन्नै	105.00	नहीं	सरकारी स्टेनली अस्पताल और मेडिकलकॉलेज सीएसआर 00032439
3	आईओजी और महिला और बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल, चेन्नै में ओपीडीब्लॉक की ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिए 101 लाख रुपये का योगदान।	i) स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	चेन्नै	101.00	नहीं	महिलाओं और बच्चों के लिए आईओजी और सरकारी अस्पताल, चेन्नै। सीएसआर 00032447
4	स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान, किलपौक में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान प्रकोष्ठ के विकास के लिए 55.79 लाख रुपये का योगदान दिया गया।	i) स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	चेन्नै	55.79923	नहीं	स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थान, किलपौक
5	चेन्नै पोर्ट और घाट शैक्षिक न्यास उच्च माध्यमिक विद्यालय, टॉडियारपेट में योगदान।	ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	हाँ	तमिल नाडु	चेन्नै	100.00	नहीं	चेन्नै पोर्ट और घाट शैक्षिक न्यास सीएसआर 00022490
6	सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष में 5 लाख रुपये का योगदान	vi) सशस्त्र बलों के लाभ के उपाय	नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	5.00	नहीं	डीआरओ, तिरुवल्लुर सीएसआर 00011199
7	जिला कलेक्टर, तिरुवल्लुर को – ईकोमैट मशीनों के लिए छादन निर्माण के लिए अनुमानित व्यय में वृद्धि पर अतिरिक्त राशि का योगदान।	x) ग्रामीण विकास परियोजना	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	24.04	नहीं	डीआरडीए तिरुवल्लुर सीएसआर 00008203
8	वेम्पकम/पोन्नेरी नगर पालिका पंचायत में पीयूईएस भवन के निर्माण के लिए अनुमानित वृद्धि के लिए अतिरिक्त राशि का – जिला कलेक्टर, तिरुवल्लुर को योगदान।	x) ग्रामीण विकास परियोजना	हाँ	तमिल नाडु	तिरुवल्लुर	2.30	नहीं	डीआरडीए तिरुवल्लुर सीएसआर 00008203
9	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	i) स्वच्छ भारत कोष में योगदान	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	0.10637	नहीं	भारत सरकार प्रयोज्य नहीं
कुल					443.24560			

(झी) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि – शून्य

(झै) प्रभावी आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – शून्य

(एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी+8 सी+8 डी+8 झै) – रु.557.43608 लाख

(जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	7.0714560
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	5.5743608
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) - (i)]	0
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	0

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (करोड़ रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (करोड़ रुपये में)।	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधी को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधी का नाम	राशि (रुपये में)	
।	2020 - 21	2.8337640	1.9983890	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं 83,53,750/-

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना* आईडी।	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि (वर्षों में)	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (लाख रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई कुल राशि। (लाख रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / जारी।
1	मेसर्सहसलफी फाउंडेशन के माध्यम से 3 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रही ग्रामीण बालिकाओं का प्रारंभ से ही अंकीय गुणवत्ता का शिक्षा प्रदान करना।।		2018 - 19	3	50.00	20.00	50.00	संपूर्ण
2	शासकीय उच्च विद्यालय एराविपुथुर के लिए दो कक्षाओं का निर्माण		2019 - 20	2	26.00	18.20	26.00	संपूर्ण
3	विरुद्धनगर जिले में 85 आंगनबाड़ी शौचालयों का निर्माण		2019 - 20	2	27.20	20.40	27.20	संपूर्ण
4	विरुद्धनगर जिले के सरकारी अस्पतालों में सार्वजनिक पुरुष और महिला शौचालयों का निर्माण		2019 - 20	2	15.00	3.75	15.00	संपूर्ण
5	विरुद्धनगर जिले में 6 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवनों का निर्माण		2019 - 20	3	65.00	46.21250	46.21250	जारी
6	ग्रेटर चेन्नै निगम के माध्यम से एन्नूर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।		2019 - 20	3	59.00	44.25	44.25	जारी
7	लोगनाथन नारायणस्वामी सरकारी कला महाविद्यालय में खेल सुविधाएं प्रदान करना।		2019 - 20	2	50.00	47.02640	50	संपूर्ण
8	लोगनाथन नारायणस्वामी सरकारी कला महाविद्यालय में खेल सुविधाएं प्रदान करना।		2019 - 20	3	50.00	0	0	जारी
	कुल				342.20	199.8389	258.6625	

*सीएसआर-2 दाखिल करने पर ही प्रोजेक्ट आईडी तैयार होते हैं। चूंकि सीएसआर-2 केवल 11.02.2022 को अधिसूचित किया गया था, यह लागू नहीं है

10. पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण इस प्रकार है)

(ए) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।
प्रयोज्य नहीं

(बी) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।
प्रयोज्य नहीं

(सी) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूँजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।
प्रयोज्य नहीं

(डी) सृजित या अर्जित (पूँजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूँजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।
प्रयोज्य नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण निर्दिष्ट करें।

प्रयोज्य नहीं

ह/-

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक)

ह/-

(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत सूचना
कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ें

- वित्तीय वर्ष में कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात – नोट देखें
- वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक, (यदि कोई हो) के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;

क्र. सं.	नाम	प्रतिशत
1	श्री सुनील पालीवाल – सीएमडी	नोट देखें
2	श्री एम. गुणसेकरन, सीएफओ	21.7 %
3	श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन, सीएस	11.3 %

- वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि

	सीवाई	पीवाई	प्रतिशत
माध्य पारिश्रमिक	1169461.87	1078549.63	8.43 %

- कंपनी की तालिका पर स्थायी कर्मचारियों की संख्या:

31 मार्च 2022 को कंपनी की तालिका में स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 94 है।

- पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कर्मियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से ही की गई औसत प्रतिशत वृद्धि और प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि और उसके औचित्य के साथ इसकी तुलना और व्याख्या करें कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित पारिश्रमिक में औसत प्रतिशत वृद्धि सीएमडी को छोड़कर 5–10% की सीमा में रही है। कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में वार्षिक वृद्धि 3% है। महंगाई भत्ता सरकार के नियमानुसार बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, संबंधित वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदर्शनके आधार पर लागू नियमों के अनुसार प्रदर्शन संबंधी देय का भुगतान किया जाता है।

- कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार ही पारिश्रमिक की पुष्टि की जाती है।

कंपनी के सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार दिया गया है।

- कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारीयों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के तहत वर्ष 2021–22 के विवरण को उद्घाटित किया जाना आवश्यक है।

किसी भी कर्मचारी ने उसमें निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित नहीं किया था।

नोट :

श्री सुनील पालीवाल 09.11.2021 तक कंपनी के अध्यक्ष थे। चेन्नै पोर्ट न्यास (अब चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें 10.11.2021 से कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप अनुपात निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

निकाले गए पारिश्रमिक के संदर्भ में शीर्ष दस कर्मचारीयों के नाम

क्र.सं.	नाम और पदनाम	पारिश्रमिक प्राप्त (रु.मे)	योग्यता और अनुभव	सेवा आरंभ होने की तिथि	आयू	अंतिम सेवा
1	श्री संजय कुमार, महा प्रबंधक (सीएस और बीडी)	54,91,653/-	विभिन्न क्षमताओं में 35 वर्षों के अनुभव के साथ, भौतिकी विज्ञान में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता।	03-05-2005	59	सी आई एस एफ
2	श्री एम. गुणसेकरन, महा प्रबंधक (वित्त)	47,78,839/-	विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्षों के अनुभव के साथ वाणिज्य में स्नाकोत्तर, एआईसीडब्ल्यूआई, एसीएस की शैक्षणिक योग्यता।	28-11-2001	59	बीएसईएस केरल पावर लिमिटेड
3	श्री पी. राधाकृष्णन उप महा प्रबंधक (सिविल)	41,66,404/-	विभिन्न क्षमताओं में 36 वर्षों के अनुभव के साथ सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक और प्रबंधन में स्नाकोत्तर की शैक्षणिक योग्यता।	12-12-2007	59	मेकॉन लिमिटेड
4	श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.11.2021 तक)	37,46,158/-	विभिन्न क्षमताओं में 29 वर्षों के अनुभव के साथ स्नातक (कम्प्यूटिंग), स्नातकोत्तर (कम्प्यूटिंग) और एमबीए की शैक्षणिक योग्यता।	16-09-2019	54	राज्य सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग
5	श्री सी.एस. वेमण्णा मुख्य प्रबंधक (वित्त)	34,35,234/-	विभिन्न क्षमताओं में 31 वर्षों के अनुभव के साथ वाणिज्य में स्नातक, एआईसीडब्ल्यूए, मत्स्य पालन टेक और नेविगेशन इंजिनियरिंग और एमबीए की शैक्षणिक योग्यता।	05-03-2012	54	आईओसीएल
6	श्री जी.एम. बालन, उप महा प्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	32,12,654/-	भौतिक विज्ञान में स्नातक और एफजी में स्नाकोत्तर की शैक्षणिक योग्यता के साथ विभिन्न क्षमताओं में 25 वर्षों का अनुभव।	16-08-2013	49	एलपी लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड
7	श्री एस.पी. देसिकमणि, मुख्य प्रबंधक (घाट प्रमुख)	30,66,482/-	30 साल के अनुभव के साथ एफजी में स्नातक और स्नातकोत्तर की शैक्षणिक योग्यता	27-04-2018	51	वेस्ट एशिया मेरीटाइम लिमिटेड
8	श्री सी. उमा शंकर, मुख्य प्रबंधक (समुद्री सेवाएं)	30,51,507/-	30 साल के अनुभव के साथ स्नातक (मैकेनिकल) / स्नातकोत्तर एफजी की शैक्षणिक योग्यता।	02-05-2018	54	डीपी वर्ल्ड चेन्नै कंटेनर टर्मिनल
9	श्री पी. ओम प्रगेश वरिष्ठ कार्यकारी सचिव	29,03,111/-	28 साल के अनुभव के साथ स्नातक, एमबीए, पीजीडीएम (पीएम)। की शैक्षणिक योग्यता।	25-02-2002	49	केंद्र सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय
10	श्री ए. करुणेया मुख्य प्रबंधक (यातायात)	28,99,532/-	25 वर्षों के अनुभव के साथ स्नातक (सिविल) और स्नातकोत्तर (भासासागर इंजीनियरिंग) की शैक्षणिक योग्यता।	01-02-2007	55	चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण

नोट :

- सेवायोजन की प्रकृति: सभी निर्दिष्ट अवधि तक कंपनी की भूमिकाओं में कर्मचारी थे।
- श्री सुनील पालीवाल, सीएमडी और श्री एम. गुणसेकरन, महा प्रबंधक (वित्त), जिनके पास चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट (वर्तमान में चेन्नै पोर्ट प्राधिकरण) के नामितियों के रूप में 1 इक्विटी शेयर के धारक हैं, इन को छोड़कर कंपनी में किसी भी कर्मचारी के पास इक्विटी शेयर नहीं है।
- कोई भी कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का संबंधी नहीं है।

सुइट नंबर 103, प्रथम तल, कावेरी कॉम्प्लेक्स नंबर 96/104, नुगमबाक्कम हाई रोड (नाबार्ड और आईसीआईसीआई बैंक के बगल में), नुगमबाक्कम, चेन्नै - 600034
फोन नंबर 044-45530256, 4553 0257/4265 2127
ई-मेल: csdhanapal@gmail.com वेबसाइट: www.csdhanapal.com

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव

साझेदार

एस. धनपाल, बी.कॉम., बी.ए.बी.एल., एफसी.एस

एन. रामनाथन, बी. कॉम., एफसी.एस

स्मिता विठ्ठीगार, एम. कॉम., एफ.सी.एस, डीसीजी (आईसीएसआई)

प्रपत्र सं. एमआर 3

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

हमने नियोजित वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और मैसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड, (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय/समझ को व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और हमें उपलब्ध कराए गए और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान इसके अधिकारी, प्रतिनिधि, अधिकृत प्रतिनिधि और हम, उन अभिलेखों और इस प्रकार प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, एतद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी राय और समझ में, कंपनी, मार्च 31, 2022, को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करता प्रतीत होता है और हमारी सीमित समीक्षा में भी, कंपनी के पास उचित और आवश्यक समितियां और अनुपालन तंत्र हैं जो उस सीमा तक, विधि से और इसके बाद भी कार्य करने के अधीन हैं।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है और हमें निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया है:

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम और कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियम जो लागू हों;
- ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;
- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम लागू सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।
- v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेवी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: –
 - ए. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;
 - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;
 - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी परिलाभ) विनियम, 2014;
 - इ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- एफ. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन के लिये

निबंधक और शेयर अंतरण अधिकर्ता) विनियम, 1993;

जी. 10.06.2021 से प्रभावी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इविटी शेयरों का असूचीयन) विनियम, 2021;

एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतिओं का प्रतिक्रिय) विनियम, 2018

vi. पत्तन प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों से संबंधित अधिनियम, नियम और विनियम, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है और हमें सूचित किया गया है।

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. निदेशक मंडल (एसएस-1) और सामान्य बैठक (एसएस-2) की बैठकों के संबंध में भारत के कंपनी सचिव संरथन द्वारा जारी सचिवीय मानक, और

ii. कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम 2015 के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आवश्यक सीमा तक ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के लागू प्रावधानों के साथ मिलने वाली आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू विभिन्न अधिनियमों के तहत सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और कंपनी द्वारा प्राप्त पत्रों/नोटिसों के समाधान के लिए जहां कहीं आवश्यक है, उपाय आरंभ किए हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि, उपरोक्त के अधीन, संबंधित दस्तावेज जो हमारे सामने आए हैं, वे दर्शाते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ लागू होता है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में

किए गए थे।

सभी निदेशकों को समिती की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची विषयों पर और जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली नियोजित है।

अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असहमति वाले सदस्यों (यदि कोई हो) के विचारों को लिया जाता है और मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की हमारी सीमित समीक्षा के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने वार्षिक आम बैठक में सामान्य व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय के लिए अपने सदस्यों की स्वीकृति नहीं मांगी है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि, 'कर्मचारियों की उन्नति' के संबंध में प्रदान की गई सुरक्षा पर कंपनी के पक्ष में प्रभार का निर्माण, जिसे वित्तीय विवरणों में सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, प्रगति पर है।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा केवल उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के सत्यापन के अधीन थी जो कंपनी द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं और हम कंपनी की ओर से उन अनुपालनों में किसी भी त्रूटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि हमने इस प्रतिवेदन को जारी करने के उद्देश्य के लिए मौजूदा कोविड स्थिति के कारण, कंपनी द्वारा अनुरोध और सुविधा के अनुसार, ऑनलाइन सत्यापन और अभिलेखों की जांच के माध्यम से जहां कहीं भी आवश्यक है, सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है।

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(कार्यरत कंपनी सचिवों का एक फर्म)
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं.1107/2021

ह/-

एन. रामनाथन (सहभागी)

एफसीएस 6665

सीपी न. 11084

यूडीआईएन: एफ006665डी000782011

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 11.8.2022

इस प्रतिवेदन को सम तिथि की हमारी साक्षी के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का एक अभिन्न अंग है।

प्रति

सदस्यगण,

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

(तत्कालीन एन्नूर पोर्ट लिमिटेड)

चेन्नै

सम तिथि की हमारा प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन

किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के

एस धनपाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(कार्यरत कंपनी सचिवों का एक फर्म)
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं.1107/2021

ह/-

एन. रामनाथन (सहभागी)
एफसीएस 6665 सीपी न. 11084
यूडीआईएन: एफ006665डी000782011

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 11.8.2022

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत सूचना कंपनी (खाता) नियम, 2014
के नियम 8 के साथ पढ़ें

ए) ऊर्जा संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव या उठाए गए कदम:

विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, मेसर्स ग्रीनसर्व एनर्जी द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी। और लेखा प्रतिवेदन जून 2020 के दौरान प्राप्त की गई थी। लेखा परीक्षक की अनुशंसा के अनुसार, निम्नलिखित संरक्षण उपाय किए गए थे:

- ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में जवाहर भवन की दूसरी और तीसरी दोनों मंजिलों में फॉल्स सीलिंग के अंदर एयर कंडीशनर डक्ट लीकेज को रोकना।
- भंडारण प्रणाली के साथ सिग्नल स्टेशन में मौजूदा 20 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का नवीनीकरण किया जा रहा है।
- सिग्नल स्टेशन के पास नया सबस्टेशन स्थापित करने का काम चल रहा है जिससे वितरण घाटे को कम करने में सहायता मिलेगी।

प्रभाव:

- ऊर्जा कुशल।
- पर्यावरण के अनुकूल।
- वितरण हानियों में कमी और ऊर्जा संरक्षण।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

डीजल जेनरेटर के माध्यम से लगभग 10,200 किलोवाट (यूनिट) बिजली उत्पन्न की गई है और लगभग 33,288 किलोवाट (यूनिट) बिजली सौर के माध्यम से उत्पन्न की गई है और इसका उपयोग वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया है।

पोर्ट के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

सौर ऊर्जा:

रेस्को मॉडल पर 300 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की सीपना के लिए 04.02.2022 को एल 1 बोलीदाता मेसर्स इरजा इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई / 4.29 / किलोवाट (यूनिट) प्लस लागू जीएसटी / प्रथम वर्ष टैरिफ को कार्य दिया गया है। कार्य प्रगति पर है और इसे सितंबर 2022 के अंत से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजी निवेश:

शून्य

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 11.08.2022

बी) प्रौद्योगिकी समावेश:

(i) एसएपी इआरपी प्रणाली

नवंबर 2017 के दौरान बजट, लेखा और वित्त, मानव संसाधन और पेरोल, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली आदि जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करने के लिए लागू एसएपी एस/4 हाना 1610 इआरपी प्रणाली को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान हाना 2020 नवीनतम संस्करण यानी एसएपी एस/4 में सफलतापूर्वक उन्नयन किया गया है। यह समग्र प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ाएगा और केपीएल को समग्र उत्पादकता बढ़ाने, ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने, सेवा स्तर की प्रतिबद्धताओं, इष्टतम स्तर पर संसाधनों के उपयोग आदि के मामले में आगे ले जाएगा।

(ii) लाभ

मानव संसाधन/ पेरोल, वित्त और लेखा, खरीद और अनुबंध और परियोजना प्रणाली (डब्ल्यूबीएस), कर्मचारी अनुरोध / दावा और ऋण प्रक्रियाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यात्मकताओं को कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। जिससे लागत में कमी आती है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से माना जाता है)

ए. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण: प्रयोज्य नहीं

बी. आयात का वर्ष: प्रयोज्य नहीं

सी. क्या तकनीक पूरी तरह से अवशोषित हो गई है:

प्रयोज्य नहीं

डी. यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण: प्रयोज्य नहीं

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

(सी) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

विदेशी मुद्रा की कमाई शून्य है और विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह 90.85 करोड़ रुपये है जो विदेशी मुद्रा ऋण और मोबाइल एक्स-रे मशीन की खरीद की ऋण सेवाओं के लिए है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से कामराजर पोर्ट लिमिटेड

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 01310101)

कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन

1.0 प्रशासन संहिता पर कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त विवरण

कंपनी प्रशासन से तात्पर्य किसी कंपनी के शासित होने की विधि से है। कंपनी ने ऐसी प्रक्रियाओं और तंत्रों को अपनाया है जो मजबूत और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। चूंकि आपकी कंपनी सभी हितधारकों के हितों को अत्यधिक महत्व देती है, इसलिए कंपनी प्रशासन पर प्रतिवेदन स्वेच्छा से प्रदान की जाती है।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 31.03.2022 को निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी।

क्र.सं.	नाम	श्रेणी
1	श्री सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2	श्री एस बालाजी अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस.	नामित निदेशक
3	श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीआई)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
4	कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक
5	श्रीमती सरला बालगोपाल, आई.आर.टी.एस. (सेवानिवृत्त)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक

निदेशक मंडल में परिवर्तन का विवरण समिति की प्रचिवेदन में सम्मिलित है।

2.2 बैठक की तिथियों के साथ आयोजित समिति की बैठकों की संख्याएँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 9 (नौ) समिति की बैठकें 25.06.2021, 26.08.2021, 24.09.2021, 28.10.2021, 08.11.2021, 14.12.2021, 24.01.2022, 11.02.2022 और 25.03.2022 को आयोजित की गईं।

2.3 वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

समिति में उनके कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार पब्लिक लिमिटेड कंपनियों (केपीएल सहित) की लेखा परीक्षा समिति (एसी) और हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम	वित्तीय वर्ष में 2021-22 संबंधित निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित समिति बैठकों की संख्या	समिति बैठक की उपस्थिती संख्या	पिछली एजीएम में भाग लिया	31 मार्च 2022 तक अन्य निदेशक पद	समितियों की संख्या सभी कंपनियों में	
						31 मार्च 2022 तक अन्य सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में 31 मार्च 2022 तक
श्री सुनील पालीवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हाँ	3	एसी-केपीएल एसआरसी-केपीएल	शून्य
श्री पी.रवींद्रन	नामित निदेशक (30.09.2021 से सेवा समाप्त)	3	3	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस बालाजी अरुण कुमार	नामित निदेशक	9	8	हाँ	4	शून्य	शून्य
श्री. वी एम वी सुब्बा राव	स्वतंत्र निदेशक	9	9	हाँ	1	शून्य	एसी - केपीएल
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	9	9	हाँ	1	एसी-केपीएल एसी-डीसीआई	शून्य
श्रीमती सरला बालगोपाल	स्वतंत्र निदेशक	9	7	नहीं	शून्य	एसी-केपीएल	एसआरसी-केपीएल

नोट: केपीएल - कामराजर पोर्ट लिमिटेड, एससीएल - सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीसीआई - ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.4 निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण:

निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

3.0 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें, संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है। कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। श्री एम. गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) सह सीएफओ लेखापरीक्षा

समिति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न कार्यों से वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया गया था। हमारी लेखा परीक्षा समिति के सदस्य वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया, लेखा प्रक्रिया, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली और कानूनों और विनियमों के अनुपालन की कड़ी निगरानी रखते हैं।

ए. लेखा परीक्षा समिति की संरचना

31.03.2022 को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य समिलित थे:

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव — अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल — सदस्य
 कैप्टन अनूप कुमार शर्मा — सदस्य
 श्रीमती सरला बालगोपाल — सदस्य

बी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति:

वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 25.06.2021, 08.11.2021 और 11.02.2022 को 3 (तीन) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

सी. उनके कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति सहित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों द्वारा उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	3	3	100
श्री सुनील पालीवाल	3	3	100
श्री पी. रवींद्रन (30.09.2021 तक)*	1	1	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	3	3	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	3	3	100

*श्री पी. रवींद्रन के 30.09.2021 से बोर्ड में निदेशक नहीं रहने के परिणामस्वरूप, वह इस समिति के सदस्य नहीं रहे।

4.0 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है। कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

ए. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 31.03.2022 को निम्नलिखित सदस्य समिलित थे:

कैप्टन अनूप कुमार शर्मा — अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल — सदस्य
 श्री एस बालाजी अरुणकुमार — सदस्य
 श्रीमती सरला बालगोपाल — सदस्य

बी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 26.08.2021 एवं 08.11.2021 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें हुईं।

सी. उनके कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति सहित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	सदस्यों द्वारा उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	2	2	100
श्री सुनील पालीवाल	2	2	100
श्री पी. रवींद्रन* (30.09.2021 तक)	1	1	100
श्री एस बालाजी अरुणकुमार** (21.10.2021 से)	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	2	2	100

* श्री पी. रवींद्रन के 30.09.2021 से निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहने के परिणामस्वरूप, वह इस समिति के सदस्य नहीं रहे।

** श्री. एस बालाजी अरुणकुमार को 21 अक्टूबर 2021 को पारित परिपत्र संकल्प संख्या 4/2021–22 के तहत समिलित किया गया था।

डी. कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भुगतान किए गए कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण:

निदेशकों का नाम	वेतन और अन्य भत्ते (₹.)	बोनस / कमीशन / पीआरपी (₹.)	कुल (₹.)
श्री सुनील पालीवाल	37,46,158/-	-	37,46,158/-**

** ऊपर उल्लिखित कुल पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य और अंतिम लागू सम्मिलित नहीं है।

5.0 हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति बांधधारकों की परिवेदनों के निवारण/बांडों के हस्तांतरण और अन्य विविध परिवेदनों से संबंधित मुद्दों को देखती है। कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

ए. हितधारक संबंध समिति की संरचना

31.03.2022 को, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य समिलित थे:

श्रीमती सरला बालगोपाल — अध्यक्ष
 श्री सुनील पालीवाल — सदस्य

बी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान दिनांक 26.08.2021, 26.08.2021, 28.10.2021 और 11.02.2022 को 4 (चार) हितधारक संबंध समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

सी. उनके कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति सहित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	भाग लेने के लिए पात्र	सदस्यों द्वारा उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्रीमती सरला बालगोपाल* (21 अक्टूबर, 2021 से)	2	2	100
श्री सुनील पालीवाल	4	4	100
श्री पी. रवींद्रन** (30.09.2021 तक)	2	2	100

* श्रीमती सरला बालगोपाल को 21 अक्टूबर 2021 को पारित परिपत्र संकल्प संख्या 4/2021-22 के तहत इस समिति में सम्मिलित किया गया था।

** श्री पी. रवींद्रन के 30.09.2021 से निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहने के परिणामस्वरूप, वह इस समिति में नहीं रहे।

6.0 सीएसआर और सतत विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की भूमिका, संदर्भ की शर्तें और संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार है। श्री पी. राधाकृष्णन, उप महाप्रबंधक (सिविल) प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

ए. सीएसआर और सतत विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति की संरचना

सीएसआर और कंपनी के सतत विकास पर बोर्ड स्तरीय समिति में 31.03.2022 को निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित थे:

श्री सुनील पालीवाल — अध्यक्ष

श्री एस बालाजी अरुणकुमार— सदस्य

श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव — सदस्य

बी. वर्ष के दौरान बैठकों और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर और सतत विकास पर समिति की 5 (पांच) बैठकें 25.06.2021, 26.08.2021, 08.11.2021, 24.01.2022 और 25.03.2022 को आयोजित की गईं।

सी. उनके कार्यकाल में परिवर्तन, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति सहित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य	भाग लेने के लिए पात्र	सदस्यों द्वारा उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री सुनील पालीवाल	5	5	100
श्री पी. रवींद्रन* (30.09.2021 तक)	2	2	100
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	5	5	100
श्री एस बालाजी अरुणकुमार	5	4	80

* श्री पी. रवींद्रन के 30.09.2021 से निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहने के परिणामस्वरूप, वह इस समिति के सदस्य नहीं रहे।

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, 8 नवंबर, 2021 को कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। उक्त बैठक की उपस्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

सदस्य	भाग लेने के लिए पात्र	सदस्यों द्वारा उपस्थिति	
		बैठकों की संख्या	%
श्री वी.एम.वी. सुब्बा राव	1	1	100
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	1	1	100
श्रीमती सरला बालगोपाल	1	1	100

8.0 साधारण सम्बा

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक बैठकों / एजीएम की तिथि, समय और स्थान और उसमें पारित विशेष प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2020-21	24.09.2021	12.30 अपराह्न	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से	पूर्ण
2019-20	16.12.2020	11.00 प्रातः	दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से	पूर्ण
2018-19	06.09.2019	12.15 अपराह्न	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में समिति कक्ष – 600 001	पूर्ण

9.0 प्रकटी करण

- वार्षिक प्रतिवेदन में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले टिप्पणीयों के लिए संबंधित दल के लेनदेन टिप्पणी संख्या 30 (12) में निर्धारित किए गए हैं।
- वैधानिक प्राधिकरणों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी अधिनियम /नियमों के तहत कंपनी पर कोई सख्ती या जुर्माना नहीं लगाया है।
- आपकी कंपनी की एक हिस्सल ब्लोअर नीति है और कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामे नहीं की गई जो व्यवसाय के प्रयोजन के लिए नहीं थी। इसके अलावा, निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई व्यय नहीं किया गया, जो व्यक्तिगत था।

- (v) कंपनी के किसी भी अंशकालिक निदेशक का कंपनी के साथ आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।
- (vi) समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय का विवरण वार्षिक खातों में उपलब्ध है।

10.0 आचार संहिता

कामराजर पोर्ट के अपने कर्मचारियों के लिए एक उच्च मानक आचार स्थापित करने के निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में सभी समिति सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक "व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता" निर्धारित की गई है। सभी समिति सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कामराजर पोर्ट की "व्यापार आचार और नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

कंपनी के सभी समिति सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यापार आचार संहिता और नैतिकता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए
ह/—
(सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:01310101)

11.0 समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण

आपकी कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ के साथ—साथ पेशेवर, सामाजिक—आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता को भी प्रोत्साहित करने के लिए निदेशकों के प्रशिक्षण की नीति है।

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 11.08.2022

जिसे कार्यान्वित किया जाता है।

12.0 लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

समिति ने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन प्रतिवेदन की समय—समय पर समीक्षा की है।

13.0 संचार के माध्यम

त्रैमासिक, अर्ध—वार्षिक वित्तीय परिणाम तुरंत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाते हैं जहां कंपनी के कर मुक्त बांड सूचीबद्ध होते हैं। ये वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी संस्करणों में प्रकाशित किए गए थे। परिणाम ऋणपत्र संरक्षकों और बॉन्ड धारकों को भी भेजे गए और कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए www.kamarajairport.in।

वार्षिक प्रतिवेदन जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ लेखापरीक्षित लेखे, निदेशकों की प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन, नकद प्राह विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित होती है, सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित की जाती है। बड़े निगमों से संबंधित प्रकटीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन और निदेशकों की प्रतिवेदन और लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सेबी सूचीकरण नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी घटनाओं/सूचनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट में अनुपालन अधिकारी, रजिस्ट्रार और हस्तांतरण प्रतिनिधि के संपर्क विवरण सम्मिलित हैं। कंपनी ने श्री एम.गुणसेकरन, महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कर मुक्त बांड धारकों की सेवा के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया है। ईमेल आईडी mguna@kplmail.in बांड धारकों के प्रश्नों के समाधान के लिए बनाई गई है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
ह/—
(सुनील पालीवाल, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:01310101)



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड चेन्नै

Indian Audit and Accounts Department

Office of the Director General of Commercial Audit

and Ex-Officio Member Audit Board, Chennai

संख्या. डीजीसीए / सीए-II/2-240/2022-23/204

तिथि: 28.07.2022

प्रति,

अध्यक्ष—सह प्रबंध निदेशक

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

दूसरी मंजिल, (उत्तर विंग) और तीसरी मंजिल

जवाहर भवन, 17, राजाजी साले

चेन्नै – 600001

श्रीमान,

विषय – 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पत्तन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर अग्रेषित करती हूं।

आपकी कंपनी की मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की पांच प्रतियां इस कार्यालय को अग्रेषित करने की व्यवस्था की जा सकती है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें

आपकी आभारी

ह/-

(देविका नायर)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक

संलग्नक: कथित रूप से

इंडियन आइल भवन, स्तर – 2, 139, महात्मा गाँधी मार्ग, चेन्नै 600034

Indian Oil Bhavan, Level - 2, 139, Mahatma Gandhi Road, Chennai - 600 034

Tel : 044-28330147 Fax : 044-28330142/45 E-mail : mabchennai@cag.gov.in

**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पत्तन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक
और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पत्तन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायि है। यह उनके द्वारा किये गये 25 मई, 2022 की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम

की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परिक्षण किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर किसी टिप्पणी या पूरक को जन्म दे।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

**स्थान: चेन्नै
तिथि: 28.07.2022**

**ह/-
(देविका नायर)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक**

बी त्यागराजन इंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षकों का प्रतिवेदन

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इंड-एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

विचार

- हमने कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") के साथ-साथ इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखा परिक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), परिवर्तन का विवरण सम्मिलित है। इकिवटी में और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (बाद में "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) है।
- हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को सटीक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित किया गया है, ("इंड एस") और भारत में साधारणतः स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामले और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ, कुल व्यापक आय, इकिवटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह है।

विचार के लिए आधार

- हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परिक्षण पर मानकों (एसएस) के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परिक्षण के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर महत्व

- कोविड-19 वायरस से उत्पन्न होने वाली मौजूदा और उभरती स्थिति और परिस्थितियों के प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन के संबंध में टिप्पणी 30(20) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसका लोगों के स्वास्थ्य और समग्र रूप से हमारे समाज पर प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ संगठनों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन पर भी,
- कंपनी द्वारा सरकार/सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से प्राप्त कई अचल संपत्तियों के लिए लंबित हस्तांतरण विलेख/पंजीकरण विलेख के संबंध में टिप्पणी 4(ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न एजेंसियों को देय प्रतिफल/मुआवजे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है,
- अन्य परिसंपत्तियों में सम्मिलित परियोजना ठेकेदारों को किए गए 4509.49 लाख रुपये के अधिक भुगतान के संबंध में टिप्पणी 11 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है – अप्रचलित और आज तक पूंजीकृत नहीं लंबित विवाद मद्रास के उच्च न्यायालय को संदर्भित किए गए हैं।
- व्यापार प्राप्य, सावधि ऋण और अग्रिम, जीएसटी इनपुट क्रेडिट, अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती और 31 मार्च 2022 तक व्यापार देय राशि के बारे में पुष्टि और सुलह के लिए टिप्पणी 30(18) संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जो बाद में समायोजित/भुगतान नहीं किया जाता है।
- वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ बीओटी परिचालकों में से एक द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के संबंध में टिप्पणी 30(15) (iii) (ए) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें विभिन्न दावों के संबंध में 1629.69 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। कंपनी और दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों द्वारा दावा दायर किया गया है और वर्ष के अंत में मध्यस्थता कार्यवाही की स्थिति। तदनुसार, उक्त टिप्पणी में उल्लिखित कारणों से, वर्ष के अंत में बीओटी परिचालक द्वारा किए गए दावों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है।
- वर्ष के अंत में मैट क्रेडिट पात्रता की शेष राशि 43,541.24 लाख रुपये के संबंध में टिप्पणी सं. 10 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसे प्रबंधन के अनुमानों में, भविष्य के वर्षों में इस तरह के शेष के उपयोग के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

10. टिप्पणी सं. 8 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है – कर्मचारियों को अग्रिम के संबंध में ऋण और अग्रिम (गृह निर्माण अग्रिम) को सुरक्षित कहा जाता है, जिसके संबंध में वर्ष के अंत तक कुल 345.03 लाख रुपये की राशि के लिए सुरक्षा के प्रभार का निर्माण प्रक्रिया में है।

उपरोक्त अनुच्छेदों में संदर्भित मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

11. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबंधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी प्रतिवेदन में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	<p>इंड एस 115 को अपनाने के मद्देनजर राजस्व और अन्य संबंधित शेषों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की शुद्धता</p> <p>"ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" (नया राजस्व लेखा मानक)</p> <p>नए राजस्व लेखा मानक के आवेदन में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, पहचान किए गए प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय सम्मिलित हैं। नए राजस्व लेखा मानक के आवेदन में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और पहचाने गए प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सम्मिलित हैं।</p>	<p>हमने निरंतर और नए अनुबंधों के नमूने का चयन करके नए मानक और परीक्षण किए गए प्रमुख नियंत्रणों को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया, और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और लेनदेन के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच और अवलोकन, पुन प्रदर्शन और साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन भी किया।</p> <p>हमने चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाएं की हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> इन अनुबंधों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़े, विश्लेषण करे और पहचाने। कंपनी द्वारा पहचाने गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की। किसी भी परिवर्तनीय प्रतिफल सहित लेनदेन मूल्य का निर्धारण करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया ताकि राजस्व की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित किया जा सके और परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान के आधार का परीक्षण किया जा सके।
2.	<p>अनिश्चित प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर स्थिति और 31 मार्च, 2022 तक कर प्राप्त की वसूली, संपत्ति 111 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के संबंध में मैट क्रेडिट पात्रता, प्रीपेड कर और सेन्वैट वसूली योग्य जो भविष्य के व्यतिरेक / अधिनिर्णय के लिए लंबित हैं।</p>	<p>हमारे आंतरिक विशेषज्ञ ने वसूली योग्य राशियों की प्रकृति, स्थिरता और अंतिम समाधान पर वसूली की संभावना की समीक्षा की है।</p>

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

12. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में सम्मिलित जानकारी, मंडल की प्रतिवेदन के अनुलग्नक सहित मंडल की प्रतिवेदन, व्यापार उत्तरदायित्व प्रतिवेदन, निगमित प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है।

13. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

14. वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी अन्यथा प्रतीत होती है या भौतिक रूप से गलत है।

15. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की प्रतिवेदन करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में प्रतिवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

16. कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इकिवटी और नकदी प्रवाह में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, परिवर्तनों सहित एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी सम्मिलित है य उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण होंय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे – लेखा दस्तावेज की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं।

17. वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी का परिसमापन करने का इरादा नहीं रखता है य लेखांकन के आधार पर लागू होने वाले मामलों का खुलासा करता है य लागू होता है। संचालन बंद करने के लिए, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

18. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायि है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

19. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन जारी करना जिसमें हमारी राय सम्मिलित है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह उपरिथित हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या

त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

20. एसएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को आलेखित और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अधिभाव सम्मिलित हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को आलेखित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- 21. भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।
- 22. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।
- 23. हम उन लोगों को भी और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं जिन पर शासन का प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, .
- 24. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों को अनदेखा करने के लिए जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदन में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

- 25. जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, हम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों पर अपना प्रतिवेदन अनुलग्नक ए में देते हैं।
- 26. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम अनुलग्नक बी में आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
- 27. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि:

 - ए) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;
 - बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते के दस्तावेज रखे गए हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - सी) तुलन पत्र या बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण खाते के दस्तावेजों के साथ अनुबंधित है।
 - डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड-एएस का अनुपालन करते हैं।
 - इ) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को धारा 164(2) के अधिनियम के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

- एफ) कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग प्रतिवेदन देखें। हमारी प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- जी) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित के रूप में लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- I. कंपनी ने अपने वित्तीय वर्तक्यों में टिप्पणी संदर्भ 30(15) के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, लागू होने वाले कानून या लेखा मानकों के तहत, भौतिक पूर्वाभास योग्य नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।
- iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी राशी (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसकी ओर से पहचान की गई संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा।

कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती है;

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई राशी (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण दलों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण दल ("अंतिम लाभार्थीयों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उपर्युक्त (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

- v. जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 30(21) में कहा गया है (ए) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- (बी) वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 004371S

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिव4698

स्थान: चेन्नै

तिथि: 25.05.2022

बी त्यागराजन एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

संपरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'ए'

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कामराजर पोर्ट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर सम तिथि की हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत परिच्छेद 25 में संदर्भित अनुबंध।

1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि नहीं, तो वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, शायद बताए गए हैं	आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है।
2.	क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋण/ब्याज को माफ/बहुत खाते में डालने के मामले हैं। ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण की पुनर्रचना या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज को माफ करने/बहुत खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धन प्राप्त नहीं हुआ है।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 004371S

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझोदार

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिंग698

स्थान: चेन्नै

तिथि: 25.05.2022

संपरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'बी'

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि की हमारी प्रतिवेदन के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन खंड के तहत परिच्छेद 26 में संदर्भित)

1. (ए) (i) कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण सहित उचित अभिलेखों बनाए हुए हैं।

(ii) कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित अभिलेखों रख रही है।

(बी) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सभी वस्तुओं को कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें

दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(सी) कंपनी के पास टिडको (950.00 एकड़), टीएनईबी (1092.20 एकड़), नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार (712.42 एकड़) और तमिलनाडु सरकार (47.87 एकड़) से प्राप्त 2,787.27 एकड़ जमीन है, जो कंपनी के कब्जे में है। इसके अलावा, स्वामित्व वाले कुल भूमि क्षेत्र में से 2,008.34 एकड़, जिसमें टिडको से प्राप्त 297.98 एकड़, टैंजेडको से 995.05 एकड़, नमक विभाग से 682.66 एकड़ जमीन कंपनी के नाम पंजीकृत है और 32.65 एकड़ जमीन के लिए

तमिलनाडु सरकार से पट्टा प्राप्त किया गया है। और शेष के संबंध में, पंजीकरण प्रक्रिया में है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्नूल्यांकन नहीं किया है।

(इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

2. (ए) कंपनी पत्तन के विकास कार्यों में लगी हुई है और मुख्य रूप से पत्तन सेवाएं प्रदान कर रही है। इसमें कोई भौतिक सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ii) (ए) लागू नहीं होता है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है। वर्ष के दौरान किसी भी समय वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ii)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, सुरक्षित या असुरक्षित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष के लिए।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा संचालित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रदान किए गए ऋणों की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम देने की शर्त और प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, और तदनुसार परिच्छेद 3 खंड 3 (सी) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, और तदनुसार परिच्छेद 3 खंड 3 (डी) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, और तदनुसार परिच्छेद 3 खंड 3 (इ) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(एफ) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर चुकाया जा सकता है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा संचालित लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है और न ही कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 का उल्लंघन करते हुए ऋण या गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है।

5. कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं होता है।

7. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी

सामान और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में सामान्यतः पर नियमित रही है।

(बी) कंपनी के अभिलेखों के हमारे सत्यापन के अनुसार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक कर/ शुल्क की निम्न लिखित विवादित राशि उचित अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है।

सांविधि	देय राशि की प्रकृति	राशि (लाख में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	गोष्टी जिस पर राशि लम्बित है	यदि कोई टिप्पणी हो
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	रु.- 4,631.43	ए वाइ 2012–13 से ए वाइ 2014–15, 2018–19	सीआईटी (आपील)	शून्य

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेन–देन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

9. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में किसी भी लेन–देन को आत्मसमर्पण या खुलासा नहीं किया है, जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के रूप में प्राप्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं, और कंपनी के वित्त विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(इ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी। देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2022 तक बकाया।

(एफ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

10. (ए) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(बी) लागू नहीं होता है।

11. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(बी) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और उसके बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(सी) हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लॉअर परिवेदनों को ध्यान में रखा है।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार, आदेश का परिच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 (जहां लागू हो) के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का वित्तीय अभिलेखों में खुलासा किया गया है।
14. (ए) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
 - (बी) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का परिच्छेद 3(XV) लागू नहीं होता है।
16. (ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है य तदनुसार, आदेश के खंड 3(XVI)(ए) और 3(XVI)(बी) लागू नहीं होते हैं।
 - (बी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(XVI)(सी) लागू नहीं होता है।
 - (सी) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है।
17. कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(XVIII) लागू नहीं होता है।
19. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर, हमारी राय है कि कोई भौतिक अनिश्चितता नहीं है लेखा परिक्षण प्रतिवेदन की तारीख के अनुसार मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।
20. (ए) चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी ने उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 135 के एक निधि में अव्ययित राशि को स्थानांतरित कर दिया है।
 - (बी) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि को उक्त वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 004371S

/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.नं. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिंग 4698

स्थान: चेन्नै

तिथि: 25-05-2022

संपरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 'सी'

(कामराजर पोर्ट लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी प्रतिवेदन के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन अनुभाग के तहत परिच्छेद 27 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2022 तक मेसर्स कामराजर पोर्ट लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा—जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परिक्षण के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परिक्षण पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') द्वारा मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायि है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवरित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय प्रतिवेदन ("मार्गदर्शन टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परिक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परिक्षण मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार अपना लेखा परिक्षण किया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परिक्षण के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परिक्षण पर लागू होते हैं और, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परिक्षण में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परिक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आलेखन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परिक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परिक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदन पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए आलेखन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को सामान्यतः पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं तथा (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिभाव शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा बिगड़ सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था।

बी त्यागराजन एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 004371S

ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार
एम.नं. 220112

स्थान: चेन्नै

तिथि: 25.05.2022

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिव4698

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, " जवाहर बिल्डिंग ", न.17, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च 2022 तक बैलेंस शीट / तुलन पत्र

(राशी लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च2022 तक	31 मार्च2021 तक
परिसंपत्तियां		अंकेक्षित	अंकेक्षित
अप्रचलितपरिसंपत्ति			
(ए) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	4	274264.66	275798.26
(बी) संपत्ति का उपयोग करनेका अधिकार		2035.33	1509.85
(री) पूँजी कार्य-प्रगति	5	22351.01	15881.07
(डी) अन्य अमूर्त संपत्ति	6	315.18	469.90
(इ) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	7	4154.56	4160.07
(ii) ऋण और अग्रिम	8	360.86	378.16
(iii) अन्य	9	440.89	392.87
(एफ) आश्वागित कर परिसंपत्तियां	10	14225.84	14721.91
(जी) अन्य अप्रचलित परिसंपत्ति	11	8086.28	7411.19
प्रचलित परिसंपत्तियां			
(ए) वित्तीय संपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्तियां	12	5788.93	7770.45
(ii) नकद और नकद समकक्ष	13	9371.11	3201.44
(iii) ऋण और अग्रिम	8	49.74	53.95
(iv) अन्य	9	228.72	135.11
(बी) प्रचलित कर परिसंपत्तियां	14	868.66	288.86
(री) अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां	11	1532.80	1875.88
कुल परिसंपत्तियां		344074.58	334048.96
इविवटी और देयताएं			
इविवटी			
(ए) इविवटी शेयर पूँजी	15	30000.00	30000.00
(बी) अन्य इविवटी		225350.55	205204.86
देयताएं			
अप्रचलित देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	59309.51	66377.01
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	435.20	397.00
(बी) प्रावधान	18	-	-
(री) अन्य अप्रचलित देयताएं	19	7833.14	8730.10
प्रचलित देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	16	11094.59	10957.66
(ii) व्यापार प्राप्तियां			
—सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया राशि	20	338.18	120.86
—सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बकाया राशि	20	2790.69	4479.79
(iii) अन्य वित्तीयदेयताएं	17	508.04	651.32
(बी) प्रचलित कर देयताएं	14	-	-
(री) अन्य प्रचलित देयताएं	19	5013.77	5639.50
(डी) प्रावधान	18	1400.91	1490.86
कुल इविवटी और देनदारियां		344074.58	334048.96
खातों के लिए टिप्पणीयां	30		
महत्वपूर्णलेखा नीतियां	1 से 3		
ऊपर उल्लिखित नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्थान- चेन्नै

तिथि- 25 मई 2022

ह/-

एस बालाजी अरुण कुमार

निदेशक

डिन : 07526368

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनीवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये
अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक
एफआरएन : 004371S

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.न. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिंग

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मंजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी सारे, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (राशी लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
आय			
(I) संचालनसेराजस्व	21	83261.51	58109.25
(ii) अन्य आय	22	1822.30	632.47
		85083.81	58741.72
व्यय			
I) संचाल नलागत	23	7207.98	7108.26
ii) कर्मचारी लाभ	24	2252.34	1893.15
iii) वित्तीय लागत	25	6234.10	6499.05
iv) मूल्यव्यापास और परिशोधन व्यय	26	9061.46	8499.44
v) अन्य व्यय	27	6469.27	5157.83
		31225.15	29157.73
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		53858.66	29583.99
असाधारण वस्तुएं	28	-	
कर देने से पूर्व लाभ		53858.66	29583.99
घटाव : कर व्यय			
- वर्तमान कर	10	9410.19	5200.38
- आरथगित कर	10	428.51	9112.95
		44019.96	15270.66
निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ			
अचालित परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
अचालित परिचालन का कर व्यय		-	-
करके बाद अचालित परिचालन से लाभ			
I) इस वर्ष का लाभ		44019.96	15270.66
II) अन्य व्यापक आय			
I) वस्तुएं जिन्हें लाभ /हानी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापण		198.78	25.80
घटाव: आयकर पर		(69.46)	-9.02
-इकिवटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन		-5.52	12.03
घटाव: आयकर		1.93	-1.28
अन्य व्यापक आय		125.73	27.54
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		44145.69	15298.20
प्रतिइकिवटी शेयर आय			
1) बुनियादी	29	14.72	5.10
2) मन्दित		14.72	5.10
खातों के लिए टिप्पणीयां	30		
महत्व पूर्ण लेखानीतियां		1 to 3	
ऊपर लिलिखित नोट वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।			

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

5/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्याह- योग्य

तिथि- 25 मई 2022

5/1

एस बालाजी अरुण कुमार

निदेशक

डिज़िन : 07526368

۲۰۰

जयलक्ष्मी श्रीनीवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये
अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक
एफआरएन : 0043715

۱۰۰

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.न. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटि4698

कामराजर पोर्ट लिमिटेड

सीआईएन:यू45203टिएन1999पिएलसी043322

पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मजिल (उत्तर विंग) & तीसरी मजिल, "जवाहर बिल्डिंग", न.17, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001.

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशी लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
ए. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह कर पूर्व शुद्ध लाभ /हानी निम्नलिखित के लिए समायोजन:- अचल संपत्ति यों की बिक्री पर (लाभ) / हानि मूल्यांकन ब्याज और वित्त प्रभार म्यूचुअल फंड पर अल्पावधि लाभ ब्याज आय कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन:- ऋण और अग्रिम (अप्रचलित) अन्य परिसंपत्तियां (अप्रचलित) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्तियां ऋण और अग्रिम अन्य परिसंपत्तियां अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां अन्य वित्तीय देयताएं (अप्रचलित) अन्य अप्रचलित देयताएं व्यापारदेनदारियां अन्यवित्तीयदेयताएं अन्य प्रचलित देयताएं प्रावधान प्रचलित कर भुगतान परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह संयंत्र और उपकरण संपत्ति का क्रय वर्ष के दौरान किए गए निवेश म्यूचुअल फंड पर अल्पावधि लाभ ब्याज आय निवेश गति विधियों से शुद्ध नकद सी. वित्तीय गति विधियों से नकदी प्रवाह वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान वर्ष के दौरान एकत्रित ऋण वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित ऋण ब्याज और वित्त प्रभार वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद डी. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन इ. प्रारंभिक नकद और नकद समकक्ष खोलना (टिप्पणी संख्या13) एफ. समापन नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी संख्या13)	53858.66 - 9061.46 6175.60 - (474.30) 68621.43	29583.99 - 8499.44 6919.63 (9.37) (462.41) 44531.28
	17.30 (48.01) (675.10) 1981.52 4.21705 (93.61) 541.85 38.20 (896.96) (1471.78) (143.28) (488.80) (89.96) (9989.99) 57307.04	30.57 (32.28) 6247.61 (2953.86) (1.01) (125.17) 142.90 (169.15) 395.12 345.60 (438.47) 1484.97 550.19 (5100.47) 44907.83
	(14368.58) - 474.30 (13894.27)	(16034.26) - 462.41 (15562.48)
	(24000.00) 4,000.00 (11067.50) (6175.60) (37243.10)	(18000.00) - (11145.08) (6919.63) (36064.71)
	6169.66 3201.44	(6719.36) 9920.80
	9371.11	3201.44

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-

सुनील पालीवाल, आई.ए.एस

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन : 01310101

ह/-

एम. गुणसेकरन

मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी

स्थान- चेन्नै

तिथि- 25 मई 2022

ह/-

एस बालाजी अरुण कुमार

निदेशक

डिन : 07526368

ह/-

जयलक्ष्मी श्रीनीवासन

कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये
अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक
एफआरएन : 004371S

ह/-

राम श्रीनीवासन

साझेदार

एम.न. 220112

यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिंग698

इकिवटी में परिवर्तन का विवरण – 31 मार्च, 2022 तक शेषराशि

इकिवटी शेयर पूँजी

(राशी लाख में)

1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान शेयर पूँजी में प्रभार	31 मार्च 2022 तक शेष राशि
30,000	-	30,000

1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान शेयर पूँजी में प्रभार	31 मार्च 2021 तक शेष राशि
30,000	-	30,000

अन्य इकिवटी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					इकिवटी के अन्यघटक	कुल
	ऋणपत्र मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	शुद्ध परिभाषित लाभदेयता/परिसंपत्ति का पुनर्माप	एफवीटी ओसीआई - निवेश		
(राशी लाख में)							
प्रतिवेदन अवधि के आरंभ में शेष राशि लेखानीति में परिवर्तन /पूर्व अवधि त्रुटियाँ शेष राशि	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86	
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	129.32	(3.59)	125.73	
ऋणपत्र मोचन आरक्षित में स्थानांतरण लाभांश – वित्तीय वर्ष 2020–21	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00	
अंतरिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2021–22	0.00	0.00	(15000.00)	0.00	0.00	(15000.00)	
प्रतिवेदन अवधि के अंतमें शेष राशि	7993.23	7902.00	211306.33	103.59	(1954.60)	225350.55	

अन्य इकिवटी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					इकिवटी के अन्यघटक	कुल
	ऋणपत्र मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	शुद्ध परिभाषित लाभदेयता/परिसंपत्ति का पुनर्माप	एफवीटी ओसीआई निवेश		
(राशी लाख में)							
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि लेखानीति में परिवर्तन पूर्वअवधि त्रुटियाँ वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	6267.37	7902.00	195741.56	(42.51)	(1961.76)	207906.66	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ऋणपत्र मोचन आरक्षित में स्थानांतरण लाभांश – वित्तीय वर्ष 2020–21	862.93	0.00	(862.93)	0.00	0.00	0.00	
पूर्व अवधि की आय	0.00	0.00	(18000.00)	0.00	0.00	(18000.00)	
रिपोर्टिंग अवधि के अंतमें शेष राशि	7130.30	7902.00	192149.29	(25.73)	(1951.01)	205204.86	

वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

1. निगमित जानकारी:

कामराजर पत्तन लिमिटेड भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी अपने कार्यों को समग्र योजना, विकास, पत्तन के विकास के लिए निवेश जुटाने और सामान्य बुनियादी सुविधाओं तक सीमित करते हुए ज्यादातर मकान मालिक पत्तन प्रतिरूप पर काम कर रही है। टर्मिनलों का विकास और संचालन ज्यादातर निजी संचालकों/बंधक उपयोगकर्ताओं को सौंपा जाता है।

2. तैयारी का आधार:

कंपनी ने निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार इंड-एस को अपनाया है, जो 1 अप्रैल 2016 से 01 अप्रैल 2015 की संक्रमण तिथि के साथ प्रभावी है।

वित्तीय विवरणों में शामिल सभी राशियों को भारतीय रूपये (लाख में रूपये) में इकिवटी शेयरों को छोड़कर सूचित किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

3.1 अनुमान और निर्णय का उपयोग:

कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की प्रतिवेदित की गई मात्रा और साथ के खुलासे और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं।

3.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:

ये वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

3.3 राजस्व मान्यता:

1. सेवाओं से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त छूट के शुद्ध मूल्य और करों और शुल्कों को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रदान की गई सेवा से होने वाले राजस्व को सेवाओं के पूरा होने पर मान्यता दी जाएगी। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर राजस्व की पहचान की जाती है।

- i. राजस्व की मात्रा को मजबूती से मापा जा सकता है;

- ii. यह संभावना है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई को प्रवाहित होंगे;
- iii. लेन-देन के लिए खर्च की गई लागत और लेनदेन को पूरा करने की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।
- iv. इसके संग्रह के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

राजस्व धारा में शामिल हैं:

- i. पोत संबंधित आय।
- ii. कार्गो से संबंधित आय।
- iii. बीओटी और अन्य पत्तन उपयोगकर्ताओं / बंधक उपयोगकर्ताओं पर भूमि और पत्तन को पट्टे पर देने से उत्पन्न होने वाली राजस्व हिस्सेदारी और लाइसेंस शुल्क।
- iv. समग्र दर सूची।

राजस्व की प्रत्येक धारा के संबंध में राजस्व मान्यता नीचे वर्णित है:

i) पोत संबंधित आय

पोत से संबंधित आय में जहाजों के संचालन से होने वाली आय शामिल है। विशिष्ट सेवाओं के पूरा होने पर पोत से संबंधित कार्यों के कारण राजस्व की पहचान की जाती है।

ii) कार्गो संबंधित आय

कार्गो से संबंधित आय में कार्गो के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से होने वाली आय शामिल होती है और संबंधित सेवाओं के पूरा होने पर मान्यता प्राप्त होती है।

iii) बीओटी/बंधक उपयोग के आधार पर भूमि और जलभाग को पट्टे पर देना।

ए) बीओटी संचालकों से राजस्व हिस्सेदारी की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रोद्भवन आधार पर रियायत / लाइसेंस समझौते के अनुसार सकल राजस्व पर उद्भूत प्रतिष्ठत पर की जाती है।

बी) संचालन पट्टे से आय जिसमें सामान्य मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप वृद्धि खंड शामिल है, अनुबंध की शर्तों के अनुसार हिसाब किया जाता है।

सी) अन्य परिचालन पट्टे से होने वाली आय को पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

डी) आकस्मिक किराए को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अर्जित करते हैं।

iv) समग्र दर सूची

1. समग्र दर सूची बंधक उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित कार्गो के लिए एक समग्र दर सूची पर अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करता है।
2. निवेश से लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है और यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आय की मात्रा को मजबूती से मापा जा सकता है।
3. ए. वित्तीय साधनों से ब्याज आय को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आय की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। ब्याज आय एक समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को वित्तीय साधनों के अपेक्षित जीवन के माध्यम से उस उपकरण की शुद्ध वहन राशि पर प्रारंभिक मान्यता रूप से प्रवाहित करती है।
बी. विलंबित/विवादित राजस्व पर ब्याज आय को वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.4 सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण लागत, कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, पर बताए गए हैं। अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागतों को तब तक पूँजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाते, जैसा कि प्रबंधन द्वारा इरादा है। कंपनी सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहास करती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, और केवल अगर यह संभव है कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और वस्तुओं की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। पीपीई की एक वस्तु की लागत मान्यता तिथि के बराबर नकद मूल्य है।

पीपीई की एक वस्तु की लागत मान्यता तिथि के बराबर नकद मूल्य है।

- i) व्यापार छूट, छूट, कर/शुल्क और उपकर की कटौती के बाद आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद कर सहित खरीद मूल्य, जिस पर पूँजीगत वस्तुओं के लिए निविष्ट ऋण का लाभ उठाया जाता है।

ii) पीपीई को उस स्थान पर लाने और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति के लिए सीधे उत्तरदायि लागत।

iii) वस्तुओं को हटाने और उस साइट को पुनर्स्थापित करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान जिस पर वह स्थित है।

परियोजना के दावों पर निर्विरोध मध्यस्थ निर्णयों के कारण कंपनी द्वारा देय होने वाली राशि और परिसंपत्ति के चालू होने की तारीख तक ऐसे निर्णयों पर ब्याज को संबंधित परिसंपत्ति श्रेणी में वर्ष के दौरान अतिरिक्त के रूप में निर्णय के वर्ष में पूँजीकृत किया जाता है। ठेकेदार को देय ऐसे निर्णयों पर परिसंपत्ति के चालू होने की तिथि के बाद के ब्याज को निर्णय के वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की एक वस्तु के कुछ हिस्सों में अलग-अलग उपयोगीता होती हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग वस्तु (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अग्रणी राशि के साथ निपटान से प्राप्त आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है और विवरण में "अन्य आय / अन्य व्यय" के तहत शुद्ध मूल्यों पर लाभ या हानि कहा जाता है।

कंपनी ने मान्यता के लिए लागत प्रतिमान को छुना है और यह प्रतिमान सभी वर्ग की संपत्तियों पर लागू होता है। एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के बाद, पीपीई की एक वस्तु को किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर ले जाया जाता है।

प्रमुख मरम्मत लागत:

कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि में, ऐसी वस्तु के हिस्से को बदलने की लागत, जब वह लागत खर्च होती है, प्रमुख मरम्मत की लागत को पहचानती है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं। बदले गए हिस्से की वहन राशि को अमान्य कर दिया जाता है और मरम्मत की लागत को मरम्मत के शेष उपयोगीता पर परिशोधित कर दिया जाता है।

3.5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति लागत, कम संचित मूल्यहास और हानि, यदि कोई हो, पर बताई गई है।

जब कंपनी संपत्ति को नियंत्रित करती है तो पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है; यह संभावना है कि संबंधित परिसंपत्तियों के साथ अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को एक से अधिक आर्थिक अवधि के लिए प्रवाहित होंगे; और परिसंपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। सीधी रेखा विधि (एसएलएम) पर परिशोधन प्रदान किया जाता है, जो अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान को दर्शाता है।

परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति को उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी कोई संकेत होता है कि अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है, तो हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। परिमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य संपत्ति के मूल्य को वहन करने का हिस्सा न हो।

3.6 मूल्यहास

पीपीई की एक वस्तु की मूल्यहास राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट तरीके से उसके उपयोगीता पर एक सीधी रेखा के आधार पर आवंटित किया जाता है।

पीपीई के एक वस्तु के प्रत्येक भाग के लिए एक लागत के साथ जो परिसंपत्ति की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी संपत्ति के शेष हिस्से से अलग है, अलग से मूल्यहास किया जाता है। ऐसी सभी वस्तुओं पर मूल्यहास बिक्री/निपटान की तरीख तक 'उपयोग के लिए उपलब्ध' होने की तारीख से प्रदान किया जाता है और इसमें अमूर्त संपत्ति का परिशोधन शामिल होता है। पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि मूल्यहीन नहीं है। पीपीई की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं होती है। पत्तन विशिष्ट परिसंपत्तियों के मामले में, भारत में प्रमुख पत्तनों में प्रचलित प्रथा के अनुसार उन परिसंपत्तियों के जीवन के अनुसार निर्धारित दर पर मूल्यहास लगाया जाता है। मध्यस्थता संबंधि निर्णय के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर मूल्यहास का दावा वित्तीय वर्ष की शुरुआत से संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है जिसमें ऐसा निर्णय पारित किया जाता है और स्वीकार किया जाता है।

3.7 ऋणादान लागत

कंपनी उन उधार लागतों का पूंजीकरण करती है जो संपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में योग्यता संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। कंपनी अन्य ऋण लागतों को उस अवधि में खर्च के रूप में पहचानती है जिसमें वह उन्हें वहन करती है। एक अर्हक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

जिस हद तक कंपनी आम तौर पर ऋण लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लागत की राशि की गणना किए गए व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके की जाती है। पूंजीकरण दर विशेष रूप से एक अर्हक संपत्ति की खरीद के लिए किए गए उधार के अलावा, उधार लेने की लागत के भारित औसत के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऋणादान लागत में ऋण लेने की लागत के समायोजन के रूप में विनिमय अंतर भी शामिल है।

3.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन:

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित विनिमय दरों पर मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन तिथि पर प्रचलित दरों पर अनुवादित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों (सिवाय जहां अतिदेय प्राप्य की वसूली अनिश्चित है) को भारतीय लेखा मानक-21 में परिभाषित समापन दर का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है। अमौद्रिक वस्तुओं को लेन-देन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके सूचित किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में विनिमय अंतर लाभ/हानि को मान्यता दी गई है।

3.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और सभी संबंधित शर्तों का अनुपालन किया जाता है। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति या राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आरंभ में आस्थगित राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है और बाद में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, साधारणतः उसी योगदान अनुपात में जिसमें से प्राप्त मूल्यहास संपत्ति पर मूल्यहास लगाया जाता है। संपत्ति के शेष जीवन पर अनुमानों में परिवर्तन संभावित रूप से पहचाने जाते हैं।

राजस्व अनुदान के रूप में अनुदान को उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का विचार है, खर्च की जाती है।

अमौद्रिक आस्तियों जैसे भूमि और अन्य संसाधनों के रूप में अनुदानों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आय के लाभ के उपभोग के प्रतिरूप में अपेक्षित अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.10 प्रावधान

प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, तो यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। एक प्रावधान को तब उलट दिया जाता है जब यह संभावना नहीं रह जाती है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को मौजूदा पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.11 आकस्मिक देयताएं /आस्तियां:

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों की टिप्पणियों में इसका खुलासा किया जाता है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या अघटना पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

जहां एक इकाई संयुक्त रूप से और एक दायित्व के लिए अलग-अलग उत्तरदायी है, दायित्व का वह हिस्सा जो अन्य पार्टियों द्वारा पूरा किए जाने की उम्मीद है, को भी एक आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है। प्रतिष्ठान उस दायित्व के हिस्से के लिए एक प्रावधान को मान्यता देता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक आस्तियां:

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है या टिप्पणीयों में प्रकट नहीं किया जाता है।

3.12 कर्मचारी लाभ:

i) परिभाषित लाभ योजनाः

ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण/उपलब्धता और अन्य आवधिक लाभों का प्रावधान अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनर्माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां शामिल हैं, आस्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव और ब्याज को छोड़कर योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ (यदि लागू हो), वित्तीय स्थिति के विवरण में तत्काल परिलक्षित होता है, जिसमें अन्य व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शुल्क या ऋण होता है। उस अवधि में

आय जिसमें वे होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुन माप तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

ii) परिभाषित योगदान योजनाः

भविष्य निधि में योगदान को प्रोटोटाइप के आधार पर व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभः

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों को बिना छूट के आधार पर मापा जाता है और संबंधित सेवाओं को प्रदान किए जाने पर खर्च किया जाता है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को मान्यता दी जाती है यदि कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है।

3.13 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'कर से पहले लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में बताया गया है और अन्य व्यापक आय या व्यय की वस्तुओं के कारण जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और वे वस्तुएँ जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो प्रतिवेदन अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

आस्थगित कर

आस्थगित कर प्रतिवेदन तिथि पर वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच प्रतिवेदन तिथि पर अस्थायी अंतर पर बैलेंस शीट के दृष्टिकोण का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की अनुमति देगा।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटारा किया गया है या संपत्ति साधित हुआ है, जो कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर लागू किया गया है या मूल रूप से प्रतिवेदन अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियां पूरा करता हैं यदि कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार वर्तमान आयकर देनदारियों के खिलाफ वर्तमान कर परिसंपत्तियों को सेट करने के लिए मौजूद हैं और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों के प्रमुख घटकों का तुलन पत्र तिथि के अनुसार ब्योरा आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को सेट करने के बाद निकाला जाता है।

वर्ष के लिए वर्तमान और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिवटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इकिवटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां वर्तमान कर या आस्थगित कर व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

3.14 हानि:

यदि किसी आस्ति (अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाई/स्थायी संपत्ति) की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो आस्ति (या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। एक हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

वसूली योग्य राशि उचित मूल्य से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य कम है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान है समायोजित नहीं किया गया है।

जब एक हानि का उत्क्रम होता है, तो परिसंपत्ति (या एक नकद-उत्पादक इकाई) की वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, ताकि बढ़ी हुई वहन राशि वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए कोई हानि की पहचान नहीं की गई है। एक हानि के उत्क्रमण को

तुरंत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को एक पुनर्मूल्यांकन राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस मामले में हानि के उत्क्रमण को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त, अमूर्त संपत्ति की अग्रणीत राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि का नुकसान हुआ है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित होती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति और उपयोग के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं होने वाली अमूर्त संपत्तियों को कम से कम सालाना हानि के लिए परीक्षण किया जाता है या जब भी कोई संकेत होता है कि संपत्ति खराब हो सकती है।

3.15 प्रति शेयर आय:

प्रति इकिवटी मूल आय की गणना कंपनी के इकिवटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इकिवटी शेयर पतला आय की गणना कंपनी के इकिवटी धारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या से प्रति इकिवटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और सभी तनु संभावित इकिवटी शेयरों के रूपांतरण पर इकिवटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जारी की जा सकती है।

3.16 वित्तीय प्रपत्र:

i) अव्युत्पन्न वित्तीय साधन:

अव्युत्पन्न वित्तीय साधनों में शामिल हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां, कर्मचारी अग्रिम, अन्य अग्रिम, सुरक्षा जमा, इकिवटी प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य योग्य चालू/अप्रचलित संपत्तियां शामिल हैं;
- वित्तीय देनदारियों में लंबी/अल्पकालिक ऋण, ऋण, व्यापार देय राशि, सुरक्षा जमा, प्रतिधारण धन और अन्य योग्य चालू/अप्रचलित देनदारियां शामिल हैं।

अव्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधन को छोड़कर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेनदेन लागत शामिल है, जिसे प्रारंभ

में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए गए हैं। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बनाए रखे जाते हैं, वित्तीय आस्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, अव्युत्पन्न वित्तीय साधनों को नीचे वर्णित अनुसार मापा जाता है:

ए) इकिवटी प्रतिभूतियों (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के अलावा) में निवेश का मूल्यांकन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। इन निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उनमें परिवर्तन, हानियों के अलावा, अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाने जाते हैं। हानि, यदि कोई हो, को अन्य इकिवटी से लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है, तो अन्य इकिवटी में मान्यता प्राप्त संबंधित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

बी) ऋण और प्राप्य

ऋण और प्राप्य अव्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिनमें निश्चित या निर्धारित भुगतान होते हैं जिन्हें सक्रिय बाजार में उद्भूत नहीं किया जाता है। प्रतिवेदन तिथि के 12 महीने के बाद परिपक्व होने वालों को छोड़कर, जो अप्रचलित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें प्रचलित संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्य राशियों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ सीधे उत्तरदायी लेनदेन लागत पर पहचाना जाता है और बाद में प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जो किसी भी हानि को कम करता है। ऋण और प्राप्य में व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, कर्मचारी अग्रिम, भुगतान की गई सुरक्षा जमा और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान स्वरूप, ग्राहक सांद्रता, ग्राहक ऋण-योग्यता और वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की असंग्रहणीयता का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, तो आवश्यक अतिरिक्त भत्तों, यदि कोई हो, के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

सी) व्यापार और अन्य देनदारियां:

व्यापार और अन्य देय राशियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग

करके परिशोधन लागत पर किया जाता है। इन वित्तीय लिखतों के लिए, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण अग्रणीत राशि अनुमानित उचित मूल्य है।

डी) सुरक्षा जमा

सुरक्षा जमाओं को प्रारंभ में उचित मूल्य के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसमें कोई हानि नहीं होती है।

इ) कर मुक्त बांड़:

कर मुक्त बांड़ों को प्रारंभ में लेन-देन लागतों के शुद्ध उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। बाद की अवधियों में, कर मुक्त बांड़ प्रभावी व्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर प्रस्तुत किए जाते हैं। व्याज व्यय को प्रभावी व्याज दर का उपयोग करते हुए कर मुक्त बांड़ के जीवन पर वित्तीय व्यय के रूप में लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ii) वित्तीय संपत्तियों की हानि

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के अलावा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों के लिए किया जाता है। वित्तीय आस्तियों को तब बिगड़ा हुआ माना जाता है जब इस बात का वस्तुपरक साक्ष्य होता है कि वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप, वित्तीय आस्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) इकिवटी निवेश के लिए, इसकी लागत से कम सुरक्षा के उचित मूल्य में एक महत्वपूर्ण या लंबे समय तक गिरावट को हानि का उद्देश्य प्रमाण माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में शामिल हो सकते हैं:

- जारीकर्ता या प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे व्याज या मूल भुगतान में चूक या अपराध;
- संभावना है कि ऋणकर्ता दिवालिएपन या वित्तीय पुनर्संगठन में प्रवेश करेगाय या वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार का गायब होना।

वित्तीय परिसंपत्तियों की कुछ श्रेणियों जैसे व्यापार प्राप्य का मूल्यांकन व्यक्तिगत आधार पर हानि के लिए किया जाता है। प्राप्य के एक रूपरेखा के लिए हानि के उद्देश्य प्रमाण में कंपनियों को भुगतान एकत्र करने का पिछला अनुभव, साथ ही राष्ट्रीय या स्थानीय आर्थिक स्थितियों में देखने योग्य परिवर्तन शामिल हो सकते हैं जो प्राप्तियों पर दोष से संबंधित हैं।

वित्तीय आस्तियों के लिए जिन्हें लागत पर वहन किया जाता है, हानि की मात्रा को आस्ति की अग्रणीत राशि और अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जो समान वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वापसी की वर्तमान बाजार दर पर छूट दी जाती है। इस तरह की हानि को बाद की अवधि में वापस नहीं किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि व्यापार प्राप्तियों के अपवाद के साथ सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि से कम हो जाती है; इस तरह की हानि संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए एक भत्ता खाते के उपयोग के माध्यम से कम हो जाती है। जब एक व्यापार प्राप्ति को असंग्रहणीय माना जाता है, तो इसे भत्ता खाते के विरुद्ध लिखा जाता है। पूर्व में बहुत खाते में डाली गई राशि की अनुवर्ती वसूली भत्ता खाते में जमा कर दी जाती है। भत्ता खाते की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिए, यदि, बाद की अवधि में, हानि की मात्रा घट जाती है और कमी को हानि की पहचान के बाद होने वाली घटना से वस्तुनिष्ठ रूप से संबंधित किया जा सकता है, पहले से मान्यता प्राप्त हानि को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से इस हद तक उत्क्रम दिया जाता है कि हानि को उत्क्रम की तिथि में निवेश की अग्रणी राशि उस सीमा से अधिक नहीं होती है जो परिशोधन लागत से अधिक नहीं होती यदि हानि को मान्यता नहीं दी गई होती।

iii) वित्तीय आस्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब समाप्त करती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित करता है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और हस्तांतरित संपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी संपत्ति में अपने बनाए गए व्याज और राशियों के लिए एक संबद्ध देयता को पहचानती है जो उसे चुकानी पड़ सकती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पहचानना जारी रखती है और प्राप्त आय के लिए संपार्श्वक ऋण को भी मान्यता देती है।

किसी वित्तीय आस्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, आस्ति की अग्रणीत राशि और प्राप्त और प्राप्त प्रतिफल के योग और संचयी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी और इक्विटी में संचित किया गया था, को लाभ या हानी में मान्यता दी जाती है।

3.17 खंड की जानकारी

कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना जाता है, जैसा कि इंडस्ट्रीज एस-108, "परिचालन खंड" द्वारा परिभाषित किया गया है। कंपनी के सीएमडी एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर खंड का मूल्यांकन करते हैं। प्रबंधन भारत में प्रदान की गई "पत्तन सेवाओं" को एकल प्रतिवेदित योग्य व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में मानता है।

3.18 पूर्व अवधि

पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित भौतिक राशि की त्रुटियों को पूर्व अवधि की त्रुटियों की प्रकृति के साथ एक नोट द्वारा प्रकट किया गया है, प्रति शेयर मूल और तनु आय में परिवर्तन के साथ व्यावहारिक सीमा तक प्रत्येक ऐसी पूर्व अवधि के सुधार की राशि को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि जहाँ किसी विशेष अवधि के लिए पूर्वव्यापी पुनर्कथन व्यावहारिक नहीं है, तो वे परिस्थितियाँ जो उस स्थिति के अस्तित्व की ओर ले जाती हैं और त्रुटि को कैसे और कहाँ से ठीक किया जाता है, इसका विवरण लेखा पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

3.19 पट्टा

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टे दार के रूप में

कंपनी कम मूल्य की संपत्ति के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू करती है। कंपनी पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देनदारियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली उपयोग की अधिकार संपत्ति को मान्यता देती है।

i) उपयोग का अधिकार संपत्ति

कंपनी उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों ("आरओयू एसेट्स") को पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख) पर मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यहास और हानियों को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुन माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान में से कोई भी लीज प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोग की जाने वाली संपत्ति का मूल्यहास एक सीधी रेखा के

आधार पर पट्टे की अवधि से कम और संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो मूल्यव्यास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति भी हानि के अधीन हैं। गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि अनुभाग (I) में लेखांकन नीतियों का संदर्भ लें।

ii) पट्टे की देयताएं—

पट्टे के शुरुआत की तिथि में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टे की देनदारियों को पहचानती है। पट्टा भुगतानों में निश्चित भुगतान (संपत्ति निश्चित भुगतान सहित) शामिल हैं, जो किसी भी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि में शामिल हैं। पट्टा भुगतान में कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रय विकल्प के उपयोग मूल्य और पट्टे को समाप्त करने के लिए दंड के भुगतान भी शामिल हैं, यदि पट्टे की अवधि कंपनी को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग करने को दर्शाती है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होते हैं, उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं (जब तक कि वे भंडार का उत्पादन करने के लिए खर्च नहीं किए जाते हैं) जिसमें भुगतान को प्रेरित करने वाली घटना या स्थिति होती है। पट्टे की भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना में, कंपनी पट्टे की प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, पट्टे की देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और पट्टे की भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। इसके अलावा, पट्टे की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, पट्टे की अवधि में बदलाव, पट्टे के भुगतान में बदलाव (उदाहरण के लिए, भविष्य के भुगतान में परिवर्तन एक सूचकांक में परिवर्तन या इस तरह के पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर के परिणामस्वरूप होता है) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के आकलन में बदलाव के कारण। पट्टा देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियां" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है। पट्टा देनदारियों को "अन्य वित्तीय देनदारियां" शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है।

iii) अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है (अर्थात्, वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि आरंभ होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और जिसमें खरीद विकल्प

शामिल नहीं है)। यह कम मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिसे कम मूल्य का माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम-मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

पट्टे दार के रूपमें

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। एक परिचालन पट्टे की बातचीत और व्यवस्था में किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है और पट्टे की अवधि में किराये की आय के समान आधार पर मान्यता दी जाती है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टे दार को स्वामित्व हस्तांतरण के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से होते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टे दारों से देय राशि को कंपनी के पट्टों में शुद्ध निवेश पर प्राप्त के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय लेखांकन अवधि के लिए आवंटित की जाती है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

3.20 प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण:

कंपनी प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक संपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- ए) कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसे प्राप्त या बेचा या उपभोग किए जाने की उम्मीद है;
- बी) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;
- सी) यह प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है; या
- डी) यह नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

- ए) इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है;
- बी) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;

सी) प्रतिवेदन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसे निपटाने की उम्मीद है;

डी) प्रतिवेदन अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच का समय है। कंपनी का सामान्य परिचालन चक्र बारह महीने का होता है।

3.21 शेयरधारकों को लाभांश वितरणः

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है जब शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है।

3.22 पूर्व भुगतान व्यय

प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय को चालू वर्ष में विभाजित किया

जाता है और जहां कहीं भी राशि 20,000/- रुपये से अधिक होती है, पूर्व भुगतान किया जाता है।

3.23 फौजदारी के लिए प्रीमियम

ऋण या उसके किसी भाग के पुरोबंध के लिए प्रीमियम को उस वर्ष में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें फौजदारी प्रभावी होती है।

3.24 परिसमाप्त क्षति

परिसमाप्त क्षति का लेखा निश्चित आधार पर किया जाता है।

3.25 नकदी प्रवाह का बयान

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है। नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में बैंकों में हाथ में नकदी और बैंकों के साथ मांग जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

4. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को सकल वहन मूल्य	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	मार्च 31, 2022 के अनुसार सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2021 को सवित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक सवित मूल्यहास	मार्च 31, 2022 के अनुसार वहन मूल्य
भूमि	63,952.64	-	-	63,952.64	-	-	-	-	63,952.64
भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	12,699.59	105.10	-23.15	12,781.54	1,508.16	351.32	-7.54	1,851.94	10,929.59
घाट और सीमाएं	64,485.91	-	-	64,485.91	8,113.66	1,536.35	-	9,650.01	54,835.90
सड़कें	12,422.34	4,429.75	-	16,852.09	2,593.22	996.84	-	3,590.06	13,262.02
रेलवे ट्रैक और संकेतन प्रणाली	8,605.28	190.10	-	8,795.38	2,814.24	568.08	-	3,382.33	5,413.05
पत्तन, समुद्री दीवार, घाट और बाँध	57,637.86	-	-	57,637.86	12,651.94	754.74	-	13,406.68	44,231.19
नौ परिवहन सहायता	381.67	-	-	381.67	297.00	6.61	-	303.61	78.06
वाहन	208.25	-	-	208.25	63.95	22.99	-	86.95	121.31
विद्युत संरचनाएं	1,912.61	353.43	-	2,266.05	1,197.89	131.11	-	1,329.00	937.04
जल संचार के लिए संरचनाएं और	306.19	-	-	306.19	158.45	8.69	-	167.13	139.06
विद्युत उपकरण	230.93	0.16	-	231.09	128.52	21.57	-	150.08	81.01
कार्यालय के उपकरण	191.86	76.13	-	267.99	159.93	13.02	-	172.95	95.04
फर्नीचर और साज- सामान	946.43	16.91	-	963.34	494.14	76.06	-	570.20	393.14
कम्प्यूटर	867.64	252.32	-	1,119.96	547.74	156.50	-	704.24	415.72
पत्तन, घाटी और प्रवेश चौनल	90,828.74	328.40	-	91,157.14	9,386.51	3,931.86	-	13,318.37	77,838.77
कार्यशाला एवं यंत्र	1,113.69	1,524.49	-	2,638.18	888.63	216.86	-	1,105.49	1,532.69
सुरक्षा संपत्ति	65.09	-	-	65.09	54.51	2.16	-	56.67	8.42
कुल	316856.73	7276.79	(23.15)	324110.37	41058.48	8794.77	(7.54)	49845.71	274264.66

भूमि

ए) कंपनी के पास गो टीएन, टीएनईबी, टीडको और नमक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त 2802.49 एकड़ जमीन है। जिसमें से 2787.27 एकड़ कंपनी के अधिग्रहण में है और शेष 15.22 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण बाकी है क्योंकि इन जमीनों पर मुकदमा चल रहा था। भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध मुकदमे के तहत 15.22 एकड़ भूमि में से दो रिट याचिकाएं डब्ल्यू.पी. नं. 26041/2001 और 26042/2001 टीएमटी पप्पा और थिरु.पी. सेल्वराज द्वारा दायर की गई थीं। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.11.2019 के द्वारा याचिकाकर्ताओंकी भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर दिया। अदालत ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत नई अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करने की सलाह दी।

"कंपनी ने रिट याचिकाओं (डब्ल्यू.पी) सं. 26041/2001 और सं. 26042/2001 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 19.11.2019 के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करने का फैसला किया है। पत्तन ने श्री.पी.सेल्वराज की 6.18 एकड़ भूमि के लिए 2.86 लाख रुपये और श्रीमती एस.पापा की 1.38 एकड़ भूमि के लिए 0.58 लाख रुपये मुआवजे की राशि के रूप में प्रेषित किया था और इसे निपटान/समायोजन के अंतर्गत दिखाया गया राजस्व जमा और संचयी रु.3.44 लाख" रखने का आदेश दिया गया था।

बी) कंपनी ने टीडको /TIDCO से 950 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 297.98 एकड़ कंपनी के नाम पंजीकृत हो गई और शेष पंजीकरण प्रगति पर है। कंपनी ने टैंजेडको से 1092.20 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 995.05 एकड़ कंपनी के नाम पंजीकृत हो गई और शेष का पंजीकरण जारी है। कंपनी ने नमक विभाग से 712.42 एकड़ भूमि खरीदी, जिसमें से 682.66 एकड़ कंपनी के नाम पंजीकृत हो गई और शेष पंजीकरण प्रगति पर है। कंपनी ने जीओटीएन /GoTN से 32.65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया, और पट्टा कंपनी के नाम पर प्राप्त किया।

सी) मैसर्स एन्नोर टेंक टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एन्नोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सिकाल आयरन ओर टर्मिनल लिमिटेड, मैसर्स अदानी कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एन्नोर बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आईओसी एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, को 134600, 542524, 472460, 384780 (चरण 1 और 2), 171611, 520000 और 20235 (कुल माप 555.07 एकड़) वर्ग मीटर में परिमापित भूमि बीओटी संचालकों को क्रमशः आवंटित किया गया।

4. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को सकल वहन मूल्य	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	मार्च 31, 2021 के अनुसार सकल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2021 के अनुसार वहन मूल्य
भूमि	63956.08	0.00	(3.44)	63,952.64	0.00	0.00	0.00	-	63,952.64
भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	12324.60	374.99	0.00	12,699.59	1187.39	320.77	0.00	1,508.16	11,191.42
घाट और सीमाएं	64485.91	0.00	0.00	64,485.91	6577.31	1536.35	0.00	8,113.66	56,372.25
सड़कें	8919.99	3502.35	0.00	12,422.34	1988.01	605.21	0.00	2,593.22	9,829.12
रेलवे ट्रैक और संकेतन प्रणाली	7660.95	944.33	0.00	8,605.28	2259.06	555.19	0.00	2,814.24	5,791.04
पतन, समुद्री दीवार, घाट और बाँध	57637.86	0.00	0.00	57,637.86	11897.20	754.74	0.00	12,651.94	44,985.92
नौ परिवहन सहायता	381.67	0.00	0.00	381.67	290.39	6.61	0.00	297.00	84.67
वाहन	184.47	23.78	0.00	208.25	42.10	21.85	0.00	63.95	144.30
विद्युत संरथापनायें	1862.03	50.58	0.00	1,912.61	1060.40	137.49	0.00	1,197.89	714.72
जल संचार के लिए संरथापनायें और	306.19	0.00	0.00	306.19	149.76	8.69	0.00	158.45	147.74
विद्युत उपकरण	198.60	32.33	0.00	230.93	108.60	19.92	0.00	128.52	102.41
कार्यालय के उपकरण	189.03	2.83	0.00	191.86	144.79	15.14	0.00	159.93	31.93
फर्नीचर और साज— सामान	930.80	15.63	0.00	946.43	419.57	74.57	0.00	494.14	452.29
कम्प्यूटर	856.65	10.99	0.00	867.64	426.84	120.90	0.00	547.74	319.91
पतन, घाटी और प्रवेश चौनल	84920.76	5907.98	0.00	90,828.74	5469.99	3916.52	0.00	9,386.51	81,442.23
कार्यशाला एवं यंत्र	1099.46	14.24	0.00	1,113.69	728.15	160.48	0.00	888.63	225.06
सुरक्षा संपत्ति	65.09	0.00	0.00	65.09	52.21	2.29	0.00	54.51	10.59
Total	305980.15	10880.03	(3.44)	316856.73	32801.77	8256.71	0.00	41058.48	275798.26

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को सकल वहन मूल्य	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	मार्च 31, 2022 के अनुसार कल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2021 को संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	मार्च 31, 2022 को संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2022 के अनुसार वहनमूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति	2,025.58	636.27	-	2,661.85	515.73	110.79	-	626.52	2,035.33
कुल	2025.58	636.27	0.00	2661.85	515.73	110.79	0.00	626.52	2035.33

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को सकल वहन मूल्य	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	मार्च 31, 2021 के अनुसार कल वहन मूल्य	1 अप्रैल, 2020 को संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	निपटान/ समायोजन	मार्च 31, 2021 को संचित मूल्यहास	मार्च 31, 2021 के अनुसार वहनमूल्य
पंजीकृत कार्यालय के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति	2,002.42	23.16		2,025.58	427.20	88.53	-	515.73	1,509.85
कुल	2002.42	23.16	0.00	2025.58	427.20	88.53	0.00	515.73	1509.85

5. पूँजी – कार्य – प्रगति पर

(राशि लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीकृत/समायोजन	मार्च 31, 2022 तक शेष राशि
सीडब्ल्यूआईपी – भवन, शेड और अन्य संरचनाएं	776.51	612.11	-105.10	1283.52
सीडब्ल्यूआईपी – घाट और सीमाएं	31.05	1086.61	0.00	1117.66
सीडब्ल्यूआईपी – सड़कें	4058.92	6035.90	-4429.75	5665.07
सीडब्ल्यूआईपी – रेलवे ट्रैक और संकेतन प्रणाली	9389.59	4835.94	-190.10	14035.44
सीडब्ल्यूआईपी – पत्तन, सेतू, घाटऔरबाँधवॉटर	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – नौपरिवहन सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – विद्युत प्रतिष्ठान	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – पानी, संचार और फाई के लिए स्थापना	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – विद्युत उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – कार्यालय उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – कंप्यूटर	0.00	0.00	0.00	0.00
सीडब्ल्यूआईपी – पत्तन घाट और प्रवेश चौनल	369.01	124.10	-328.40	164.71
सीडब्ल्यूआईपी – संयंत्र और मशीनरी	1256.00	343.49	-1524.49	75.00
सीडब्ल्यूआईपी – फर्नीचर और साज सामान	0.00	9.61	0.00	9.61
सीडब्ल्यूआईपी – कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	15881.07	13047.77	(6577.83)	22351.01
पिछले वर्ष	10761.86	15935.98	(10816.77)	15881.07

6. अमूर्त संपत्ति – सॉफ्टवेयर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
1 अप्रैल को सकल वहन मूल्य	1,092.96	1,077.73
अतिरिक्त	1.19	15.23
निपटान / समायोजन		
31 मार्च को सकल वहन मूल्य	1,094.15	1,092.96
1 अप्रैल को संचित मूल्यहास	623.06	468.86
वर्ष के लिए	155.90	154.21
निपटान / समायोजन पर		
31 मार्च को संचित मूल्यहास	778.96	623.06
31 मार्च को सकल वहन मूल्य	315.18	469.90

7. निवेश (रुपये लाख में)

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अप्रचलित		
शेयरों में निवेश-उद्धृत		
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10000 शेयर (31 मार्च, 2022 तक बाजार मूल्य – 31,55.500/- रुपये)	31.56	37.07
शेयरों में निवेश – अनुद्धृत		
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इकिवटी शेयर #	3000.00	3000.00
घटाव: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-3000.00	-3000.00
चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड के इकिवटी शेयर (3,40,00,000 रुपये प्रति शेयर 10/- के इकिवटी शेयरय पिछले वर्ष – 10/- रुपये प्रति शेयर के 3,40,00,000 शेयर)	3400.00	3400.00
इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन के इकिवटी शेयर (10/-रुपये प्रति शेयर के 7,20,000 इकिवटी शेयर; पिछले वर्ष – प्रति शेयर रुपये 10/- के 7,20,000 इकिवटी शेयर)	720.00	720.00
कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड के इकिवटी शेयर (10/-रुपये प्रति शेयर के 20,000 इकिवटी शेयर; पिछले वर्ष – 20,000 इकिवटी शेयर 10/- रुपये प्रति शेयर)	2.00	2.00
अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र में निवेश	1.00	1.00
(66 इकिवटी शेयर 1515.52/- रुपये प्रति शेयर; पिछले साल – 1515.52 रुपये प्रति शेयर के 66 इकिवटी शेयर)		
	कुल	4154.56
प्रचलित		
तरल निधिमेंनिवेश		
	कुल	0.00

चूंकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 14.09.2007 से ड्रेजिंग कार्य को निलंबित कर दिया गया है और तब से इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है, प्रबंधन ने सेतु समुद्रम निगम के इकिवटी शेयरों में निवेश की ओर कमी के लिए प्रावधान सीमित किया है।

8. ऋण ओर अग्रिम

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
दीर्घ अवधि		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (आवास निर्माण अग्रिम)	355.09	367.42
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	5.77	10.74
	कुल	360.86
लघु अवधि		
सुरक्षित (अच्छा माना जाता है)		
कर्मचारियों को अग्रिम (आवास निर्माण अग्रिम)	42.86	42.43
कर्मचारियों को अग्रिम (वाहन अग्रिम)	2.54	4.48
कर्मचारियों को अग्रिम (अन्य)	4.34	7.05
	कुल	49.74

कर्मचारियों को अग्रिम (आवास निर्माण अग्रिम) में 16 कर्मचारियों को दिए गए 202.45 लाख रुपये अग्रिम शामिल हैं, जिसके लिए जमा का ज्ञापन लंबित है।

9. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
दीर्घ अवधि		
जमा	440.89	392.87
इस पर अर्जित व्याज़:	0.00	0.00
—संबंधित पक्षों को अग्रिम		
कुल	440.89	392.87
लघु अवधि		
इस पर अर्जित व्याज़:		
—लघु अवधि जमा	4.34	0.00
—संबंधित दलों को अग्रिम	0.00	0.00
प्राप्य आय	224.38	135.11
कुल	228.72	135.11

प्राप्य आय, बिल न की गई पत्तन सेवा औं का प्रतिनिधित्व करती है जिसे बाद में अप्रैल 2022 में बिल किया गया था।

10. कर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्तमान आयकर		
चालू वर्ष के संबंध में	9410.19	5200.38
पूर्व वर्षों के संबंध में	-	-
उप कुल (ए)	9410.19	5200.38
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	428.51	1720.98
कर की दर में परिवर्तन	-	2418.61
लेखा नीति में परिवर्तन	-	4973.36
उप कुल (बी)	428.51	9112.95
कुल (ए + बी)	9838.70	14313.33

अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
परिभाषित लाभ योजना बीमांकिक लाभ (हानि)	69.46	9.02
इकिवटी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-1.93	1.28
कुल	67.53	10.30

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में परिवर्तन के साथ—साथ श्रेणीवार विवरण।

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
विलम्बित कर देयता		
संपत्ति संयंत्र उपकरण	(32,286.65)	(30,710.83)
उप कुल	(32,286.65)	(30,710.83)
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कोई भी धारा 40a(ia) अस्वीकरण	-	
कोई भी धारा 43बी अस्वीकरण	-	
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान@ प्रभावी कर दर	1,359.75	454.18
MAT क्रेडिट पात्रता	43,541.24	43,538.45
परिभाषित लाभ योजना में गति	82.18	120.06
निवेश में कमी — @ प्रभावी कर दर	1,048.32	1,048.32
अन्य	481.00	271.70
उप कुल	46512.49	45432.71
निवल आस्थगित कर आस्तियां / (देयताएं)	14225.84	14721.90

11. अन्य परिसंपत्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अप्रचलित		
अग्रिम के लिए – पूंजीगत व्यय	7700.49	7328.63
प्रीपेड खर्च	130.30	0.00
आस्थगित कर्मचारी लागत	136.19	149.59
परिभाषित लाभ योजना संपत्ति / (देयताएं) – ग्रेचुटी	68.68	-51.80
परिभाषित लाभ योजना परिसंपत्ति / (देयताएं) अर्जित अवकाश नकदीकरण	50.61	-15.24
कुल	8086.28	7411.19
प्रचलित		
ठेकेदारों को अग्रिम	833.62	1058.22
प्रीपेड पट्टा किराया	0.00	0.00
प्रीपेड व्यय	339.61	29.73
जीएसटी निवेश	359.57	725.82
अन्य परिसंपत्तियां	0.00	62.11
कुल	1532.80	1875.88

अप्रचलित के तहत पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम में 22.06.2001 को चेन्नई पत्तन न्यास से संपत्ति और देनदारियों को लेने के समय मद्रास के उच्च न्यायालय को संदर्भित परियोजना ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान के रूप में 4509.50 लाख रुपये शामिल हैं।

12. व्यापार प्राप्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
व्यापार प्राप्तियां		
– असुरक्षित – अच्छा माना जाता है	5788.93	7770.44
– संदिग्ध	3891.22	1299.74
घटाव: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	-3891.22	-1299.74
कुल	5788.93	7770.45

13. नकद और नकद समकक्ष

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
हाथ में पैसा	0.13	0.00
चेक, ड्रापट हाथ में	0.00	0.00
बैंकों के साथ शेष राशि	1370.98	3201.44
उप-कुल (ए)	1371.11	3201.44
अन्य बैंक शेष		
– अवधि जमा		
– 3 महीने से कम	3000.00	0.00
– 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम	5000.00	0.00
उप-कुल (बी)	8000.00	0.00
कुल	9371.11	3201.44

14. प्रचलित कर परिसंपत्तियां

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	81096.46	71106.47
आयकर के लिए प्रावधान	-80227.79	-70817.61
कुल	868.66	288.86

15. इकिवटी शेयर पूंजी

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अधिकृत 10/-रुपये के प्रत्येक इकिवटी शेयर। 500,000,000 इकिवटी शेयर	50000.00	50000.00
निर्गत, अभिदा और पूर्ण प्रदत्त 10/-रुपये के प्रत्येक इकिवटी शेयर। 300,000,000 इकिवटी शेयर	30000.00	30000.00

शेयर पूंजी का समाधान:

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	राशी
प्रारंभिक इकिवटी शेयर	300000000	3000000000
जोड़ें: — वर्ष के दौरान जारी / सब्सक्राइब किए गए शेयरों, शेयर पूंजी की संख्या	0	0
जमा शेष	300000000	3000000000

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	राशी
प्रारंभिक इकिवटी शेयर	300000000	3000000000
जोड़ें: — वर्ष के दौरान जारी / सब्सक्राइब किए गए शेयरों, शेयर पूंजी की संख्या	0	0
जमा शेष	300000000	

5 प्रतिशत से अधिक हिस्से दारी रखने वाले शेयर धारकों के पास कंपनी के शेयर

(राशि लाखों में)

शेयर धारकों के नाम	%	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
चेन्नै पोर्ट न्यास	100%	30000	30000

भारत सरकार ने 25.03.2020 को दर्ज किए गए शेयर खरीद समझौते के माध्यम से कंपनी में रखे अपने पूरे इकिवटी शेयरों का चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट को विनिवेश कर दिया।

16. ऋण राशी

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
सुरक्षित – लंबी अवधि		
सावधि ऋण		
चेन्नई पत्तन न्यास	18205.00	20506.25
एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण	0.00	0.00
कर मुक्त ऋणपत्र		
(i) श्रृंखला 2012–13	1150.11	9429.68
(ii) श्रृंखला 2013–14	36454.40	36441.08
असुरक्षित – लंबी अवधि		
सावधि ऋण		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	3500.00	-
कुल	59309.51	66377.01
सुरक्षित – लघु अवधि		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
– चेन्नई पत्तन न्यास	2301.25	2301.25
– एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण	0.00	8656.41
– कर मुक्त ऋणपत्र – श्रृंखला 2012–13	8293.34	0.00
असुरक्षित – लंबी अवधि		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
एचडीएफसी बैंक से ऋण	500.00	0.00
कुल	11094.59	10957.66

सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र

(i) सममूल्य पर प्रतिदेय, 829334 अंकित मूल्य के 10 वर्ष के ऋणपत्रों की संख्या 1000/- प्रत्येक की राशि 82,93,34,000/- की राशि 25.03.2023 को देय है और 117156 अंकित मूल्य के 15 साल के ऋणपत्र की संख्या – 1000 / – प्रत्येक की राशि 11,71,56,000 रुपये, देय है 25.03.2028 को ब्याज दरों के साथ 7.51% और 7.67% खुदरा निवेशकों के लिए है। निवेशक और 7.01% और 7.17% क्रमशः दूसरों को, वार्षिक देय। ऋणपत्र कंपनी की संपत्ति के साथ सुरक्षित हैं अर्थात्, 25.03.2013 को पंजीकृत समझौता विलेख की शर्तों के अनुसार लघु उपयोग घाट – 1, 2 और 3 और सामान्य नौवहन घाट, इसमें संलग्न हैं।

(ii) सममूल्य पर प्रतिदेय, 794951 अंकित मूल्य के 10 वर्ष के ऋणपत्रों की संख्या – रु.1000/- नकद की राशि रु.79,49,51,000/- की राशि 25.03.2024 और 1916630 अंकित मूल्य के 15 साल के ऋणपत्र की संख्या – रु.1000/- प्रत्येक की राशि रु.191,66,30,000/- 25.03.2029 को देय है और 943142 अंकित मूल्य के 20 साल के ऋणपत्र की संख्या – रु.1000/- रु.94,31,42,000/- की प्रत्येक राशि 25.03.2034 को खुदरा निवेशकों के लिए क्रमशः 8.61%, 9% और 9% की दर से देय है और क्रमशः 8.36%, 8.75% और 8.75% अन्य को देय है। ऋणपत्र कंपनी की संपत्ति के साथ सुरक्षित हैं अर्थात्, 19.03.2014 को पंजीकृत समझौता विलेख की शर्तों के अनुसार पश्चिमी बांध के साथ।

चेन्नै पोर्ट न्यास से सावधि ऋण

चेन्नै पोर्ट न्यास के कारण सावधि ऋण वर्ष 2001–02 में संपत्ति और देनदारियों के अधिग्रहण के समय परिवर्तित हो गया और जिसे 30.06.2012 से आरंभ होने वाली 60 समान तिमाही किश्तों में चुकाया जा सकता है। इस अवधिके दौरान किश्तों का भुगतान अध्यतन से किया जाता है। उपरोक्त ऋण कंपनी की विशेष रूप से निर्धारित अचल संपत्तियों के दृष्टिबन्धक द्वारा सुरक्षित हैं। कंपनी ने मूल ऋण के समान नियमों और शर्तों पर क्रमशः 18.06.2018 और 29.09.2018 को 70 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार ली है।

एक्सिस बैंक से विदेशी मुद्रा ऋण

एक्सिस बैंक ने 30.03.2017 को एक वर्ष की ऋण सिग्न रिहित पांच वर्ष के भीतर चुकाने योग्य 6 मिलियन लिबर प्लस 195 बीपीएस की ब्याज दर की दर से व्यापार प्राप्तियों के साथ विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) 100 मिलियन अमरीकी डालर को स्वीकृति दी है। कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान 47 मिलियन डालर का और लाभ उठाया है। ब्याज दर जोखिम की रक्षा के लिए कंपनी ने 250 बेसिस पॉइंट्स (बीपीएस) से अधिक 6 मिलियन लिबोर दर को भी रोका है। ऋण चुकाया गया और अंतिम किस्त का भुगतान 31 मार्च 2022 को किया गया और 21.05.2022 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इस प्रभार की संतुष्टि दर्ज की गई है।

एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण

एचडीएफसी बैंक ने 27 जुलाई 2021 को 91 दिनों की ब्याज दर के साथ 80% प्रति वर्ष की दर से 50 करोड़ रुपये का असुरक्षित रूपया सावधि ऋण स्वीकृत किया है, जो एक वर्ष की ऋण स्थगन सहित पांच वर्ष के भीतर ट्रैमासिक पुनर्भुगतान योग्य है। वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने पूँजीगत परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये का लाभ उठाया है।

17. अन्य वित्तीय देयताएं

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
दीर्घ अवधि		
सुरक्षा जमा राशि	435.20	385.57
देय प्रतिधारण राशि	0.00	11.43
कुल	435.20	397.00
लघु अवधि		
सुरक्षा जमा	139.16	139.58
देय प्रतिधारण राशि	239.98	382.09
कर्मचारियों को देय राशि	0.48	0.48
अन्य देनदारियां	128.43	129.18
कुल	508.04	651.32

18. प्रावधान

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अप्रचलित		
कर्मचारी लाभ के लिए		
नकदीकरण छोड़े	0.00	0.00
ग्रेचुटी	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00
प्रचलित		
कर्मचारी लाभ के लिए		
नकदीकरण छोड़े	0.00	0.00
ग्रेचुटी	0.00	0.00
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	326.99	100.00
उप कुल (ए)	326.99	100.00
अन्य		
व्यय		
—राजस्व	950.43	1061.00
—पूँजी	123.50	329.86
उपकुल (बी)	1073.93	1390.86
कुल (ए + बी)	1400.92	1490.86

19. अन्य देयताएं

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
अप्रचलित		
अग्रिम में प्राप्त आय	5970.93	6449.43
अग्रिम पट्टा प्रभार	1313.19	1710.27
अन्य देनदारियां	0.00	0.00
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ – सुरक्षा जमा	549.01	570.40
सरकारी अनुदान	0.00	0.00
कुल	7833.14	8730.10
प्रचलित		
अग्रिम में प्राप्त आय	780.67	866.75
अन्य सांविधिक देय	2585.84	1865.91
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	1470.96	2714.79
अग्रिम पट्टा प्रभार	61.45	79.79
अन्य देनदारियां	114.85	112.26
कुल	5013.77	5639.50

दिनांक 31 जुलाई 2015 को लाइसेंस समझौते के अनुसार अप्रचलित के तहत 5970.93 लाख रुपये की अग्रिम प्राप्त आय एलएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिए आवंटित 5,20,000 वर्ग मीटर भूमि के लिए 30 साल के लिए इंडियन ऑयल एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड से अग्रिम लाइसेंस शुल्क की राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

20. व्यापार देयताएं

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	338.18	120.86
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को कुल बकाया राशि	2790.69	4479.79
कुल	3128.87	4600.65

21. संचालन से राजस्व

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
पट्टे से आय		
कोयले पर समग्र दर सूची	26889.40	16306.12
संपत्ति आय	3150.54	3806.72
आय के भाग	28038.48	18440.33
समुद्री सेवाएं		
पोत संबंधित आय	18282.45	14316.75
कार्गो संबंधित सेवा		
घाट शुल्क	5614.79	4236.70
रॉयल्टी	1002.52	909.87
अन्य परिचालन राजस्व		
अन्य सेवाएं	283.33	92.76
कुल	83261.51	58109.25

22. अन्य आय

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
बैंकों से ब्याज	340.13	320.24
कर्मचारी अग्रिम से ब्याज	38.66	34.75
ब्याज – अन्य	95.52	107.42
म्यूचुअल फंड से अल्पावधि लाभ	0.00	9.37
प्राप्त लाभांश	0.00	0.00
अन्य गैर परिचालन आय		
निविदा दस्तावेजों की बिक्री	0.00	0.00
कार्मिक और वाहन प्रवेश पास	91.23	70.99
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	31.60	0.00
परिसमापन क्षतिपूर्ति	1083.13	0.00
अन्य आय	142.04	89.70
कुल	1822.30	632.47

23. परिचालन लागत

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
समय सूचना	3201.12	3125.54
परामर्श सेवाएं – संचालन	46.02	175.54
बिजली और पानी का शुल्क	232.23	214.60
पर्यावरण	301.64	295.91
अनुसंधान एवं विकास व्यय	235.07	0.00
ईंधन व्यय	1090.83	664.88
मैनिंग सेवाएं	789.78	609.32
सर्वेक्षण व्यय	9.51	118.02
मरम्मत और रखरखाव	720.29	938.92
प्रोत्साहन	254.61	685.16
बीमा	326.88	280.37
कुल	7207.98	7108.26

24. कर्मचारी लाभ

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वेतन और मजदूरी	1430.99	1445.47
भविष्य निधि में योगदान	129.31	128.82
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	361.98	0.00
कर्मचारी चिकित्सा व्यय	73.89	52.84
आवधिक लाभ	256.17	266.02
कुल	2252.34	1893.15

25. वित्तिय लागत

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
व्याजव्यय		
– बैंक	139.25	437.70
– कर मुक्त ऋण पत्र – 2012 –13	687.67	686.91
– कर मुक्त ऋण पत्र – 2013–14	3234.34	3234.23
– अन्य	2114.35	2560.78
अन्य उधार लागत:		
– कर मुक्त ऋणपत्र व्यय	5.35	8.77
विदेशी मुद्रा लेनदेन और उस सीमा तक अनुवाद पर शुद्ध हानि / लाभ जिसे ऋण लागत माना जाता है।	53.14	-429.34
कुल	6234.10	6499.05

26. मूल्यवास और परिशेधन व्यय

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष के लिए मूल्यवास / परिशेधन	8794.77	8256.71
मूर्त संपत्ति	110.79	88.53
संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार	155.90	154.21
अमूर्त संपत्ति		
कुल	9061.46	8499.44

27. अन्य व्यय

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
एएमसी – सॉफ्टवेयर व्यय	177.18	71.57
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक		
–सांविधिक लेखा – परीक्षा	6.00	6.00
– टैक्स ऑडिट फीस	0.75	1.00
– अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	1.18	0.45
–व्यय की प्रतिपूर्ति	0.60	0.60
बिजली और पानी के शुल्क	105.83	128.75
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	474.28	190.24
विविध खर्च	173.05	83.55
छपाई और लेखन सामग्री	12.85	14.69
किराया, दरें और कर	59.77	73.94
सुरक्षा और सुरक्षा खर्च	1195.87	1372.33
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	707.15	2140.66
सदस्यता और सदस्यता शुल्क	96.69	152.01
संचार व्यय	56.56	55.47
यात्रा और परिवहन	9.01	8.29
वाहन चलाने का खर्च	297.88	275.15
विज्ञापन और प्रचार खर्च	19.88	26.92
दान और योगदान	0.00	130.00
मैनिंग अनुबंध – व्यवस्थापक	339.68	202.32
आर एंड एम कार्यालय	55.85	223.89
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव हानि	87.74	0.00
अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान	2591.48	0
कुल	6469.27	5157.83

निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

जहां कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत कवर की गई कंपनी के, सीएसआर गति विधियों के संबंध में निम्नलिखित पर चर्चा की जाएगी:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	व्यय की गई राशि
(i)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	707.15 लाख
(ii)	किए गए व्यय की राशि	557.44 लाख
(iii)	वर्ष के अंत में कमी	₹.149.71 लाख (अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित वित्त वर्ष 2021-22)
(iv)	पिछले वर्षों की कुल कमी	बजट – 811 लाख रुपये, व्यय 827.5 लाख, कोई कमी नहीं
(v)	कमी का कारण	कोई कमी नहीं
(vi)	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीणविकास, आदि
(vii)	संबंधित पार्टी का विवरण लेन-देन, उदाहरण केलिए, संबंधित लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित न्यासमें योगदान	टॉडियारपेट स्कूल विकास केलिए चेन्नई पत्तन न्यास को 100 लाख का योगदान
(VIII)	एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में एक प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में गतिविधियों को अलग से दिखाया जाएगा	शून्य

28. असाधारण वस्तूएं

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

29. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	4414568958	1529819990
शेयरों की भारित औसत संख्या – मूल	300000000	300000000
शेयरों की भारित औसत संख्या – तरलीकृत	300000000	300000000
प्रति शेयर आय – प्रतिशेयर	14.72	5.10
मूल आय – तरलीकृत	14.72	5.10

टीप 30: प्रकटीकरण टीप

1. प्रतिबद्धताएं:

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजीगतव्य (अग्रिमोंकाशुद्ध) पर निष्पादित किए जानेवाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और रुपये 32945.25 लाख के लिए प्रदान नहीं किया गया। (पिछले वर्ष 30879.80 लाख रुपये)

2. सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान (राशि लाखों में)

विवरण	2021-22	2020-21
लेखा – परिक्षण शुल्क	6.00	6.00
कर लेखा – परिक्षण शुल्क	0.75	-
प्रमाणन शुल्क	1.18	0.45
पुनर्भुगतान:		
– अपने पास से किया गया व्यय	0.60	0.60

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

(राशि लाखों में)

	विवरण	2021-22	2020-21
ए	विदेशी मुद्रा में व्यय:		
	(क) पेशेवर और परामर्श शुल्क	-	-
	(ख) यात्रा और यातायात	-	-
	(ग) प्रतिरक्षा सहित विदेशी मुद्रा ऋण पर व्याज	139.25	437.70
	(घ) अन्य	-	-
बी	विदेशी मुद्रा में आय	-	-

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में 31 मार्च 2022 तक सूचना:

(राशि लाखों में)

Sl.	विवरण	2021-22	2020-21
1	किसी भी आपूर्तिकर्ता की बकाया राशि: क) मूल राशि ख) उस पर देय व्याज	338.18	120.86
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई व्याज की राशि के साथ-साथ सहायक को दी जाने वाली सहायता राशि •	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय व्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है लेकिन नियत दिन से अधिक) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम वृद्धि विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट व्याज को जोड़े बिना अर्जित व्याज की राशि और सहायता के रूप में शेष	शून्य	शून्य
4	अर्जित व्याज की राशि और सहायता के रूप में शेष	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, बाद के वर्षों में भी शेष और देय व्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक उपरोक्त व्याज बकाया वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में विक्रेताओं का वर्गीकरण कंपनी के पास सूचना के लिए उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय लेखा मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताएं

5. भारतीय लेखा मानक 107 के संबंध में प्रकटीकरण – वित्तीय लिखत

5.1 श्रेणियों द्वारा वित्तीय लिखत

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार था:

31 मार्च 2022 तक राशि लाखों में

विवरण	लागत	वित्तीय आस्तियों/ दायित्वों को उचित मूल्य पर लाभ या क्षति के माध्यम से	वित्तीय आस्तियों/ दायित्वों को उचित मूल्य पर ओसीआई के माध्यम से	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
संपत्ति:					
गैर वर्तमान निवेश संदर्भ (टिप्पणी संख्या 7)	4123.00	-	31.5	4154.56	4154.56
नकद और नकद समकक्ष (संदर्भ टिप्पणी संख्या 13)	9371.11	-	-	9371.11	9371.11
प्राय्य व्यापार (संदर्भ टिप्पणी संख्या 12)	5788.93	-	-	5788.93	5788.93
ऋण और अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी 8)	410.60	-	-	410.60	410.60
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पणी संख्या 9)	669.61	-	-	669.61	669.61
देयताएं:					
चेन्नई पोर्ट न्यास से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	20506.25	-	-	20506.25	20506.25
गैर कर मुक्त ऋण पत्र (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	45897.85	-	-	45897.85	45897.85
एचडीएफसी बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	4000.00	-	-	4000.00	4000.00
व्यापार देय – सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि (संदर्भ टिप्पणी संख्या 20)	338.18	-	-	338.18	338.18
व्यापार देय – सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 20)	2790.69	-	-	2790.69	2790.69
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पणी संख्या 17)	943.24	-	-	943.24	943.24

विवरण	कर्ज़ चुकाने की लागत	लाभ या क्षति के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां/देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
संपत्ति:					
अप्रचलित निवेश (टिप्पणी संख्या 7 देखें)	4123.00		37.07	4160.07	4160.07
नकद और नकद समकक्ष (संदर्भ टिप्पणी संख्या 13)	3201.44	-	-	3201.44	3201.44
व्यापार प्राप्य (संदर्भ (टिप्पणी संख्या 12)	7770.45	-	-	7770.45	7770.45
ऋण और अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी संख्या 8)	432.12	-	-	432.12	432.12
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (संदर्भ टिप्पणी संख्या 9)	527.99	-	-	527.99	527.99
देयताएं:					
चेन्नई पोर्ट न्यास से सावधि ऋण (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	22807.50	-	-	22807.50	22807.50
कर मुक्त ऋणपत्र (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	45870.76	-	-	45870.76	45870.76
एकिसस बैंक से ऋण (संदर्भ टिप्पणी संख्या 16)	8656.41	-	-	8656.41	8656.41
सूक्ष्म लघु उद्यमों को बकाया देय (संदर्भ टिप्पणी नंबर 20)	120.86	-	-	120.86	120.86
व्यापार देय बकाया राशि सूक्ष्म लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदार (संदर्भ टिप्पणी नंबर 20)	4479.79	-	-	4479.79	4479.79
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ टिप्पणी संख्या 17)	1048.32	-	-	1048.32	1048.32

5.2. उचित मूल्य पदानुक्रम

- स्तर 1 – देनदारियों की समान संपत्ति के लिए सक्रिय बाजारों में उद्भूत मूल्य (अनसमायोजनागत)।
- स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मिलित उद्भूत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या परोक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त)
- स्तर 3 – संपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका विफल मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है:

(राशी लाखों में)

विवरण	वर्ष 31.3.2022 के लिए				वर्ष 31.3.2021 के लिए			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्ति								
अनुद्वृत इकिवटी लिखत में निवेश	-	-	4,123	4,123	-	-	4,123	4,123

5.3. वित्तीय संकट प्रबंधन

वित्तीय संकट कारक

कंपनी की गतिविधियां सीमित वित्तीय जोखिमों के संपर्क में हैं: बाजार संकट, ऋण संकट और तरलता संकट। कंपनी का ध्यान वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का अनुमान लगाने और इसके वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को भरने की कोशिश करना है।

ए) बाजार संकट

बाजार संकट वह संकट है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा।

बाजार संकट के रूप में कंपनी के पास ब्याज दर संकट है। कंपनी के पास अपने वित्तीय साधनों पर मूल्य संकट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

ब्याज दर संकट:

ब्याज दर संकट वह संकट है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के संकट का संकट मुख्य रूप से चल ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान चार चरणों @ लिबोर प्लस 195 बीपीएस में एक्सिस बैंक से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्थीकृत ऋण में से 47 मिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया है। हालांकि, ब्याज दर संकट की रक्षा के लिए 250 आधार अंकों (बीपीएस) से अधिक की लिबोर दर को दर्ज किया गया है। ऋण चुकाया गया और अंतिम किस्त का भुगतान 31 मार्च 2022 को किया गया।

कंपनी के पास चेन्नई पोर्ट न्यास से प्राप्त ऋणों पर ब्याज दर संकट है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पुनर्स्थापन भारतीय स्टेट बैंक की एमसीएलआर दर में गति के लिए आंकी गई है।

इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण प्राप्त किया है क्योंकि वार्षिक ब्याज दर पुनर्स्थापन को 91 दिनों के टी बिलों में गति के लिए आंका गया है।

प्रतिवेदन तिथि के अनुसार, कंपनी के ब्याज-असर वाले वित्तीय साधनों की ब्याज दर रूपरेखा इस प्रकार है:

(राशी लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वित्तीय परिसंपत्ति		
- बैंक के साथ सावधि जमा	8000.00	-
- कर्मचारी अग्रिम	406.26	425.06
वित्तीय देयतायें		
- कर मुक्त ऋणपत्र	45897.85	45870.76
परिवर्तनीय दर लिखत		
- चेन्नई पोर्ट न्यास से ऋण	20506.25	22807.50
- विदेशी मुद्रा ऋण	-	8656.41
- एचडीएफसी बैंक	4000.00	-

बी) ऋण संकट

ऋण संकट प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के संकट को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। चूंकि कंपनी आम तौर पर प्रमुख पत्तन सेवाओं के लिए अपनी आय के संबंध में पूर्व भुगतान निर्धारित करती है, सामान्यतः पर किसी को कोई ऋण नहीं दिया जाता है। ऐसे मामलों में कोई ऋण दोष संकट नहीं होता है। हालांकि, जहाँ कंपनी कुछ सहायक / सहायता सेवाएँ प्रदान कर रही है, वहाँ चालान किए जाते हैं, जब भी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और विवादों के निपटारे पर उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि पर असहमति के मामलों में और इन मामलों में, ऋण दोष संकट का एक तत्व हो सकता है।

व्यापार प्राप्तियां

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की बकाया व्यापार प्राप्त राशि रु.5788.93 लाख और रु. 7770.45 लाख क्रमशः है। व्यापार प्राप्त आम तौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से प्राप्त राजस्व से प्राप्त होते हैं। चूंकि अधिकांश पत्तन सेवाएँ अग्रिम वसूली के आधार पर पूर्व संग्रहण के आधार पर प्रदान की जाती हैं, व्यापार

प्राप्य अवैतनिक राजस्व बकाया है जो ज्यादातर संपत्ति के किराये और संबद्ध सेवाओं के लिए है। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर विवादित ऋणों के प्रावधान की समीक्षा की जाती है और मामला दर मामला आधार पर प्रदान किया जाता है।

ऋण दोष संकट

प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का आयु-वार विश्लेषण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(31 मार्च 2022 तक राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
	6 महीने से अधिक	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है	3575.16	109.82	89.52	258.04	51.61	4084.15
(ii) प्राप्तियां जिनमें ऋण दोष में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	2591.48	-	1299.74	3891.22
(iv) विवादित प्राप्य राशियों को अच्छा जोखिम माना जाता है	866.45	838.33	-	-	-	1704.78
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण संकट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण दोष	-	-	-	-	-	-

(31 मार्च 2021 तक राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
	6 महीने से अधिक	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है	3234.56	1415.07	1969.56	935.34	215.91	7770.44
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य-जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	1299.74	1299.74
(iv) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा जोखिम माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-

मामले के आधार पर व्यापार प्राप्तियों की क्षति के लिए प्रावधान उस वर्ष में किया जाता है जब कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली क्षमता को संदिग्ध के रूप में मूल्यांकन किया जाता है या रियायती समझौतों में कुछ खंडों की व्याख्या पर विवादों के संभावित परिणाम पर आधारित होता है। कंपनी अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर विचार करती है जो दोषी नहीं हैं और समीक्षाधीन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथियों के लिए बकाया है, अच्छी ऋण गुणवत्ता की है।

अन्य वित्तीय संपत्ति

नकद और नकद समकक्षों से संबंधित ऋण संकट नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष बैंक हैं। हम उन बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋण गुणवत्ता को अच्छा मानते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक जाँच के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण

संकट को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण या तो संपत्ति के स्वामित्व विलेख के बंधक के रूप में या वाहन के दृष्टिबंधक के रूप में सुरक्षित किया जाता है जिसके लिए कर्मचारियों को ये ऋण दिए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास कर्मचारियों के कारण टर्मिनल लाभों पर विनियोग का अधिकार है। इसलिए, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है—हम उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथियों के अनुसार अच्छी ऋण योग्यता के रूप में मानते हैं।

सी) तरलता संकट

मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर हमारी तरलता की जाँच की आवश्यकता है। कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकद और नकद समकक्ष, संचालन से उत्पन्न नकदी हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर जाँच करके और पर्याप्त नकदी और नकद समकक्षों को बनाए रखते हुए अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

लघु अवधि की चलनिधि आवश्यकता में मुख्य रूप से प्रत्येक

प्रतिवेदन तिथि के अनुसार व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यापार देय, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, ऋण की वर्तमान परिपक्वता की चुकौती आदि के निपटान के लिए आवश्यक संसाधन सम्मिलित हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम आवधिक आधार पर दीर्घकालिक तरलता आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और आंतरिक उपार्जन के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी अप्रचलित देनदारियों में चेन्नई पत्तन न्यास से ऋण, कर मुक्त ऋणपत्र, और एचडीएफसी बैंक से सावधि ऋण, देय प्रतिधारण राशि और सुरक्षा जमा राशी सम्मिलित हैं।

नीचे दी गई तालिका अव्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। तालिका को वित्तीय देनदारियों के बिना छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में मूलधन और ब्याज नकदी प्रवाह दोनों शामिल हैं।

(31 मार्च 2022 तक राशि लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 – 3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नै पोर्ट न्यास ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	9000.05	20506.25
एचडीएफसी बैंक से ऋण	-	500.00	2000.00	1500.00	-	4000.00
कर मुक्त ऋणपत्र	-	8293.34	7949.51	-	29655.00	45897.85
प्रतिधारण राशी	-	233.49	9.50	-	-	242.99
सुरक्षा जमा राशी	-	44.69	-	-	966.48	1011.17
अन्य देनदारियां	-	508.04	-	-	-	508.04
कुल	1150.62	10730.18	14561.49	6102.48	39621.53	72166.30

(31 मार्च 2021 तक राशि लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 – 3 वर्ष	3–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
चेन्नै पोर्ट न्यास ऋण	1150.62	1150.62	4602.48	4602.48	11301.31	22807.51
एचडीएफसी बैंक से ऋण	4328.25	4328.26	-	-	-	8656.11
कर मुक्त ऋणपत्र	-	-	8293.34	-	37577.42	45870.76
प्रतिधारण राशी	-	382.09	11.43	-	-	393.52
सुरक्षा जमा राशी	-	44.70	-	-	966.48	1011.18
अन्य देनदारियां	-	129.66	-	-	-	129.66
कुल	5478.87	6035.33	12907.25	4602.48	49845.21	78868.74

वित्तीय वर्ष 21–22, के लिए व्यापार देनदारियों की जरण की अनुसूची

(राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	338.18	-	-	-	338.18
(ii) अन्य	2779.82	6.56	0.00	37.87	2790.69
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 20–21, के लिए व्यापार देनदारियों की जरण की अनुसूची

(राशि लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	120.86	-	-	-	120.86
(ii) अन्य	3970.76	-	3.19	505.84	4479.79
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–21 के संबंध में प्रकटीकरण "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव"

लाभ और क्षति के विवरण में डेबिट किए गए विनिमय अंतर (शुद्ध) की राशि रु 87.74 लाख (पिछले वर्ष – शून्य) अन्य व्यय के तहत।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) –36 "संपत्ति की क्षति" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक –36 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति के लिए अपनी अचल संपत्तियों की समीक्षा की है और चालू वित्तीय वर्ष में संपत्ति की कोई क्षति नहीं देखी है (पिछले वर्ष – शून्य)।

8. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–20 के संबंध में प्रकटीकरण "सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण"

(राशि लाख में)

प्राप्त अनुदान	2021-22	2020-21
सरकारी अनुदान	शून्य	शून्य
प्राप्त कुल अनुदान	शून्य	शून्य

9. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 के संबंध में प्रकटीकरण "कर्मचारी परिलाभ"

ए. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

ए) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा की जाती है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है।

बी) उपदान / ग्रेच्युटी:

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति और विकलांगता या मृत्युपर 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन सह महंगाई भत्ता) की दर से ग्रेच्युटी पानेका अधिकारी है। इसके लिए न्यास का गठन किया गया है। इसयोजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वाराकिया जा रहा है जिस के लिए कंपनी ने एक प्रमुख निती

अपनाई है। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और योगदान का भुगतान बीमाकर्ता, यानी भारतीय जीवन बीमा निगमको उनकी मांग के अनुसार किया जाता है। परिभाषित लाभ योजना के लिए निवल दायित्व की मान्यता और भारतीय लेखा मानक-19 के तहत आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण बीमांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार किया जाता है।

सी) सेवानिवृत्ति योजना:

कंपनी ने एक अंशदायीतर कर्मचारी समूह सेवानिवृत्ति पेंशन योजना कार्यान्वित की है जिसका प्रबंधन भी भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भर्ते के 12: की दर से योगदान निगम को दिया जाता है।

इस अवधि के लिए योजना में योगदान को प्रोद्भवन के आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समूहीकृत किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना ऋणदाता संगठन भारत सरकार के नियम के अनुसार की जाती है। और प्रोद्भवन के आधार पर लेखा किया जाता है।

डी) अवकाश:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिनों पर वार्षिक रूप से अर्जित होता है। अर्जित अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में एक बार सेवा में रहते हुए पात्रता के अनुसार अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए और सेवानिवृत्ति पर, अधिकतम 300 दिनों तक सीमित है।

अर्जित अवकाश पर देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

बी. लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और तुलन पत्र और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है:

(राशी लाख में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व	चालू वर्ष	350.20	326.86
	पिछले वर्ष	386.25	377.00
उचित मूल्य योजना संपत्ति	चालू वर्ष	418.89	377.47
	पिछले वर्ष	371.01	325.20
वित्त पोषित स्थिति अधिशेष (घाटा)	चालू वर्ष	(68.68)	(50.61)
	पिछले वर्ष	15.23	51.80
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	चालू वर्ष	0	0
	पिछले वर्ष	0	0
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां (देयताएं)	चालू वर्ष	(68.68)	(50.61)
	पिछले वर्ष	15.23	51.80

परिभाषित लाभ दायित्व में गति

(राशी लाख में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष का प्रारंभ	चालू वर्ष	386.24	377.00
	पिछले वर्ष	354.38	315.72
वर्तमान सेवा लागत	चालू वर्ष	29.59	57.42
	पिछले वर्ष	32.88	44.20
ब्याज लागत	चालू वर्ष	25.50	24.96
	पिछले वर्ष	23.92	21.31
भुगतान किया गया लाभ	चालू वर्ष	(24.82)	(22.00)
	पिछले वर्ष	0	0
पुनर्माप – बीमांकिक हानि/(लाभ)	चालू वर्ष	(66.31)	110.51
	पिछले वर्ष	(24.94)	(4.23)
परिभाषित लाभ दायित्व - वर्ष का अंत	चालू वर्ष	350.20	326.86
	पिछले वर्ष	386.24	377.00

योजनागत संपत्ति में गति

(राशी लाख में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
वर्ष के आरंभ में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	चालू वर्ष	371.01	325.20
	पिछले वर्ष	346.74	303.93
ब्याज आय	चालू वर्ष	26.10	22.40
	पिछले वर्ष	23.40	20.51
नियोक्ता योगदान	चालू वर्ष	48.13	28.41
	पिछले वर्ष	0	0
भुगतान किया गया लाभ	चालू वर्ष	(24.82)	(22.01)
	पिछले वर्ष	0	0
पुनर्मापन – योजनागत संपत्तियों पर लाभ	चालू वर्ष	(1.53)	23.48
	पिछले वर्ष	0.86	(0.76)
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	चालू वर्ष	418.88	377.47
	पिछले वर्ष	371.01	325.20

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(राशी लाख में)

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
वर्तमान सेवा लागत	चालू वर्ष	29.60	57.42
	पिछले वर्ष	32.88	44.20
पूर्व सेवा लागत – योजना संशोधन	चालू वर्ष	0	0
	पिछले वर्ष	0	0
कटौती लागत/(जमा)	चालू वर्ष	0	0
	पिछले वर्ष	0	0

(राशि लाख में)			
विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
भूगतान लागत/(जमा)	चालू वर्ष	0	0
	पिछले वर्ष	0	0
सेवा लागत (ए)	चालू वर्ष	29.60	57.42
	पिछले वर्ष	32.88	44.20
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज /(संपत्ति)(बी)	चालू वर्ष	(0.60)	2.56
	पिछले वर्ष	0.52	0.79
पी एंड एल (ए + बी) में मान्यता प्राप्त लागत	चालू वर्ष	29.00	59.98
	पिछले वर्ष	32.36	44.99

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक राशि लाख में

धारण	धारण में परिवर्तन	उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
छूट की दर	+1.00%	318.07	312.55
	-1.00%	387.55	342.58
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	388.21	344.61
	-1.00%	315.60	310.42
निकासी दर	+1.00%	356.47	328.48
	-1.00%	343.14	325.10

31 मार्च 2021 तक राशि लाख में

धारण	धारण में परिवर्तन	उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
छूट की दर	+1.00%	354.28	361.43
	-1.00%	423.30	394.06
वेतन वृद्धि दर	+1.00%	421.83	396.31
	-1.00%	352.96	359.05
निकासी दर	+1.00%	391.00	378.35
	-1.00%	380.88	375.54

वीमांकिक धारण

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
व्यवहृत विधि	चालू वर्ष	पीयूसी	पीयूसी
	पिछले वर्ष	पीयूसी	पीयूसी
छूट की दर	चालू वर्ष	7.24%	7.24%
	पिछले वर्ष	6.82	6.82%
वेतन वृद्धि दर	चालू वर्ष	5%	5%
	पिछले वर्ष	5%	5%
योजनागत संपत्ति की वापसी की दर	चालू वर्ष	0	0
	पिछले वर्ष	0	0

विवरण		उपदान (वित्त पोषित)	अवकाश (वित्त पोषित)
निकासी दर	चालू वर्ष	1% to 3%	1% to 3%
	पिछले वर्ष	1% to 3%	1% to 3%
सेवानिवृत्ति आयु	चालू वर्ष	60 Years	60 Years
	पिछले वर्ष	60 Years	60 Years
औसत भविष्य सेवा	चालू वर्ष	14.87	14.87
	पिछले वर्ष	15.52	15.52
मृत्यु दर	चालू वर्ष	आईएएलएम (2012–14) सारणी	आईएएलएम (2012–14) सारणी
	पिछले वर्ष	आईएएलएम (2006–08) सारणी	आईएएलएम (2006–08) सारणी
विकलांगता दर	चालू वर्ष	कोई स्पष्ट आँकड़ा नहीं	कोई स्पष्ट आँकड़ा नहीं
	पिछले वर्ष	आँकड़ा नहीं	आँकड़ा नहीं

योजनागत परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	निवेश की श्रेणीयों के उचित मूल्य का प्रतिशत (:)
बीमा नितीयां	100%

10. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–108 के संबंध में प्रकटीकरण: "परिचालन खंड"

कंपनी मुख्य रूप से एक खंड – पत्तन सेवाओं में काम करती है और प्रतिवेदन करने योग्य कोई भौगोलिक खंड भी नहीं है।

कंपनी को निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त होता है जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक हैं। कंपनी को निम्नलिखित ग्राहकों से राजस्व प्राप्त होता है जो कंपनी के राजस्व का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है।

(राशि लाख में)

ग्राहक	31मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
टैंजेडका	16075.20	10880.62
एनटीईसीएल (टैंजेडको और एनटीपीसीएल का संयुक्त उद्यम)	11478.17	7264.55
एन्नर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (तत्कालीन चेट्टीनाड इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)	13703.47	9348.27

11. भारतीय लेखा मानक 23 "ऋण लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान पूँजीकृत ऋण लागत 72.93 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये शून्य) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगति में पूँजीगत कार्यों (सीडल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में है।

12. भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण

ए. अन्य के लिए प्रकटीकरण कि सरकार संबंधित संस्थाएं

ए. संबंधित पक्षों की सूची:

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति:

नाम	पद
श्री सुनील पालीवाल, आईएएस,	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
श्री एस. अरुणकुमार, आई.आर.टी.एस	नामित निदेशक
श्री वी.एम. सुब्बा राव, एफसीए, डीआईएसए (आईसीए)	स्वतंत्र निदेशक
कैप्टन अनूप कुमार शर्मा	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती सरला बालगोपाल, आईआरटीएस (सेवानिवृत्त)	स्वतंत्र निदेशक
श्री एम. गुणशेखरन,	मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं अनुपालन अधिकारी
श्रीमती जयलक्ष्मी श्रीनिवासन	कंपनी सचिव

अन्य संस्थाएं:

- मेसर्स कन्याकुमारी पत्तन लिमिटेड
- प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का प्रतिकर

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक और अल्पकालिक लाभ	108.95	110.95
रोजगार के बाद के लाभ	15.43	18.01
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
शेयर-आधारित भुगतान	-	-
विभाजित लाभ	8.30	2.20
बैठक शुल्क	132.68	131.16
कुल	-	-
वर्ष के दौरान ऋण और अग्रिम की वसूली	-	-
वर्ष के दौरान जारी किए गए अग्रिम	-	-
ऋण और अग्रिम का अंतिम शेष	-	-

बी. चेन्नई पत्तन न्यास

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन:

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज का भुगतान किया	2084.96	2394.50
ऋण प्रत्यावर्तन	2301.25	2301.25
पट्टा किराया व्यय	59.40	36.04
परियोजना प्रबंधन सेवाएं	127.08	192.21
सुरक्षा जमा – पट्टा किराया	48.01	1.97
अंतरिम और अंतिम लाभांश	24000.00	18000.00
सीएसआर व्यय	100.00	100.00
जनशक्ति	273.85	28.90
अन्य	8.82	9.40
सावधि ऋण की अंतिम शेषराशि	20506.25	22807.50

13. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) 116 "पट्टों" के संबंध में प्रकटीकरण

ए) परिचालनपट्टा

I) एक पट्टेदारके रूपमें

- आगामी शुल्क भुगतानों को छोड़कर गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के तहत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष के पश्चात नहीं	-	4.84
1 साल के पश्चात और 5 साल के पश्चात में नहीं	-	-
5 साल से बाद में	-	-

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
न्यूनतम पट्टा भुगतान	-	-

पट्टे की व्यवस्था:

कंपनी ने अग्रिम बीमा शुल्क पट्टा भुगतान पर चेन्नै पत्तन न्यास से 30 साल के लिए कार्यालय परिसर पट्टे पर लिया है। कामराजर पोर्ट लिमिटेड,

ii. पट्टेदार के रूप में

- अनिरस्त परिचालन पट्टे के तहत भविष्य की न्यूनतम पट्टा प्राप्तियां (राशि लाख में)

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1 वर्ष के पश्चात नहीं	3239.30	3085.49
1 वर्ष और 5 वर्ष के पश्चात नहीं	18794.14	17899.18
5 वर्ष के पश्चात	84105.39	88239.65

• पट्टे की व्यवस्था:

कंपनी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के अनुसार, कार्गो टेट्रिनल्स के विकास, संचालन, विपणन और रखरखाव को 30 साल के लाइसेंस / छूट समझौते पर कैटिव / पीपीपी बीओटी संचालकों के पास छोड़ दिया जाता है। कंपनी ने लाइसेंस / छूट समझौते के अनुसार बीओटी संचालकों / कैटिव उपयोगकर्ताओं के माध्यम से घाटों के विकास के लिए पत्तन और भूमि क्षेत्र को पट्टे पर दिया है।

14. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–33 के संबंध में प्रकटीकरण "प्रति शेयर आय (ईपीएस)"

ए) मूलभूत ईपीएस

मूलभूत ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:

(राशि लाख में)

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामीयों के कारण, वर्ष के लिए लाभ (हानि)	44145.69	15298.20
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	44145.69	15298.20
मूल आय के शेयर के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	3000000000	3000000000
मूलभूत ईपीएस (ए/बी) – रु. में	14.72	5.10

बी) मन्दित ईपीएस

मन्दित ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण बेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार है:

ग्राहक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के स्वामीयों के कारण, वर्ष के लिए लाभ (हानि)	44145.69	15298.20
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (ए)	44145.69	15298.20
मूल आय के शेयर के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	3000000000	3000000000
मूलभूत ईपीएस (ए/बी) – रु. में	14.72	5.10

15. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–37 "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं, आकस्मिक संपत्तियों" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) विवादित कर याचना:

विवादित कर मामले रु. 4179.54 लाख (पिछलेवर्ष रु. 6021.35 लाख) का अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विरोध किया जा रहा है।

(ii) अनुबंध / आपूर्ति कार्य:

हमारी परियोजनाओं में निर्माण ए आपूर्ति और कार्यों के निष्पादन, अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग के लिए कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर कुल रु 13603.43 लाख (पिछले वर्ष रु 10705.37 लाख) का दावा किया है। संबंधित अनुबंधों के प्रावधान के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के कारण कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है। कंपनी इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है।

(iii) (ए) मेसर्स एईसीटीपीएल पीपीपी छूटग्राहियों के साथ राजस्व अनुबंध:

15.03.2014 को केपीएल ने पीपीपी डीएफबीओटी प्रणाली के तहत मेसर्स अदानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 साल के लिए कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए एक रियायत समझौता किया।

परियोजना के चरण 1 और चरण 2 के लिए अक्टूबर 2017 के दौरान शुरू हुआ वाणिज्यिक संचालन निर्माणाधीन है। छूटग्राही ने कुछ

विवाद उठाए थे और मध्यस्थता खंड लागू किया था और कंपनी को मध्यस्थता नोटिस जारी किया था। 1 अगस्त 2020 को मध्यस्थता अधिकरण के गठन के बाद, छूटग्राही और कंपनी दोनों द्वारा मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष दावे और प्रतिदावे दायर किए जाते हैं।

रियायतग्राही द्वारा विवादों और दावों की प्रकृति निम्नलिखित के कारण :

- (ए) परियोजना के चरण— 1 में विलम्ब केपीएल के कारण है
- (बी) परियोजना के चरण—II में देरी केपीएल के कारण है और इसलिए मील के पत्थर को केपीएल द्वारा संशोधित किया जाना है।
- (सी) एल.डी. चरण I और चरण II में अप्रवर्तनीय हैं और केपीएल द्वारा वापस किया जाना है।
- (डी) केपीएल द्वारा परामर्श सूचना जारी करना और उसे पुनः आरंभ करना अवैध है।
- (ई) रुपये 1405 करोड़ और रियायत समझौते का विस्तार और संशोधन का साथ दावा करने वाले कानून में बदलाव का आह्वान।
- (एफ) वास्तविक परियोजना लागत, अनुमानित परियोजना लागत और वित्तीय दस्तावेजों को वैध और लागू करने योग्य घोषित करना और केपीएल द्वारा इसे अभिलिखित करना।
- (जी) एईसीटीपीएल द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराया और रॉयल्टी की वापसी
- (एच) ब्याज का दावा।

कंपनी ने छूटग्राही के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और 16781 लाख रुपये के विरोधी दावों को प्राथमिकता दी है।

वर्ष के अंत में मध्यस्थता प्रगति पर है।

(बी) पीपीपी रियायतों के साथ राजस्व अनुबंध – मेसर्स एसआईओटीएल:

कामराजर पोर्ट लिमिटेड ने 11.7.2016 को मेसर्स एसआईसीएएल के साथ लौह अयस्क अंतिम समझौते के तहत पीपीपी – डीबीएफओटी आधार पर "मौजूदा लौह अयस्क टर्मिनल को भी संभालने के लिए कोयले के संशोधन" के लिए एक (एसआईओटीएल) लाइसेंस समझौता किया। 27 साल की छूट अवधि 20.7.2018 से आरंभ हुई। तथापि, एसआईओटीएल के सम्मूखीन विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के कारण, परियोजना को पूरा और निर्धारित तिथि पर प्रारंभ नहीं किया जा सका। इस बीच, ऋणदाताओं ने एसआईओटीएल द्वारा 'वित्तीय चूक की सूचना' जारी की है और

केपीएल से लाइसेंस समझौते के तहत उपलब्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करके समाप्ति की सूचना जारी करने का अनुरोध किया है। केपीएल ने लाइसेंस समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 22.3.2021 को एक समाप्ति सूचना जारी करके समाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ की है और समाप्ति 20.06.2021 को प्रभावी हुई है।

इस बीच, आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड और मैसर्स पोर्टमैन इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर लेनदार आवेदन के आधार पर माननीय एनसीएलटी, चेन्नई ने अपने आदेश दिनांक 01.03.2022 द्वारा आईबीसी कोड, 2016 के तहत मैसर्स एसआईओटीएल को निगमित देनदार घोषित किया है। माननीय एनसीएलटी ने श्री शिवशंकर को आईबीसी, संहिता के प्रावधानों के अनुसार अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया। चूंकि एसआईओटीएल परियोजना के ऋणदाता अर्थात् यस बैंक लिमिटेड और यूको बैंक सीआईआरपी में प्रमुख मतदान अधिकार रखने वाले निगमित देनदार के वित्तीय ऋणदाता हैं, आईआरपी द्वारा यह सूचित किया गया था कि लेनदारों की समिति जिसमें मेसर्स यस बैंक और मैसर्स यूको बैंक सम्मिलित हैं, ने 16.04.2022 को आयोजित अपनी बैठक में आईआरपी को समाधान पेशेवर (आरपी) के रूप में पुष्टि की है।

आकस्मिक देयताओं का सारांश

(राशि लाख में)

	विवरण	2021 - 22	2020 - 21
ए	विवादित कर मांग लेकिन ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं	4179.55	6021.35
बी	कंपनी के विरुद्ध दावों के ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं – एनजीटी – अनुबंध/आपूर्ति कार्य	400.00 13603.43	400.00 10705.37
	कुल	14003.43	11105.37
सी	पीपीपी छूटग्राहियों के साथ राजस्व अनुबंध के विरुद्ध दावा	162968.63	118012.00

अपेक्षित ऋण हानि ('ईसीएल')

हानि प्रावधान, प्राप्त के अपेक्षित जीवन और संग्रह के अपेक्षित समय पर चूक की आशंका के मूल्यांकन पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों के लिए विवेक का उपयोग करती है और कंपनी के पूर्व संग्रह के इतिहास, ग्राहक की

ऋण योग्यता, तात्कालिक बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में आगे के अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए निविष्ट का चयन करती है।

17. सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची

(31 मार्च 2022 तक राशि लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	7498.99	8947.95	-	5162.49	21609.43
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	741.58	-	-	741.58
कुल	7498.99	9689.53	-	5162.49	22351.01

18. शेष राशि की पुष्टि:

व्यापार प्राप्य/देय, सावधि ऋण और अग्रिम, जीएसटी निविष्ट ऋण जीएसटी और जमा, पुष्टि और समाधान के अधीन हैं।

19. पूंजी प्रबंधन:

कंपनी की पूंजी में इकिवटी शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय और इकिवटी धारकों के कारण अन्य इकिवटी शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है और आर्थिक और बाजार स्थितियों में बदलाव के आलोक में इसका समायोजन करती है।

कंपनी गियरिंग अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है, जो कुल पूंजी तथा शुद्ध ऋण से विभाजित शुद्ध ऋण है। शुद्ध ऋण में दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण, कम नकद और बैंक शेष सम्मिलित होते हैं। इकिवटी में इकिवटी शेयर पूंजी और भंडार शामिल होते हैं जिन्हें पूंजी के रूप में प्रबंधित किया जाता है। प्रतिवेदन अवधि के अंत में गियरिंग इस प्रकार थी:

(राशि लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कुल ऋण	70404.10	77334.68
कम : नकद और नकद समकक्ष	9371.11	3201.44
शुद्ध ऋण	61032.99	74133.24
कुल इकिवटी	255350.55	235204.86
इकिवटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	23.90%	31.52%

20. कोविड – 19 पर टिप्पणी

2020 के आरंभ से, कोविड – 19 महामारी का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे बड़ी आर्थिक कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन हटने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार को देखते हुए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कंपनी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों के आधार पर वित्तीय परिणाम तैयार करने में कोविड-19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और अपेक्षा है कि परिसंपत्तियों का वहन मूल्य वसूल किया जाएगा। कंपनी लंबी अवधि के आधार पर कारोबार की निरंतरता संपत्ति का उपयोगी जीवन और कंपनी की संपूर्ण वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

21. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभांश की सूचना:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इकिवटी शेयर पूंजी के 50% की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान किया, अर्थात रु 5/प्रति इकिवटी शेयर की राशि 150 करोड़ रुपये। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 90 करोड़ रुपये यानी इकिवटी का 30% और 3/- रुपये प्रति शेयर के दो अंतरिम लाभांश घोषित किए।

22. अतिरिक्त नियामक सूचना

ए. विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश	भाजक	31मार्च 2022 तक	31मार्च 2021 तक	% भिन्नता*
वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	0.84	0.57	47.77%
ऋण इकिवटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इकिवटी	0.28	0.33	-19.69%
ऋणसेवा व्याप्ति अनुपात	ऋण सेवा केलिए आय (कर के बाद लाभ + मूल्यव्याप्ति + वित्त लागत + संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ)	ऋण सेवा (ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन भुगतान)	3.42	2.07	65.36%
इकिवटी पर लाभ (आरओई)	शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इकिवटी	17.24%	6.49%	62.34%
व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात	परिचालनों से आय	व्यापार प्राप्तियां	14.38	7.48	48.01%
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	परिचालनों से आय	52.87%	26.28%	50.29%
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)	ब्याज और करों से पूर्व कमाई	शुद्धमूल्य + ऋण	18.45%	11.87%	35.65%

* परिवर्तन पिछले वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण पूर्ण आर्थिक मंदी के बाद 2021-22 में अर्थव्यवस्था के प्रतिक्षेपण के कारण है।

23. कंपनी ने वीओसी-टीपीटी (40%) और चेन्नै पत्तन ट्रस्ट (20%) के साथ कन्या कुमारी पत्तन लिमिटेड (केपीएल) की चुकता पूंजी का 40% होने के कारण 2 लाख रुपये का इकिवटी निवेश किया है। केपीएल परियोजना पूर्व गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया में है। चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केपीएल में कोई महत्वपूर्ण आय/व्यय नहीं था, इसलिए कोई समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

24. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पूनः समूहित किया गया है।

25. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 25 मई, 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड के लिए

ह/-
सुनील पालीवाल, आई.ए.एस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डिन : 01310101

ह/-
एम. गुणसेकरन
मुख्य वित्तीय अधिकारी और अनुपालन अधिकारी
स्थान- चेन्नै
तिथि- 25 मई 2022

ह/-
एस बालाजी अरुण कुमार
निदेशक
डिन : 07526368

ह/-
जयलक्ष्मी श्रीनीवासन
कंपनी सचिव

बी. त्यागराजन एंड कंपनी के लिये
अधिकारपत्र प्राप्त लेखा परिक्षक
एफआरएन : 004371S

ह/-
राम श्रीनीवासन
साझेदार
एम.न. 220112
यूडिआईएन: 22220112एजेओएक्सक्यूटिव698